Ensuring a better life with better quality

ANNUAL REPORT 2012-13

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2013 को)
PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2013)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अध्यक्ष	President	प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	**Prof. K. V. Thomas** Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Independent Charge)
अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति	Chairman, Executive Committee	श्री अफज़ल अमानुल्लाह महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	Shri Afzal Amanullah, Director General, BIS

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय BIS DIRECTORATE GENERAL

मुख्यालय	Headquarters		
महानिदेशक	Director General	श्री अफज़ल अमानुल्लाह	Shri Afzal Amanullah
अपर महानिदेशक	Additional Director General	श्रीमती अल्का पंडा	Smt. Alka Panda
वैज्ञानिक जी एवं प्रमुख	Scientists G & Chief		
मानकीकरण	Standardization	श्रीमती परमिन्दर बजाज	Smt. Parminder Bajaj
प्रमाणन	Certification	श्री पी॰ के॰ गम्भीर	Shri P. K. Gambhir
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री पी॰ के॰ बत्रा	Shri P. K. Batra
मुख्य सतर्कता अधिकारी	Chief Vigilance Officer	श्री आलोक शर्मा	Shri Alok Sharma
उप महानिदेशक	Deputy Director General		
प्रशासन	Administration	कैप्टन अनुज कुमार	Captain Anuj Kumar
वित्त	Finance	श्री एच॰ आर॰ अहूजा	Shri H. R. Ahuja
वैज्ञानिक जी (उप महानिदेशक)	Scientist G (Deputy Director General)		
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्री डी॰ के॰ नैय्यर	Shri D. K. Nayyar
वैज्ञानिक एफ (उप महानिदेशक)	Scientist F (Deputy Director General)		
परियोजना, योजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	डॉ॰ (श्रीमती) स्नेह भाटला	Dr. (Smt.) Sneh Bhatla
प्रवर्तन	Enforcement	श्रीमती मधुलिका प्रकाश	Smt Madhulika Prakash
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री ए॰ के॰ सेन	Shri A. K. Sen
क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Offices		
वैज्ञानिक जी (उप महानिदेशक)	Scientist G (Deputy Director General)		
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री सी॰ के॰ महेश्वरी	Shri C. K. Maheshwari
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री ई॰ देवेन्दर	Shri E. Devendar
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री ए॰ के॰ सैनी	Shri A. K. Saini
वैज्ञानिक एफ (उप महानिदेशक)	Scientist F (Deputy Director General)		
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री एस॰ के॰ खन्ना	Shri S. K. Khanna
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री के॰ अनबरासू	Shri K. Anbarasu

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012-13

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
वेबसाइट/Website : www.bis.org.in

विषय सूची
CONTENTS

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सिंहावलोकन Overview	1
2	मानक Standards	6
3	प्रमाणन Certification	29
4	प्रयोगशाला सेवाएं Laboratory Services	38
5	सतर्कता गतिविधियाँ Vigilance Activities	41
6	तकनीकी सूचना सेवाएँ Technical Information Services	43
7	प्रशिक्षण सेवाएँ Training Services	45
8	उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ Consumer Related Activities	47
9	बारहवीं योजनागत परियोजना 12th Plan Projects	49
10	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ International Activities	51
11	कंप्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचालन Computerization and Office Automation	55
12	परियोजना प्रबंधन Project Management	57
13	मानव संसाधन विकास Human Resource Development	59
14	वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा Finance, Accounts and Audit	61

सिंहावलोकन

भारतीय मानक ब्यूरो (भा. मा. ब्यूरो), पूर्व में भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों का अधिग्रहण करके व्यापक कार्य–क्षेत्र तथा अधिक शक्तियों सहित दिनांक 26 नवम्बर 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। यह परिवर्तन सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और चेतना लाने तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का वातावरण बनाने की दृष्टि से किया ।

ब्यूरो 25 सदस्यों का एक कार्पोरेट निकाय है। ब्यूरो के अध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, सांसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

ब्यूरो की 21वीं बैठक 24 जनवरी 2013 को आयोजित की गई। नई नीति/निर्देशों के कार्यान्वयन में भा. मा. ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की सात बैठकें आयोजित की गई, जबकि वर्ष के दौरान वित्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गई ।

भा. मा. ब्यूरो की संरचना तीसरे आवरण पृष्ठ पर दी गई है ।

संगठनात्मक नेटवर्क

ब्यूरो का मुख्यालय, नई दिल्ली में है और कोलकाता (पूर्वी), चेन्नै (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरू, भुबनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवाणू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूबनन्तपुरम एवं विशाखापटनम् स्थित शाखा कार्यालय हैं, जो उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत हैं। ये क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थाओं, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ।

OVERVIEW

Bureau of Indian standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of national standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

The 21st meeting of the Bureau was organized on 24 January 2013. The Executive Committee had seven meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/ directives while the Financial Committee met twice during the year.

The structure of BIS is given on the third cover page.

ORGANIZATIONAL NET WORK

BIS has its Headquarters at New Delhi and its 5 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs) located at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bhopal, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram and Vishakhapatnam which serve as effective link between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc of the region.

गतिविधियाँ

भा. मा. ब्यूरो की गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है:

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणन : उत्पाद, हालमार्किंग तथा विभिन्न प्रबंध पद्धतियाँ

ग) प्रयोगशाला सेवाएँ

घ) भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ङ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

छ) संवर्द्धनात्मक गतिविधियाँ एवं प्रचार

ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

झ) सूचना सेवाएँ

ञ) वित्त एवं लेखा

भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2012–13 में चहुँमुखी प्रगति बनाए रखी है। ब्यूरो ने कुल ₹ 28017.48 लाख की आय अर्जित कर पिछले वर्ष की ₹25266.27 लाख की आय की तुलना में 10.89 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की। भा. मा. ब्यूरो अपने व्यय और देयताओं का वहन करते हुए लगातार चौबीस वर्षों से आत्मनिर्भर बना हुआ है।

2012–13 की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

- वर्ष के दौरान विभिन्न व्यापक विषयों पर 437 भारतीय मानकों का निर्धारण किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण (नए और पुनरीक्षित) मानक हैं :

– बाँस का उपयोग करके ढांचागत डिज़ाइन की रीति–संहिता (आईएस 15912: 2012)

– पहिए वाले अग्निशामकों की विशिष्टि – कार्यकारिता तथा संरचना (आईएस 16018: 2012)

– एल्यूमिनो – फेरिक की विशिष्टि (आईएस 299 : 2012 – पाँचवा पुनरीक्षण)

– रसायन प्रयोगशालाएँ – सुरक्षा संहिता (आईएस 4209 : 2013 दूसरा पुनरीक्षण)

– ऊष्मारोधी द्रव – विद्युतीय प्रयोजनार्थ अप्रयुक्त संश्लिष्ट व कार्बनिक एस्टर की विशिष्टि (आईएस 16081 : 2013)

ACTIVITIES

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation

b) Certification : Product, Hallmarking and various Management Systems

c) Laboratory Services

d) Sales of Indian Standards and other publications

e) International Activities

f) Consumer Related Activities

g) Promotional Activities and Publicity

h) Training services

i) Information services

j) Finance & Accounts

Bureau of Indian Standards has maintained all round progress during the year 2012-13. It recorded a total income (excluding interest from investment) of ₹ 28017.48 lakhs and a growth of 10.89% over the income in the previous year which was ₹ 25266.27 lakhs. For the twenty fourth consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities

Highlights of achievements during 2012-13 are as follows:

- 437 Indian Standards covering wide range of subjects were formulated during the year. Some important standards (new & revised) formulated are:

- Code of Practice for Structural Design Using Bamboo (IS 15912 : 2012)

- Specification for Wheeled Fire Extinguishers Performance and Construction (IS 16018:2012)

- Alumino - Ferric Specifications (IS 299: 2012- Fifth revision)

- Chemical laboratories – Code of safety (IS 4209: 2013 - Second revision)

- Insulating liquids – Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes (IS 16081 : 2013)

- खाद्य सुरक्षा पर पूर्व–अपेक्षा कार्यक्रम – भाग 1 : खाद्य सामग्री का निर्माण (आईएस/ आईएसओ/टीएस 22002–1: 2009)

- डिजिटल सेट टॉप बॉक्स – एमपीईजी–4 डीटीएच सेवाएँ हेतु विशिष्टि (आईएस 15954 : 2012)

- मोटर वाहनों के प्रयोग हेतु द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कन्टेनर – विशिष्टि (आईएस 14899 पहला पुनरीक्षण)

- चिकित्सीय गैस पाइप लाइन तंत्र की टर्मिनल यूनिटों के कनेक्शन हेतु प्रवाह मापन युक्तियाँ (आईएस/आईएसओ 15002 : 2008)

- कार्यस्थल पर सामाजिक दायित्वों हेतु अपेक्षाएँ (आईएस 16001 : 2012–पहला पुनरीक्षण)

- देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी (आईएस 16500 : 2012)

- उन्नत भूकम्पीय प्रतिरोधिता वाले भवनों एवं संरचनाओं हेतु संरचना इस्पात (आईएस 15962 : 2012)

- बर्तनों एवं रसोई उपस्करों हेतु कम निकल ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील शीट एवं स्ट्रिप हेतु विशिष्टि (आईएस 15997 : 2012)

- बायोगैस की विशिष्टि (बायोमीथेन) (आईएस 16087 : 2013)

- खड़ंजा हेतु डामर (आईएस 73 : 2013–चौथा पुनरीक्षण)

- उपभोक्ता वस्तुओं हेतु फास्टनर्स – सिंथेटिक हुक एवं लूप टेप (आईएस 8156 –दूसरा पुनरीक्षण)

- कृषि वस्त्रादि विशिष्टि – कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ शेड की जालियाँ (आईएस 16009 : 2012)

- वस्त्रादि – जूट सैकिंग – सामान्य अपेक्षाएं (आईएस 9113 : 2012– दूसरा पुनरीक्षण)

- पॉवर हाउस साइटों हेतु भू तकनीकी जाँच – रीति संहिता (आईएस 10060 : 2013–पहला पुनरीक्षण)

- 31 मार्च 2013 तक कुल लागू मानकों की संख्या 18965 थी।

- 31 मार्च 2013 तक कुल 5065 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है । भारतीय मानकों

- Prerequisite Programmes On Food Safety – Part 1: Food Manufacturing (IS/ISO/TS 22002-1:2009)

- Digital set top Box for MPEG-4 DTH Services-Specification (IS 15954:2012)

- Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers For Automotive Use – Specification (IS 14899 First Revision)

- Flow metering Devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (IS/ISO 15002:2008)

- Requirements for Social Accountability At The Work Place (IS 16001 : 2012 - First Revision)

- Devnagri Script and Hindi Spellings (IS 16500:2012)

- Structural Steels For Buildings And Structures With Improved Seismic Resistance (IS 15962:2012)

- Specification for Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet And Strip For Utensils and Kitchen Appliances (IS 15997:2012)

- Specification for Biogas (Biomethane) (IS 16087:2013)

- Paving Bitumen (IS 73 : 2013 - Fourth Revision)

- Fasteners For Consumer Goods-Synthetic Hook And Loop Tape (IS 8156 Second Revision)

- Specification for Agro Textiles – Shade Nets for Agriculture and Horticulture Purposes – (IS 16009:2012)

- Textiles – Jute Sacking – General Requirements (IS 9113:2012 - Second Revision)

- Geotechnical Investigation for Power House Sites-Code of Practice (IS 10060:2013- first revision)

- The total number of standards in force as on 31 March 2013 was 18965.

- A total of 5065 Indian standards have been harmonized with international standards as on 31

की संख्या को ध्यान में रखते हुए जहाँ संगत आईएसओ/आईईसी के मानक उपलब्ध हैं, वहाँ लगभग 85 प्रतिशत भारतीय मानकों को सुमेलित किया जा चुका है ।

- विचाराधीन वर्ष के दौरान 2964 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2013 तक (हॉलमार्किंग को छोड़कर) कुल 26357 लाइसेंस प्रचालन में थे ।

- वर्ष के दौरान 9 नए उत्पादों को पहली बार प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद हैं : आईएस 4835 – लकड़ी हेतु पोलीविनायल ऐसीटेट परिक्षेपण आधारित आसंजक, आईएस 5206 – इस्पात एवं अन्य सदृश उच्च मिश्र धातु इस्पात के आर्क के मैनुअल धातु आर्क वेल्डिंग के लिए आवरित इलैक्ट्रोड, आईएस 7180 – डिस्पोजेबल कृत्रिम गर्भाधान हेतु दस्ताने, आईएस 14756 – स्टेनलैस स्टील के खाना बनाने के बर्तन, आईएस 14605 – सिंचाई उपस्कर – सूक्ष्म फुहारक, आईएस 15240 – प्रोफीनोफॉस पायसनीय सांद्र, आईएस 14443 – पॉलीकार्बोनेट–शीट, आईएस 15601 – सिमोक्सेनिल 8% + मेनकोज़ेब 64% डब्ल्यू. पी., आईएस 15476 – बाँस चटाई की नालीदार शीट।

- 31 मार्च 2013 तक स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 10586 हो गई, जबकि 31 मार्च 2012 को यह संख्या 9292 थी। अवधि के दौरान लगभग 271 लाख सोने के आभूषणों/कलात्मक वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया। वर्ष के दौरान चांदी के आभूषणों/कलात्मक चीजों के लिए लागू लाइसेंसों की संख्या 580 से बढ़कर 695 हो गई। 31 मार्च 2013 को भा. मा. ब्यूरो मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 210 हो गई।

- वर्ष के दौरान 52 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 13 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 13 व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस तथा 1 खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किया गया। 31 मार्च 2013 तक, 15 मल्टी साइटों सहित 9 संगठन सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों का प्रचालन कर रहे थे ।

- भा. मा. ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर समस्त देश में 112 छापे मारे गए ।

- भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 21371 रही। दिसम्बर 2010 से स्वर्ण रेफरल मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नै ने सोने के आभूषणों के नमूनों के परीक्षण शुरू किए हैं। इसने 2012–2013 के दौरान 371 टेस्ट रिपोर्टें जारी की हैं।

March 2013. Considering the number of Indian Standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 85% of Indian standards are harmonized.

- 2964 Product Certification licences have been granted during the year. The total number of operative licences as on 31 March 2013 were 26357 (excluding Hallmarking).

- During the year 9 products were covered for the first time under the product certification scheme. These products are IS 4835 - Polyvinyl Acetate Dispersion Based Adhesives for Wood, IS 5206 - Covered Electrodes for manual Metal Arc welding of Arc of steel and other similar high alloy steel, IS 7180 - Disposable Artificial Insemination Gloves, IS 14756 - Stainless Steel cooking utensils, IS 14605 - Irrigation Equipment-Micro Sprayer, IS 15240 - Profenofos Emulsifiable Concentrate, IS – 14443 Polycarbonate – Sheets, IS 15601- Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P, IS 15476 - Bamboo Mat Corrugated Sheets

- The number of operative licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 9292 as on 31 March 2012 to 10586 as on 31 March 2013. Around 271 lakhs articles of gold jewellery/ artefacts have been hallmarked during this period. The number of operative silver licences for Hallmarking of silver jewellery / artefacts has increased from 580 to 695 during the year. The number of BIS recognized assaying and hallmarking centres was 210 as on 31 March 2013.

- 52 Quality Management System Certification licences, 13 Environmental Management Systems Certification licences, 13 Occupational Health and Safety Management Systems Certification licences and 1 Food Safety Management System Certification Licences were granted during the year. 9 organizations with 15 multi-sites were operating Service Quality Management System Certification as on 31 March 2013.

- 112 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark.

- The number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 21371. Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has started testing of Gold Jewellery samples since December 2010 and has issued 371 test reports during 2012 - 13.

- वर्ष 2012–13 के दौरान विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता आश्वासन में 45वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रबंध पद्धतियों पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 14 अक्टूबर 2012 को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय था 'कम अपशिष्ट बेहतर परिणाम–दक्षता में वृद्धि करते हैं'।

- दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2012 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।

- 14 से 28 सितम्बर 2012 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

- दिनांक 31 मार्च 2013 को भा. मा. ब्यूरो में कुल 1566 व्यक्ति कार्यरत थे।

महानिदेशक

ई–मेल : dg@bis.org.in
वेबसाइट : www.bis.org.in

- 45th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, 9th International Training Programme on Management Systems for developing countries and 3rd International Training Programme on Laboratory Quality Management were held during 2012-13.

- World Standards Day was celebrated on 14 October 2012 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme of this year World Standards Day was ***'Less Waste Better Results – Standards Increase Efficiency'***.

- Vigilance Awareness Week was observed from 29 October to 3 November 2012.

- Hindi Pakhwara was celebrated from 14 to 28 September 2012 during which different competitions in Hindi were organized.

- As on 31 March 2013, a total of 1566 persons were on roll of BIS.

Director General

e-mail : dg@bis.org.in
Website : www.bis.org.in

मानक

मानक निर्धारण

भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए, भा. मा. ब्यूरो पृथक–पृथक विभाग परिषदों के तहत विषयों के विशिष्ट समूहों संबंधी कार्य के लिए गठित विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों के रूप में तकनीकी समिति–संरचना के माध्यम से कार्य करता है । विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों के साथ–साथ उनकी विभाग परिषदों में भा. मा. ब्यूरो के अधिकारी और संबद्ध विभिन्न संगठनों, जैसे संगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता निकायों, नियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, परीक्षण संगठनों के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारतीय मानक(मानकों) के निर्धारण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, उद्योग संघों, पेशेवर निकायों, ब्यूरो सदस्यों तथा इसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है। संबंधित विभाग परिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने के बाद भारतीय मानक के निर्धारण के लिए संबंधित विषय समिति उस पर मानक बनाती है ।

सभी 13 विभागीय परिषदों, यथा सिविल इंजीनियरी, रसायन, खाद्य एवं कृषि, इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, यांत्रिक इंजीनियरी, चिकित्सा उपस्कर तथा अस्पताल आयोजना, धातुकर्म इंजीनियरी, प्रबंध एवं पद्धति, पेट्रोलियम एवं कोयला संबंधी उत्पाद, उत्पादन एवं सामान्य इंजीनियरी, परिवहन इंजीनियरी, वस्त्रादि और जल संसाधन विभागों ने वर्ष के दौरान बैठकें आयोजित की। विषय समितियों की 209 बैठकों के साथ–साथ बड़ी संख्या में उपसमितियों और पैनलों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया ।

भा. मा. ब्यूरो की नवीन प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और अप्रचलित मानकों को वापस लेने की नीति है। 2012–13 के दौरान भा. मा. ब्यूरो ने 437 (268 नए और 169 पुनरीक्षित) मानक बनाए, जिससे 31 मार्च 2013 तक लागू मानकों की संख्या 18965 हो गई।

अवधि के दौरान निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण मानक के ब्यौरे

बाँस का उपयोग करके ढांचागत डिज़ाइन – रीति संहिता (आईएस 15912 : 2012)

सिविल इंजीनियरी में बाँस के प्रयोग हेतु मानकीकृत डिजाइन एवं निर्माण एप्रोच की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मानक में संरचना के यांत्रिक प्रतिरोध तथा टिकाऊपन के संदर्भ में भवनों में बाँस के संरचनात्मक डिजाइन के सामान्य सिद्धांतों को शामिल किया गया है, इस मानक में गुणता आश्वासन हेतु न्यूनतम सामर्थ्य

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

For formulation of Indian Standards, BIS functions through the Technical Committee structure in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under respective Division Councils. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels as well as their Division Councils include concerned officials of BIS and representatives of various interests such as organized consumers, consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) may be submitted by any Ministry of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees. The proposal is taken up for formulation of standards by an appropriate Sectional Committee with approval by the concerned Division Council.

Thirteen Division Councils, namely, Civil Engineering, Chemical, Food and Agriculture, Electronics and Information Technology, Mechanical Engineering, Medical Equipment and Hospital Planning, Metallurgical Engineering, Management and Systems, Petroleum and Coal Related Products, Production and General Engineering, Transport Engineering, Textile and Water Resources Departments met during the year. The meetings of 209 Sectional committees, in addition to large number of Subcommittees and Panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail.

It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards. During 2012-13 BIS formulated 437 (268 new and 169 revised) standards. The total number of standards in force as on 31 March 2013 was 18965.

Details of Important Standards Formulated During the Period

Code of Practice for Structural Design Using Bamboo (IS 15912: 2012)

The standard was formulated with the need for standardized design and construction approach for use of bamboo in Civil Engineering. This standard covers the general principles involved in the design of structural bamboo in buildings with regard to mechanical resistance and durability of structures.

आँकड़े, आयामीय स्थिरता, ग्रेडिंग अपेक्षाएँ तथा बाँस में पारंपरिक जोड़ों को शामिल किया गया है। इस मानक में ऑनसाइट कार्य, घटकों का ऑफसाइट, फैब्रिकेशन, साइट पर इरेक्शन को उस सीमा तक शामिल किया गया है, जितना डिजाइन नियमों की परिकल्पना और सीमाओं के अनुरूप बाँस की गुणता तथा कारीगरी की गुणता को दर्शाने तथा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ।

पहिये वाले अग्निशामकों की विशिष्टि – कार्यकारिता एवं संरचना (आईएस 16018 : 2012)

पहिये वाले अग्निशामकों के विभिन्न प्रकारों के निर्माण एवं उन्हें खरीदने हेतु उद्योग एवं उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन देने की दृष्टि से इस मानक का निर्धारण किया गया है। यह मानक आईएसओ 11601 : 1999 'पहिये वाले अग्निशामक – कार्यकारिता एवं संरचना की विशिष्टि' पर आधारित है। इस मानक का निर्धारण करते समय अग्निशामकों के प्रस्तरन एवं प्रचालन को सहज करने सहित प्रचलित/स्थापित भारतीय रीतियों, स्थानीय दशाओं, सुरक्षा तथा उपयोगकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः चार्ज किये गये अग्निशामकों के न्यूनतम कुल द्रव्यमान के संदर्भ में कार्यकारिता परीक्षण, तापमान एवं अभिहित चार्ज (क्षमता) के अग्निशामकों के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं ।

एल्यूमिनो – फेरिक विशिष्टियाँ (आईएस 299 : 2012–पाँचवा पुनरीक्षण)

भारतीय मानक 'आईएस 299 एल्यूमिनो फेरिक–विशिष्टि' वर्ष 1951 में निर्धारित किया गया था। इस मानक को पेयजल पर डब्ल्यूएचओ के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। इसमें दो अलग–अलग ग्रेड (ग्रेड 4 – ठोस रूप एवं ग्रेड 5 – द्रव रूप) विशेष रूप से पेयजल के प्रयोजन हेतु वांछित जल के उपचार के लिए पुनरीक्षित मानक में शामिल किये गये हैं। निर्दिष्ट सीमा तक भारी धातुओं की उपस्थिति को सीमित रखने के लिए ये अपेक्षाएँ समाविष्ट/अद्यतन की गयी हैं। इसमें सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम इत्यादि की सीमाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मानक में मैंगनीज, क्रोमियम, सेलेनियम एवं जैविक अशुद्धता की अतिरिक्त अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करते हुए जल के उपचार हेतु प्रयुक्त जल में अघुलनशील सामग्रियों, लोहे की अनुमत सीमा, किस्मों की अपेक्षाओं के संदर्भ में भी मानक को अद्यतन किया गया है ।

रासायनिक प्रयोगशालाएँ – सुरक्षा संहिता (आईएस 4209 : 2013–दूसरा पुनरीक्षण)

रासायनिक प्रयोगशाला अन्वेषण करने एवं सीखने का एक स्थल हो सकता है । तथापि, यदि समुचित सावधानियाँ न बरती जाएँ, तो प्रयोगशाला के कार्यों की प्रकृति के कारण यह खतरनाक स्थान हो सकता है, अतः यहां सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है ।

It covers minimum strength data, dimensional stability, grading requirements and traditional bamboo joints for quality assurance. Work on site, fabrication of components off-site and their erection on site is covered in this standard to the extent necessary to indicate and ensure the quality of bamboo as a material and standard of workmanship to comply with the assumptions of the design rules and the limitations.

Specification for Wheeled Fire Extinguishers — Performance and Construction (IS 16018:2012)

This standard has been formulated with a view to guide the industries and the users for the manufacture and procurement of various types of wheeled extinguishers. This standard is based on ISO 11601: 1999 'Wheeled fire extinguishers — Performance and construction'. While formulating this standard some variances have been made with respect to minimum total mass of fully charged extinguishers, performance test temperatures and nominal charge (capacity) of the extinguishers, keeping in view prevalent/ established Indian practices, local conditions, safety and user convenience including ease of handling and operation.

Alumino - Ferric Specifications (IS 299: 2012- Fifth revision)

Indian Standard 'IS 299 Alumino Ferric – Specification' was formulated in 1951. This standard has been revised to bring it in line with the WHO guidelines on drinking water. Two separate grades (Grade 4 – solid form and grade 5 – liquid form) have been introduced in the revised standard specifically for treatment of water intended for drinking purposes. Requirements have been incorporated/ upgraded for heavy metals by restricting their presence to specified limits. These include limits for lead, arsenic, mercury, cadmium, etc. In addition, the standard has also been upgraded with respect to the requirements for insoluble matter, permissible limit of iron, varieties used for water treatment by prescribing additional requirements for manganese, chromium, selenium and organic impurities.

Chemical Laboratories – Code of Safety (IS 4209: 2013 - Second revision)

The chemical laboratory can be a place of discovery and learning. However, by the very nature of laboratory work, it can be a place of danger if appropriate precautions aren't taken and therefore a system of safety is essential.

इस पहलू के मद्देनजर भा. मा. ब्यूरो ने वर्ष 1966 में 'आईएस 4209 रासायनिक प्रयोगशालाएँ – सुरक्षा संहिता' प्रकाशित किया है । हाल ही में इस मानक को अद्यतन सुरक्षा रीतियों को ध्यान में रखते हुए स्पिलेज, विद्युत संस्थापन तथा रसायनों के बहुत कम तापमान पर प्रहस्तन सहित सुरक्षित निपटान, असंहत सामग्रियों, सुरक्षा प्रक्रियाओं हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन करने के लिए इसे पुनरीक्षित किया गया है ।

ऊष्मारोधी द्रव – विद्युतीय प्रयोजनों हेतु अप्रयुक्त संश्लिष्ट कार्बनिक एस्टर की विशिष्टि (आईएस 16081 : 2013)

इस मानक में उन ट्रांसफार्मरों, स्विचगियर तथा संबद्ध उपकरण में प्रयोग करने के लिए अप्रयुक्त संश्लिष्ट कार्बनिक एस्टर हेतु विशिष्टियाँ एवं परीक्षण पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनमें संश्लिष्ट कार्बनिक एस्टर ऊष्मारोधी के रूप में तथा ताप अंतरण हेतु अपेक्षित होते हैं ।

खाद्य सुरक्षा पर पूर्व–अपेक्षा कार्यक्रम–भाग 1 : खाद्य पदार्थों का विनिर्माण (आईएस / आईएसओ / टीएस 22002–1 : 2009)

यह मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किए गए आईएसओ / टीएस 22002–1 : 2009 'खाद्य सुरक्षा पर पूर्व अपेक्षा कार्यक्रम–भाग 1 : खाद्य पदार्थों के विनिर्माण' के समरूप है। इस मानक में खाद्य सुरक्षा जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद हेतु पूर्व अपेक्षा कार्यक्रमों के संस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। आकार और जटिलताओं पर ध्यान दिए बिना यह मानक ऐसे सभी संगठनों पर लागू होता है, जो खाद्य श्रृंखला के विनिर्माण क्रम में शामिल हैं तथा आईएसओ 22000 : 2005 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं से संबंधित पीआरपी कार्यान्वयन की इच्छा रखते हैं।

एमपीईजी–4 डीटीएच सेवाओं हेतु डिजिटल सेट टॉप बॉक्स – विशिष्टि (आईएस 15954 : 2012)

यह मानक केबल ऑपरेटर जैसे मध्यस्थों के बिना सीधे सब्सक्राइबरों के परिसरों में सैटेलाइट सिस्टम के उपयोग से भेजे गए मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइबरों द्वारा प्रयुक्त डीवीबी–एस ट्रांसमिशन हेतु एमपीईजी–4 कॉम्प्रेशन हेतु डिजिटल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है। इस मानक में सामान्य कार्यकारिता, सुरक्षा तथा विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी) की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट हैं ।

मोटर वाहनों के प्रयोग हेतु द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) कन्टेनर – विशिष्टि (आईएस 14899 – पहला पुनरीक्षण)

यह मानक वाहन नोदन के लिए वाहनों पर स्थायी रूप से लगे तथा उसी स्थिति में मोटर वाहन के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) हेतु भरने के लिए सभी वेल्डित इस्पात कन्टेनरों के डिजाइन, निर्माण तथा परीक्षण की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है ।

Keeping this aspect in view BIS has brought out 'IS 4209 Chemical laboratories – Code of safety' in the year 1966. This standard has recently been revised to upgrade it with respect to general guideline on safe disposal, incompatible materials and safe procedures to deal with spillage, electrical installations, and handling of chemicals at very low temperature taking into consideration the latest safety practices.

Insulating Liquids – Specifications for Unused Synthetic Organic Esters for Electrical Purposes (IS 16081 : 2013)

This standard covers the specification and test methods for unused synthetic organic esters for use in transformers, switchgear and similar related equipment in which synthetic organic esters are required as an insulant and for heat transfer.

Prerequisite Programmes on Food Safety – Part 1: Food Manufacturing (IS/ISO/TS 22002-1:2009)

This Indian Standard is identical with ISO/TS 22002-1:2009 'Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing' issued by the International Organization for Standardization (ISO). This Standard specifies requirements for establishing, implementing and maintaining prerequisite programmes (PRP) to assist in controlling food safety hazards. This Standard is applicable to all organizations, regardless of size or complexities, which are involved in the manufacturing step of the food chain and wish to implement PRP in such a way as to address the requirements specified in ISO 22000:2005.

Digital Set Top Box for MPEG-4 DTH Services-Specification (IS 15954:2012)

This standard specifies the requirements for a digital set top box (STB) for MPEG-4 compression for DVB-S transmission used by subscribers to receive multichannel television programmes transmitted using a satellite system direct to subscriber premises without passing through an intermediary such as a cable operator. This standard specifies General Performance, Safety and Electromagnetic Compatibility (EMC) Requirements.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers for Automotive Use – Specification (IS 14899 - First Revision)

This standard specifies the requirements of design, construction and testing of all welded steel containers for automotive liquefied petroleum gas (LPG) for vehicle propulsion, to be fixed permanently on the vehicle and filled in that position.

इस मानक में केवल मोटर वाहनों में प्रयुक्त होने वाले एलपीजी कंटेनरों की सामग्री, डिज़ाइन, निर्माण एवं कारीगरी, वेल्डिंग की आवृत्ति तथा रेडियोग्राफिक जाँच की सीमा, फिटिंग, ओपनिंग, ताप उपचार तथा यांत्रिक परीक्षण का विवरण दिया गया है ।

This standard give details for the material, design, construction and workmanship, the frequency and extent of radiographic examination of welds, fittings, opening, heat treatments and mechanical test of LPG container for automotive use only.

चिकित्सकीय गैस पाइपलाइन पद्धतियों की टर्मिनल इकाइयों से जुड़े प्रवाह मीटरिंग युक्तियाँ (आईएस/आईएसओ 15002:2008)

Flow metering Devices for Connection to Terminal Units of Medical Gas Pipeline Systems (IS/ISO 15002:2008)

चिकित्सीय गैस आपूर्ति पद्धति द्वारा रोगी को सीधे आपूर्ति की जाने वाली चिकित्सा गैस डिलीवरी हेतु प्रवाह मीटरिंग युक्तियाँ व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। यह आवश्यक है कि इन युक्तियों को तापमान की विभिन्न अवस्थाओं तथा अन्तर्वेशी दाब के तहत सही प्रवाह दें। अतः यह महत्वपूर्ण है इनके लिए प्रचालन संबंधी अभिलक्षण निर्दिष्ट किए जाएँ तथा इन को परिभाषित ढंग से परीक्षण किया जाए।

Flow metering devices are widely used for delivery of medical gases supplied by a medical gas supply system directly to a patient. These devices need to deliver accurate flows under varying conditions of temperature and inlet pressure. Therefore it is important that the operating characteristics be specified and tested in a defined manner.

इस मानक में प्रवाह मीटरिंग युक्तियों सुरक्षा (यांत्रिकी सामर्थ्य, अतिरिक्त दबाव को सुरक्षित ढंग से छोड़ना तथा प्रज्ज्वलन प्रतिरोध) गैस विशिष्टता, साफ–सफाई, सामग्री की उपयुक्तता, परिशुद्धता, परीक्षण, पहचान तथा वितरित सूचना पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ।

This Standard pays particular attention to safety (mechanical strength, safe relief of excess pressure and resistance to ignition), gas specificity, cleanliness, suitability of materials, accuracy, Testing, identification and information supplied to the flow metering devices.

कार्यस्थल पर सामाजिक दायित्व की अपेक्षाएँ (आईएस 16001 : 2012–पहला पुनरीक्षण)

Requirements for Social Accountability at the Work Place (IS 16001: 2012 - First Revision)

यह मानक पहली बार 2007 में प्रकाशित किया गया। यह प्रमाणन योग्य मानक है जो कार्यस्थल पर संगठन के विभिन्न कार्यों और दायित्वों के प्रभावी निर्वाह से संबंधित संगठन के दायित्वों हेतु निर्धारित किया गया है और यह सभी प्रकार, आकार, स्वामित्व या भौगोलिक रूप से अवस्थित संगठनों पर लागू है। इस मानक के संदर्भ में 'संगठन' शब्द व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया है जो केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें ऐसे सभी सरकारी, शैक्षणिक, चेरिटेबल ट्रस्ट अथवा सोसायटी, उपभोक्ता, उपभोक्ता सहकारी, गैर–सरकारी संगठन और अन्य प्रकार के संघ आते हैं जो अपने दायित्व के निर्वाह के लिए नियमित रूप से या ठेके पर भुगतान देने या अवैतनिक आधार पर कार्मिक रखते हैं ।

This standard was first published in 2007. It is a certifiable standard and deals with the accountability of an organization with regard to effective discharge of its various functions and responsibilities at workplace and is applicable to all organizations irrespective of type, size, ownership or geographical location. In the context of this standard, the word 'organization' is used in a wider perspective which does not only entail a business establishment but any organization, be it Government, Academic, Charitable Trust or Society, Consumer, Co-operative, NGO and Associations of any other kind, which engages personnel for discharge of its duties on a regular or contractual, paid or honorary basis.

इस मानक में भारतीय विशिष्ट अवस्थाओं से संबंधित एवं कार्यस्थल से संबद्ध प्रमुख घटकों की पहचान कर उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इस मानक का कार्यान्वयन कार्यस्थल पर ऐसी उत्तम रीतियों को प्रोत्साहन देगा, जो लागू राष्ट्रीय वैधानिक, विनियामक एवं वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन से भी अधिक व्यापक है ।

In this standard, core elements, which are specific to Indian conditions and relate to the workplace, have been identified and included. The implementation of this standard would promote good practices at the workplace which go beyond mere compliance with the applicable national statutory, regulatory and legal requirements.

देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनियाँ – (आईएस 16500 : 2012)

Devnagri Script and Hindi Spellings- (IS 16500:2012)

हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि एवं वर्तनियों में एकरूपता लाने तथा उसके विकास हेतु देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनियों पर भारतीय मानक बनाना अत्यधिक ज़रूरी था। यह भारतीय मानक 'देवनागरी लिपि एवं

Development of an Indian Standard on Devnagri script and Hindi spellings was very much needed for uniformity and development for Devnagri script and spelling system of Hindi

हिंदी वर्तनियों' पर केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पहले से ही विद्यमान प्रकाशन को अपनाकर प्रकाशित किया गया। इस मानक का विषय क्षेत्र 'देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनियों' के प्रयोग तक ही सीमित है ।

इससे एक समान अनुप्रयोग हेतु हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि एवं वर्तनी प्रणाली के लिए तकनीकी रूप से युक्तियुक्त भारतीय मानक प्रस्तुत किया है। इस मानक से इस विषय संबंधी लम्बे समय से चले आ रहे विवादों के अपेक्षित उपाय उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। इससे न केवल भारत बल्कि विश्वभर में शैक्षिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रचार करने तथा लिपि तथा वर्तनियाँ पढ़ाने में मदद मिलेगी।

language. This Indian Standard was published by adoption of already existing publication of Central Hindi Directorate, Ministry of HRD, Govt. of India, New Delhi on the 'Devnagri Script and Hindi Spellings'. The scope of this standard is limited to the usage of Devnagari script and Hindi spellings'.

With this, a technically sound Indian Standard has emerged for Devnagri Script and spelling system of Hindi language for uniform application. This standard is expected to provide the required solution to long pending conflicts on this subject. It will also provide a basis for other Devnagri languages. This will also help in propagating the Devnagri Script in Hindi and teaching the script and spellings in educational institutions and universities not only in India but also world over.

उन्नत भूकम्पीय प्रतिरोधिता वाले भवनों तथा संरचनाओं हेतु ढांचागत इस्पात (आईएस 15962 : 2012)

भूकम्प (आँधी और सुनामी) जैसे प्राकृतिक जोखिमों के प्रभाव से संरचनाओं की प्रतिरोधिता के लिए भूकम्परोधी संरचना बनाने पर ज़ोर दिया गया है। इससे संरचनात्मक इस्पात के उपयुक्त ग्रेड की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस मानक में अच्छी वेल्डिंग सुनिश्चित करने के लिए फास्फोरस एवं कम कार्बन के तुल्य जैसे नुकसानदायक तत्वों पर प्रतिबंध के लिए इस्पात प्लेटों, आकृतियों एवं सैक्शन (एंगलों, टी, बीम, चैनल इत्यादि), फ्लैट, छड़ों इत्यादि की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए प्रकाशित किया गया है। ये इस्पात वेल्डकृत, बोल्ट लगी एवं रिवट लगी संरचनाओं के लिए उपयुक्त हैं । इस मानक में शामिल ढांचागत इस्पात का अल्टीमेट तनन सामर्थ्य / लब्धि सामर्थ्य अनुपात पर प्रतिबंध सामग्रियों की प्लास्टिक ऊर्जा अवशोषित करना या एकसमान दीर्घीकरण के लिए मानदंड है जो महत्वपूर्ण सामग्रियों की क्षमता का प्रदर्शन करता है ।

Structural Steels for Buildings and Structures with Improved Seismic Resistance (IS 15962:2012)

In order to resist the structures from the effect of natural hazards like earthquakes (Cyclone and Tsunami), there has been emphasis on the construction of earthquake proof structures and there has been a greater demand for suitable grade of structural steel. Keeping the above in view, this standard was published to cover the requirements of steel plates, shapes and sections (angles, tees, beams, channels, etc), flats, bars, etc, having restriction on harmful elements, such as phosphorus and lower carbon equivalent to ensure good weldability. These steels are suitable for welded, bolted and riveted structures. The structural steel included in this standard specify restriction on Ultimate Tensile Strength/ Yield Strength ratio — an important parameter exhibiting materials capacity to absorb plastic energy or uniform elongation.

बर्तनों एवं रसोई के साधित्रों हेतु कम निकल ऑस्टेनिटिक स्टैनलेस स्टील चद्दरें तथा पत्तियों की विशिष्टि (आईएस 15997 : 2012)

देश में बर्तन और रसोई साधित्रों को कम निकल वाले ऑस्टेनिटिक स्टैनलेस स्टील का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। बर्तनों तथा रसोई उपकरणों के निर्माण हेतु कम निकल वाले ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील की चद्दरों एवं पत्तियों के निर्माण को सुकर बनाने हेतु यह मानक तैयार किया गया है ।

Specification for Low Nickel Austenitic Stainless Steel Sheet and Strip for Utensils and Kitchen Appliances (IS 15997:2012)

In the country utensils and kitchen appliances are manufactured in large quantity by using low nickel austenitic stainless steel. The standard was formulated to facilitate manufacture of low nickel austenitic stainless steel sheet and strips for manufacture of utensils and kitchen appliances.

बायो गैस (बॉयोमीथेन) की विशिष्टि (आईएस 16087 : 2013)

बायो गैस (बॉयोमीथेन) मुख्यतः मीथेन गैस है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जैविक – अपशिष्ट पदार्थों के अवायुजीवी पाचन से पैदा होती है। यह अपशिष्ट–पदार्थों से ईंधन बनाने की अपेक्षाकृत साधारण एवं सस्ती विधि है। यह पशु–गोबर, पशुपालन के अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट पदार्थ एवं जलमल अपशिष्ट इत्यादि जैसे बॉयोडिग्रेडेबल पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक उत्पाद हैं। इसमें प्रमुख तत्व मीथेन है जो लगभग

Specification for Biogas (Biomethane) (IS 16087:2013)

Biogas (Biomethane) is primarily methane gas which is generated from anaerobic digestion of organic wastes by micro organisms. It is relatively simple and economical method to produce a fuel from waste. It is a natural product produced from the biodegradable substrates like cattle dung, poultry waste, food waste, sewage waste etc. It has

50–70 प्रतिशत है लगभग 30–40 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड, अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं नमी होती है। प्रयुक्त पदार्थों पर निर्भर होने के कारण इसमें संघटकों की मात्रा भिन्न–भिन्न हो सकती है ।

यह मानक बायो गैस संघटन, गुणता मानदण्डों, तापीय अनुप्रयोगों, स्थिर गति इंजनों में अनुप्रयोगों, पाइप नेटवर्क के माध्यम से स्वचल वाहनों के अनुप्रयोगों तथा आपूर्ति हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराता है ।

खड़ंजा डॉगर (आईएस 73 : 2013–चौथा पुनरीक्षण)

इस मानक में पटरियों के निर्माण में बाइंडरों के रूप में प्रयुक्त होने वाले खड़ंजा ग्रेड डामरों के विभिन्न ग्रेडों की अपेक्षाएँ दी गई हैं। डॉमर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्यानता के अनुसार ग्रेडित किया जाता है। इस पुनरीक्षण में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्यानता मापन पर बल दिया गया है तथा तद्नुसार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भेदन की सीमाएँ तय की गई हैं। इस पुनरीक्षण ने डिजाइन अधिकतम वायु तापमान पर आधारित बाइंडर ग्रेड को श्रेणीकृत करके बाइंडर चयन प्रकिया को यथार्थपरक बनाया है। विशिष्टि के अनुपालन के लिए अब तन्यता परीक्षण अनिवार्य नहीं है।

उपभोक्ता सामानों हेतु फास्टनर – सिंथेटिक हूक एवं लूप टेप (आईएस 8156–दूसरा पुनरीक्षण)

प्रौद्योगिकी की उन्नति से सिंथेटिक हूक एवं लूप टेप बहुत विविधता पूर्ण क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती हैं। ये क्रांतिकारी फास्टनर सेफ्टी पिनों के स्थान पर बच्चों के डायपर हेतु प्रयुक्त किए जाने के लिए ज्यादा मुलायम है तथा यहाँ तक कि एयरक्रॉफ्ट एवं स्पेससिपों तथा अब घरेलू फास्टनर के रूप में उपयोग के लिए पर्याप्त मजबूत तथा विश्वसनीय हैं।

यह मानक मूलतः 1976 में जारी किया गया था तथा बाद में 1981 एवं 1994 में पुनरीक्षित किया गया। यह तीसरा पुनरीक्षण भारतीय उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचलित रीति पर आधारित है। इस मानक में सामग्रियाँ, निर्माण के प्रकारों, निर्माण, कारीगरी एवं फिनिश, कार्यकारिता, रंगाई एवं लेपन की अपेक्षाएँ शामिल की गई हैं। इस वर्तमान पुनरीक्षण में सामग्री, सामर्थ्य एवं सिकुड़न के मानों संबंधी संशोधन शामिल हैं तथा डॉट टीयर सामर्थ्य परीक्षण, अल्ट्रासोनिक सीलिंग रंगाई तथा पैकिंग अपेक्षाओं को जोड़ा गया है ।

कृषि–वस्त्रादि – कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ हेतु शेडों की जालियाँ– विशिष्टि (आईएस 16008 : 2012)

शेड की जालियाँ विशेषतः भारत, जैसे देश में कृषि एवं बागवानी अनुप्रयोग के लिए अधिकांशतः प्रयोग की जाती हैं, जहाँ सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी फसलों को नुकसान पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं तथा काफी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं। वर्षभर धीमे धीमे, किन्तु, निरंतर बढ़ते हुए तापमान सहित विविधता युक्त जलवायु अवस्थाओं में शेड की जालियों की जरूरत काफी बढ़ जाती है।

methane as the main component around 50-70 percent, Carbon dioxide around 30-40 percent, Hydrogen Sulphide and moisture in trace quantities. It varies in composition depending upon the substrates used.

This standard provides general guidelines for the biogas composition, quality parameters, thermal application, applications in stationary engines, automotive applications and supply through piped networks.

Paving Bitumen (IS 73: 2013 - Fourth Revision)

This standard prescribes the requirements of various grades of paving grade bitumen for use as binders in the construction of pavements. Bitumen is graded by viscosity at 60°C. In this revision, emphasis has been given to viscosity measurement at 60°C, accordingly limits for penetration at 25°C has been stipulated. This revision has also rationalized the binder selection process by categorizing the binder grade based on design maximum air temperature. Ductility test is no longer mandatory for specification compliance.

Fasteners for Consumer Goods - Synthetic Hook and Loop Tape (IS 8156 Second Revision)

With the advancement of technology, the synthetic hook and loop tapes are used in more diversified fields. These revolutionary fasteners are gentle enough to be used in baby's diapers replacing safety pins and yet sturdy and reliable enough to be used even in aircrafts and space-ships and now as household fasteners.

This standard was originally issued in 1976 and subsequently revised in 1981 and 1994. This third revision is based on the prevalent practice followed by the Indian industry. The standard covers materials, construction types, manufacture, workmanship, and finish, performance, dyeing and coating requirements. In the present revision, modifications with regard to material, values of strength and shrinkage and addition of dot tear strength test, ultrasonic sealing dyeing and packing requirement have been made.

Specification for Agro Textiles – Shade Nets for Agriculture and Horticulture Purposes (IS 16008:2012)

The shade nets are mostly used for agriculture and horticulture applications particularly in countries like India where the scorching heat of the sun plays a major role in damaging the crops by sun burning and thus causing severe financial losses. The varying climatic conditions throughout the year together with the slow but constant rising temperature in the

शेड जालियाँ दिनभर की तेज गर्मी के एकत्रित होने से बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने व रात के कम होते तापमान को सहने में मदद करती हैं। इससे ऑफ–सीजन में फलों एवं सब्जियों को पकाने में मदद मिलती है। यह हवा से बचाव में ढाल का काम करती है और छोटे पौधों को क्षति से बचाती है।

वस्त्रादि–जूट सैकिंग – सामान्य अपेक्षाएँ (आईएस 9113: 2012–दूसरा पुनरीक्षण)

इस मानक में जूट के सैकिंग तथा बोरों की पारिभाषिक शब्दावली, सामान्य अपेक्षाएँ, पैकिंग, मुहरांकन, नमूना लेना, निरीक्षण तथा अनुरूपता हेतु मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इस मानक में भंडारण और एंड उपयोग के दौरान असफलता को न्यूनतम करने के लिए वर्गीकृत बड़े व छोटे दोषों को शामिल किया गया है।

पॉवर हाउस–स्थलों के लिए भू–तकनीकी अन्वेषण – रीति संहिता (आईएस 10060 : 2013–पहला पुनरीक्षण)

देश में पॉवर की बढ़ती मांग के साथ बड़ी संख्या में पॉवर हाउसों का निर्माण किया जा रहा है। इन पॉवर हाउसों की आयोजना, डिजाइन तथा निर्माण की प्रमुख अपेक्षाओं में से एक समुचित एवं पर्याप्त उप–सतह का अन्वेषण है। उप–सतह तथा संबद्ध स्थल अन्वेषण का उद्देश्य इंजीनियर को भूमि की अवस्थाओं के बारे में यथासंभव अधिकतम जानकारी प्रदान करना है। यह मानक जल विद्युत पॉवर हाउस, सतह पर तथा भूमिगत, दोनों के संदर्भ में अपेक्षित, उप–सतह गवेषण के प्रकार, सीमा तथा विवरणों पर दिशा निर्देश देता है। इस प्रकार, यह मानक परियोजना विकास की विभिन्न अवस्थितियों में, गवेषण कार्य की आयोजना के मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराता है। इन सिफारिशों को निजी परियोजना ध्यान में रखकर संशोधित किया जा सकता है, जो प्रत्येक परियोजना की विशिष्ट स्थल अवस्थाओं तथा अन्य अवस्थाओं, जैसे पॉवर–हाउस की ऊँचाई तथा महत्व तथा नींव निर्माण की विषमता के अनुरूप हों।

मानकों की समीक्षा

आवश्यकतानुसार अपेक्षित होने पर मानकों की समीक्षा की जाती है, परंतु पाँच वर्षों में कम से कम एक बार यह देखा जाता है कि क्या ये मानक अभी भी प्रासंगिक हैं और इन्हें पुनर्पुष्ट करने, पुनरीक्षित करने, इनके संशोधन जारी करने, उन्हें अप्रचलित घोषित करने या वापस लेने संबंधी उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार किया जाता है । वर्ष के दौरान 3734 मानकों की समीक्षा की गई।

सुमेलन

भारत बाजार परिदृश्य में विश्व प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना कर रहा है । विश्व बाजार में बने रहने के लिए भारतीय मानकों को यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से सुमेलित करना महत्वपूर्ण है। भारत

summer months prove the need for shade nets to maximize growth and crop yields. The shade nets help in controlling the temperature by accumulating the day heat to withstand the low temperatures of night thus help in off season ripening of fruits and vegetables. It also acts as a wind shield and prevents damage to young plants.

Textiles – Jute Sacking – General Requirements (IS 9113:2012 - Second Revision)

This standard specifies terminology, general requirements, packing, marking, sampling, inspection and criteria for conformity of jute sacking fabrics and bags. In this standard classified major and minor defects have been incorporated to minimize failures during storage and end use.

Geotechnical Investigation for Power House Sites - Code of Practice (IS 10060:2013- first revision)

With the increasing demand for power in the country, an increasingly large number of power houses are being built. One of the major requirements in planning, design and construction of these power houses is proper and adequate subsurface investigation. The object of subsurface and related site investigation is to provide the engineer with as much information as possible about the ground conditions. This standard gives guidance on the type, extent and details of subsurface exploration needed in connection with hydroelectric power houses both surface and underground. This standard also provides guidelines for planning the exploratory work through various stages of the project development. These recommendations may have to be modified for individual projects, depending upon the site conditions and other conditions peculiar to each project, such as height, importance of the power house and the heterogeneity of foundation formations.

Review of Standards

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years to establish whether these standards are still current and to take appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdrawal. During the year 3734 standards were reviewed.

Harmonization

In the market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with international standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) or International

व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के लिए डब्ल्यूटीओ करारनामे पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। करार के अनुसार डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करना अपेक्षित है। तथापि, राष्ट्रीय मानक बनाते समय देश के सरोकार से जुड़े स्वास्थ्य, निरापदता, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, धोखेबाज़ी की प्रवृत्तियों के निवारण संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया/शामिल किया जा सकता है। भा. मा. ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानक, जहाँ वे विद्यमान हैं, को मानक निर्धारण का आधार बनाता है। अब तक भा. मा. ब्यूरो ने 5065 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सुमेलित किया है। जहाँ संगत आईएसओ/आईईसी मानक विद्यमान हैं- के समरूप मानकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगभग 85 प्रतिशत मानकों को सुमेलित किया जा चुका है ।

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन हेतु संगोष्ठियाँ

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भा. मा. ब्यूरो पहचाने गए सेक्टरों में संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित करता है। स्टेकहोल्डर जैसे निर्माता, उपयोगकर्ता, अनुसंधान एवं विकास संगठन, सरकारी संस्थाएँ और अन्य भाग लेते हैं। बेहतर कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्ध मानकों की जानकारी के वितरण के उद्देश्य से 32 संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित की गई। ये अधिकांशतः विभिन्न औद्योगिक समूहों के केंद्र में आयोजित की गई तथा विशिष्ट उद्योग सूचना संबंधी जानकारियाँ प्रचारित की गई। इन कार्यक्रमों के दौरान वर्तमान मानकों में सुधार के लिए स्टेक होल्डरों की राय एवं सुझाव तथा नए मानकों के विकास हेतु विषयों की पहचान की गई ।

आयोजित की गई संगोष्ठियों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

Electrotechnical Commission (IEC). Further, India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered/ incorporated while formulating National Standards. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for standards development. So far BIS has harmonized 5065 Indian Standards with International Standards. Considering number of standards where corresponding ISO or IEC Standards exist, about 85 percent of Indian Standards are harmonized.

Seminars for Implementation of Indian Standards

To intensify the implementation of Indian standards BIS organizes seminars/ conferences/ workshops in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R and D organizations, Government institutions and others participate. In all 32 seminars/ conferences/ workshops were conducted to disseminate information on standards available in specific fields for increased implementation. These were mostly conducted in industrial clusters and specific industry information was disseminated. During these programs opinions and suggestions of stakeholders for improvement in the existing standards and for identification of subjects for development of new standards were taken.

Highlights of the seminars conducted are as under:

खाद्य निरापदता – मानकों की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ

National Seminars on 'Food Safety – Role of Standards'

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने दिनांक 12 दिसम्बर 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा

Shri Pranab Mukherjee, The Hon'ble President of India, inaugurated the National Seminar on 'Food Safety - Role

आयोजित 'खाद्य निरापदता – मानकों की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय केन्द्रीय (स्वतन्त्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार से भारतीय मानक 16066 : 2012, खोमचे पर फल विक्रेता – खाद्य निरापदता अपेक्षाएँ' पर भारतीय मानक की पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय को दी। इस अवसर पर पद्म विभूषण प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य, श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग एवं श्री अफजल अमानुल्लाह, महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो भी उपस्थित थे।

खाद्य निरापदता संबंधी भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठियों की श्रृंखला में यह अंतिम संगोष्ठी थी । इस श्रृंखला की अन्य संगोष्ठियाँ कोच्ची, चेन्नै, मुम्बई तथा कोलकाता में क्रमशः दिनांक 28 मई 2012, 20 जून 2012, 25 जून 2012 तथा 10 जुलाई 2012 को आयोजित की गई । इन संगोष्ठियों का उद्घाटन क्रमशः प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय केन्द्रीय (स्वतन्त्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, महामहिम डॉ. के. रोज्जैया, राज्यपाल, तमिलनाडु, महामहिम श्री के. शंकरनारायणन, राज्यपाल, महाराष्ट्र तथा महामहिम श्री एम.के. नारायणन, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया।

दिनांक 28 मई 2012 को कोच्ची में आयोजित प्रथम संगोष्ठी में प्रो. के. वी. थॉमस ने आईएस 16019 : 2012 आईएस – खाद्य पदार्थ फुटकर प्रबंध – आधारभूत अपेक्षाएँ, आईएस 16020 आईएस – खाद्य पदार्थ निरापदता प्रबंधन अच्छी स्वास्थ्यकर अपेक्षाएँ तथा 16021 : 2012 आईएस – उत्तम विनिर्माण रीतियाँ (जीएमपी) – खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में संगठनों की अपेक्षाएँ जारी किए थे। इन मानकों से संबंधित जानकारी के साथ ही आईएस 16066 : 2012 संबंधी भारतीय मानक – 'खोमचे पर फल विक्रेता – खाद्य पदार्थ निरापदता अपेक्षाएँ' इन संगोष्ठियों के तकनीकी सत्रों के दौरान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, आम खाद्य पदार्थ/उत्पादों में मिलावटों का तुरन्त पता लगाने की विधियों संबंधी जानकारी भी प्रसारित की गई ।

तकनीकी सत्रों के उपरांत परस्पर विचार–विमर्श भी किया गया, जिनमें विशेषज्ञों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों तथा प्रश्नों पर शिष्ट मंडलों द्वारा विचार–विमर्श किया गया, जिन्हें संबंधित विशेषज्ञों द्वारा समुचित रूप से हल किया गया ।

भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के विशेष संदर्भ में सिविल इंजीनियरिंग में भारतीय मानक संबंधी जागरूकता पर कार्यशाला

विभिन्न भारतीय मानकों एवं भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) के प्रति गहरी समझ एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जागरूकता लाने के सतत प्रयासों के भाग के रूप में भा. मा. ब्यूरो तथा द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया),

of Standards' organized by the Bureau of Indian Standards at Vigyan Bhawan, New Delhi on 12 December 2012. The Hon'ble President also received the first copy of IS 16066: 2012, Indian Standard on 'Street Food Vendors - Food Safety Requirements' from Prof. K. V. Thomas, Union Minister of State (Independent Charge) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on the occasion. Padma Vibhushan Prof M.S. Swaminathan, Member of Parliament, Shri Pankaj Agrawala, Secretary, Department of Consumer Affairs and Shri Afzal Amanullah, Director General, Bureau of India Standards were also present on the occasion.

The seminar was the culmination of the series of national seminars organized by Bureau of Indian Standards to create awareness on the Indian Standards on food safety. The other seminars in the series were organized at Kochi, Chennai, Mumbai and Kolkata on 28 May 2012, 20 June 2012, 25 June 2012 and 10 July 2012 respectively. These seminars were inaugurated by Prof. K. V. Thomas, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India; His Excellency, Dr. K. Rosaiah, the Governor of Tamil Nadu; His Excellency, Sh. K. Sankaranarayanan, the Governor of Maharashtra and His Excellency, Sh. M. K. Narayanan, the Governor of West Bengal respectively.

In the first seminar held at Kochi on 28 May 2012, Prof. K. V. Thomas had released IS 16019 : 2012 Indian Standard – Food Retail Management — Basic Requirements , IS 16020 : 2012 Indian Standard – Food Safety Management – Requirements for Good Hygiene Practices and IS 16021 : 2012 Indian Standard – Good Manufacturing Practices (GMP) — Requirements for Organizations in the Food Processing Sector. Information on these Indian Standards as well as on IS 16066: 2012, Indian Standard on 'Street Food Vendors - Food Safety Requirements' was provided during the technical sessions of these seminars. In addition, information on quick methods of detection of adulterants in common food products was also disseminated.

The technical sessions were followed by an interaction during which the delegates deliberated on the presentations made by the experts and raised queries and questions which were appropriately resolved by the concerned expert.

Workshop on Awareness of Indian Standards in Civil Engineering with Particular Reference to National Building Code of India 2005

As a part of the sustained efforts to bring awareness about various Indian Standards and National Building Code of India (NBC) with a view to ensuring their deeper understanding and effective implementation, a one day

छत्तीसगढ़ राज्य सेन्टर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27 अप्रैल 2012 को रायपुर में 'भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2005 विशेषतः सिविल इंजीनियरिंग पर भारतीय मानक जागरूकता' पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में इस पर जोर दिया गया कि तेजी से होते शहरीकरण में काम्पलेक्स बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इनमें क्रमबद्ध तथा सुनिश्चित विकास/तैयारी सुनिश्चित करने में मदद करने से लेकर आपदा के परिणामों से बचने तक में एनबीसी 2005 का अनुपालन अनिवार्य है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी वास्तुकार, अभियंता, सरकारी निर्माण विभाग तथा निजी निर्माण एजेंसियों को भारतीय मानकों एवं एनबीसी 2005 के प्रावधानों का इनके वास्तुशिल्प में अनुपालन करना चाहिए। तकनीकी सत्रों में सिविल इंजीनियरिंग तथा भवन निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय मानकों के विभिन्न प्रावधानों तथा नवीनतम विकासों एवं एनबीसी 2005 के प्रावधानों के बारे में बताया गया तथा चर्चा की गई। उपरोक्त कार्यशाला में पीडब्ल्यूडी, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर वितरण कं. लि., राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, रायपुर, भिलाई तकनीकी संस्थान, वास्तुकारों, सिविल इंजीनियरों, संरचना इंजीनियरों, परामर्शदाताओं, बिल्डरों, बिल्डिंग मैटेरियल निर्माताओं इत्यादि के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Workshop on **'Awareness of Indian Standards in Civil Engineering with Particular Reference to National Building Code of India 2005'** was organized at Raipur on 27 April 2012 jointly by BIS and the Institution of Engineers (India), Chhattisgarh State Centre. In the Workshop, it was emphasized that, with the rapid urbanization, all types of buildings including complex building occupancies are being built, which mandated compliance to NBC 2005 to avoid disastrous consequences apart from helping in ensuring orderly and well planned developments. It was stressed that all the architects, engineers, Govt construction departments and private construction agencies should scrupulously follow the provisions of Indian Standards and NBC 2005. In the technical sessions, various provisions and latest developments in Indian Standards on various aspects of civil engineering and building construction and provisions of NBC 2005 were explained and discussed. Around 100 delegates representing PWD, Govt of Chhattisgarh, Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd, National Institute of Technology, Raipur, Bhilai Institute of Technology, architects, civil engineers, structural engineers, consultants, builders, building material manufacturers, etc participated in the above workshop.

भारतीय पॉवर उपादेयता हेतु आईटी वास्तुशिल्प पर संगोष्ठी

दिनांक 30 मई 2012 को केन्द्रीय सिंचाई एवं पावर बोर्ड (सीबीआईपी) 'भारतीय पॉवर उपादेयता हेतु आईटी संरचना' पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में पॉवर उपादेयता (पॉवर ग्रिड, एचटीसीपी तथा रिलायंस) भारत से आईआईटी दिल्ली जैसे शैक्षिक संस्थानों, एनपीटीआई, आईटी कंपनियों, जैसे इन्फोसिस एंड टीसीएस के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसमें तीन तकनीकी सत्र थे, जिनमें 12 वक्ताओं ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

Seminar on IT Architecture for Indian Power Utilities

A seminar on 'IT Architecture for Indian Power Utilities' was held at Central Board of Irrigation and Power (CBIP), New Delhi on 30 May 2012. The Seminar was attended by representatives from power Utilities (Power Grid, NTPC and Reliance), academic institutes like IIT Delhi, NPTI, IT Companies like Infosys and TCS from all over India. There were three technical Sessions in which 12 speakers gave presentations.

'देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनियों' पर भारतीय मानक जारी करना (आईएस 16500 : 2013–पहला पुनरीक्षण)

श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने भा. मा. ब्यूरो नई दिल्ली में दिनांक 29 अगस्त 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पब्लिक डोमेन 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी' भा. मा. 16500 : 2012 पर भारतीय मानक जारी किया। यह मानक विशेषतः विदेश से तथा भारत के अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी सीखने के इच्छुक छात्रों, अध्यापकों, लेखकों, विद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों तथा छात्रों हेतु उपयोगी होगा। यह हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि तथा वर्तनी पद्धति के विकास में अत्यावश्यक एकरूपता उपलब्ध करायेगा।

Release of Indian Standard on 'Devnagri Lipi & Hindi Spellings' (IS 16500:2012)

Shri Rajiv Agrawal, the then Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India released the Indian Standard on 'देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी' (Devnagri Script and Hindi Spellings) - IS 16500:2012 in public domain in a function organized by the Bureau of Indian Standard on 29 August 2012 at BIS, New Delhi. This standard would be useful for students particularly who are interested in learning Hindi specially from abroad and non-Hindi speaking states of India, teachers, writers, scholars, educational institutions and the students. This standard would provide much needed uniformity in development for Devnagri script and spelling system of Hindi language.

तकनीकी वस्त्रादि के संवर्द्धन में मानकों की भूमिका

'तकनीकी वस्त्रादि के संवर्द्धन में मानकों की भूमिका' पर एक संगोष्ठी पंजाब टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से दिनांक 21 नवम्बर 2012 को अमृतसर में आयोजित हुई। संगोष्ठी में पंजाब वस्त्रादि उद्योगों के प्रतिनिधियों, तकनीकी परामर्शदाताओं, उपभोक्ताओं तथा संस्थान तथा गुरूनानक देव विश्वविद्यालय की संकाय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए ।

Role of Standards in Promotion of Technical Textiles

A Seminar on "Role of Standards in Promotion of Technical Textiles" was organized at Amritsar on 21 November 2012 in association with Punjab Institute of Textile Technology. The seminar was attended by representatives of the textile industry in Punjab, technical consultants, consumers and faculty of the institute and Guru Nanak Dev University.

'हिमालय क्षेत्र में बाँधों एवं स्पिवेज' पर संगोष्ठी

दिनांक 30 नवम्बर 2012 को नई दिल्ली में 'हिमालय क्षेत्र में बाँधों एवं स्पिवेज' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। हिमालय क्षेत्र में बाँधों एवं स्पिवेज से संबद्ध वर्तमान मुद्दों पर वैज्ञानिक समुदायों के विभिन्न समूहों के बीच सुझावों एवं जानकारी के परस्पर आदान–प्रदान हेतु अवसर प्रदान करने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में 70 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए संगोष्ठी के दौरान बारह तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए ।

Seminar on 'Dams and Spillways in Himalayan Regions'

A seminar was organized on 'Dams and Spillways in Himalayan Regions' on 30 November 2012 at BIS, New Delhi. The seminar was organized to provide an opportunity for exchange of ideas and knowledge between diverse groups of the scientific community concerned with the current issues relating to dams and spillways in Himalayan regions. The seminar was attended by more than 70 delegates. Twelve technical papers were presented during the seminar.

नदी घाटी परियोजनाओं संबंधी बाँधों एवं स्पिवेज के निर्माण एवं अनुरक्षण के दौरान भूवैज्ञानिक अन्वेषणों, आयोजना एवं डिजाइन संबंधी विषयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतियों के दौरान चर्चाएँ की गई ।

Different aspects related to geological investigations, planning and design aspects, challenges during construction and maintenance of dams and spillways and related aspects for the river valley projects were discussed during the presentations.

विशेष काँच एवं चीनी मिट्टी के पात्रों के निर्माण में नवीनतम प्रवृत्तियों पर संगोष्ठी

विशेष काँच एवं चीनी मिट्टी के पात्रों के निर्माण में नवीनतम प्रवृत्तियों पर संगोष्ठी दिनांक 11 दिसम्बर 2012 को कोलकाता में भा. मा. ब्यूरो और केन्द्रीय काँच एवं चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य इस विषय से संबंधित नए भारतीय मानक के निर्धारण के लिए नए विषय लेने की दृष्टि से विशेष कांच एवं चीनी मिट्टी के पात्रों निर्माण संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना था।

Seminar on Latest trend in Speciality Glass and Ceramics

A seminar on Latest trend in speciality Glass and Ceramics was organized jointly by BIS and Central Glass and Ceramic Research Institute on 11 December 2012 at Kolkata. The main objective of the Seminar was to disseminate the information regarding Specialty Glass and Ceramics with a view to undertake few subjects for formulation of new Indian Standards.

संगोष्ठी में शामिल शीर्षकों 'सौर ऊर्जा हेतु काँच निर्माण तथा संबद्ध अनुप्रयोग संबंधी विचार, 'अग्नि प्रतिरोधी काँच – काँच एवं अग्नि प्रतिरोधन कार्यकारिता एवं आधुनिक युग की वास्तुकला में इसकी प्रासंगिकता' वास्तुकला संबंधी काँच और ग्लेजिंग–इमर्जिंग डाइरेक्शन्स, "आस्तर सामग्री के रूप में चीनी मिट्टी पात्रों के निर्माण का इमर्जिंग विस्टाँस – मैटेरियल प्रस्तुत औद्योगिक उपकरण में सोल्यूशन वीयर प्रॉब्लम का समाधान, 'काँच – चीनी मिट्टी पात्रों के निर्माण सहित उन्नत चीनी मिट्टी पात्र निर्माण – प्रक्रमण की भूमिका, 'काँच एवं चीनी मिट्टी पात्र निर्माण पर राष्ट्रीय मानक का विकास' संगोष्ठी में विभिन्न कार्यकारी सेक्टरों, चीनी मिट्टी पात्र निर्माण एवं काँच उद्योग तथा स्थानीय भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस धारकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए ।

Topics covered in the seminar were on 'Challenges in Solar Glass Manufacturing and related applications considerations', 'Fire Resistant Glass- Glass and Fire Performance and its relevance in modern day architecture', Architectural Glass and Glazing - Emerging directions', 'Emerging Vistas of Ceramics as a lining material- a solution to wear problem in material handling industrial equipment', 'Advanced ceramics including glass - Ceramics - Role of processing', 'Development of National standards on glass and ceramics'. The Seminar was attended by representatives from different working sectors, the ceramic and glass industries and local BIS Certification Marks Licensees.

'अग्नि विमंदक वस्त्रादि – मानक एवं विनियमन' पर संगोष्ठी

Seminar on Fire Retardant Textiles- Standards and Regulation

दिनांक 14 दिसम्बर 2012 को मुम्बई में 'अग्नि विमंदक वस्त्रादि – मानक एवं विनियमन' पर संगोष्ठी आयोजित की गई ।

'अग्नि विमंदक वस्त्रादि' संबंधी मानक पर एक पेपर प्रस्तुत किया गया।

A seminar on 'Fire retardant textiles - Standards and regulation' was held on 14 December 2012 at Mumbai.

A paper on 'Standards on Fire retardant textiles' was presented. August gathering was appraised of the latest Indian Standards on the subject.

'जलाशयों में अवसादन' पर संगोष्ठी

Seminar on 'Sedimentation in Reservoirs'

दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को भा. मा. ब्यूरो, नई दिल्ली 'जलाशयों में अवसादन' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वर्तमान भारतीय मानकों के बारे में जानकारी के प्रचार, साथ ही उत्तम रीतियों तथा नए विकास के मानकीकरण के बारे में सुझाव मंगाने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई । संगोष्ठी में 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान तकनीकी सत्रों में 9 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए।

प्रतिवेदनों के दौरान एडवांस हाइड्रोग्राफिक सर्वे सिस्टम द्वारा इसका आँकलन तथा हिमालय तथा नॉन–हिमालय क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस अप्रोच, अवसादन प्रबंधन रीतियाँ, हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं हेतु डीसिल्टिंग मैकेनिज्म एवं अवसादन नियंत्रण, प्रबंधन एवं निवारण में वर्तमान मानकीकरण संरचना सहित जलाशयों में अवसादन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

A seminar was held on Sedimentation in reservoirs on 21 December 2012 at BIS, New Delhi. The seminar was organized with the aim of providing an opportunity for dissemination of information about existing Indian standards as well as for seeking ideas about standardization of the best practices and new developments in the field of reservoir sedimentation. The seminar was attended by more than 60 delegates. Nine technical papers were presented in the two technical sessions during the seminar.

Different issues related to reservoir sedimentation including its estimation by Advanced Hydrographic Survey System and Remote Sensing and GIS Approach, Sediment Management Practices in Himalayan and non-Himalayan regions, Desilting mechanisms for hydropower projects and the current standardization structure in Sedimentation control, management and prevention were discussed during the presentations.

'सिलाई मशीनों हेतु मानकीकरण' पर संगोष्ठी

Seminar on 'Standardization for Sewing Machines'

दिनांक 30 जनवरी 2013 को लुधियाना में 'सिलाई मशीनों हेतु मानकीकरण' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का उद्देश्य इस विषय पर नवीनतम मानकीकरण गतिविधियों के बारे में विभिन्न स्टेकहोल्डरों को बताना, भारतीय मानकों के कार्यान्वयन हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित

A Seminar on 'Standardization for Sewing Machines' was organized on 30 January 2013 at Ludhiana. The objectives of the Seminar were to apprise the various stakeholders about the latest standardization activities on the subject, to encourage industries for implementation

करना तथा भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में बताना था ।

संगोष्ठी में उद्योगों, आरएंडडी संस्थानों, सरकारी विभागों, स्थानीय मीडिया तथा इन मानकों के वास्तविक उपयोगकर्ता से संबंधित 60 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे ।

इंटेलीजेंट यातायात पद्धतियों में मानकों की भूमिका संबंधी संगोष्ठी

नई दिल्ली में दिनांक 15 फरवरी 2013 को इंटेलीजेंट यातायात पद्धतियों पर मानकों की भूमिका' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई । इस संगोष्ठी में प्रमुख इंटेलीजेंट यातायात प्रणाली (आईटीएस) की युक्ति एवं वाहन निर्माताओं/वितरकों, घटकों के निर्माताओं तथा उनके संघों, उपभोक्ताओं, संबद्ध मंत्रालयों, संस्थानों, प्रमुख परामर्शदाताओं, विनियामक निकायों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के 80 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे ।

बोल्ट, नट और फास्टनर सहायक सामग्री के क्षेत्र में मानकीकरण' पर संगोष्ठी

लुधियाना में 19 फरवरी 2013 को बोल्ट, नट और फास्टनर सहायक सामग्री के क्षेत्र में मानकीकरण' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बोल्ट, नट एवं फास्टनर सहायक सामग्री के विशेषज्ञ, निर्माताओं एवं उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में लगभग 100 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

परियोजना प्रबंध – नवीनतम प्रवृत्तियों और रीतियों' पर संगोष्ठी

भारतीय मानक ब्यूरो (भा. मा. ब्यूरो) ने भारतीय मानक आईएस 7337 'परियोजना प्रबंध – पारिभाषिक शब्दावली' एवं आईएस 14580 (भाग 1 एवं 2) परियोजना प्रबंध पर तैयार किए हैं, जिसमें परियोजना की आयोजना से परियोजना की समाप्ति तक, परियोजना प्रबंधन के विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। भा. मा. ब्यूरो ने आईएसओ 21500 'परियोजना प्रबंध पर मार्गदर्शी सिद्धांत' भी अपनाया है। ये मानक परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन में संगठनों की सहायता करेंगे। अभी हाल ही में विश्वभर में परियोजना प्रबंध को सर्वोच्च महत्ता मिल रही है। इस विषय की महत्ता को समझते हुए नई दिल्ली में दिनांक 22 फरवरी 2013 को 'परियोजना प्रबंध' की नवीनतम प्रवृत्तियाँ और रीतियाँ' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, व्यावसायियों, संगठनों द्वारा चलाई जा रही प्रतिष्ठित परियोजना के विख्यात वक्ताओं और व्यावसायिकों को अपने विचारों का आदान–प्रदान करने, परस्पर चर्चा करने एवं सीखने के लिए एक मंच प्राप्त हुआ। संगोष्ठी में लगभग 100 प्रतिभागी उपस्थित हुए, जिनमें परियोजना प्रबंध (पीएम) के व्यावसायी, शिक्षाविद् एवं विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी संगठनों से संबंधित अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे ।

'पम्प–मानकीकरण' पर संगोष्ठी

दिनांक 22 फरवरी 2013 को कोयम्बटूर में 'पम्प–मानकीकरण' पर परस्पर संवाद हेतु संगोष्ठी आयोजित की गई । संगोष्ठी में पम्प

of Indian Standards and obtain BIS Certification Marks License.

The seminar was attended by more than 60 participants from industries, R&D institutions, Government departments, local media and actual users of these standards.

Seminar on 'Intelligent Transport Systems-Role of Standards'

One day seminar on 'Intelligent Transport Systems - Role of standards' was organized on 15 February 2013 at New Delhi. This seminar was attended by over 80 participants from various stakeholders including major Intelligent Transport Systems (ITS) device and vehicle manufacturers/ suppliers, components manufacturers and their associations, consumers, associated ministries, institutions, leading Consultants, regulatory bodies.

Seminar on Standardization in the field of Bolts, Nuts and Fasteners Accessories

A seminar on 'Standardization activities in the field Bolts, Nuts and Fasteners Accessories' was organized on 19 February 2013 at Ludhiana. The seminar was attended by around 100 participants consisting of experts, manufacturers and users of Bolts, Nuts and Fasteners Accessories.

Seminar on 'Project management – Recent Trends and Practices'

The Bureau of Indian Standards (BIS) has formulated Indian Standards IS 7337 'Project Management – Glossary of terms' and IS 14580 (Parts 1 and 2) on Project Management, which contains various provisions for project management from planning to termination of the project. BIS has also adopted ISO 21500 'Guidance on Project Management'. These standards will help the organization in effective execution of projects. In recent times, Project Management is gaining paramount importance worldwide. Realising the Importance of this subject, a seminar on 'Project Management – Recent Trends and Practices' was organized by BIS on 22 February 2013 at New Delhi to provide a platform to the professionals in this field to share, interact and learn from eminent speakers and professionals from reputed project driven organizations. The seminar was attended by about 100 participants comprising project management (PM) practitioners, academicians, and others belonging to various public and private organizations.

Seminar on 'Pumps - Standardization'

An Interactive Seminar on 'Pumps - Standardization' was organized 22 February 2013 at Coimbatore. The seminar

निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं, भा. मा. ब्यूरो के लाइसेंसधारकों, संबद्ध सरकारी विभागों एवं भा. मा. ब्यूरो के अधिकारियों जैसे स्टेक होल्डरों के लगभग 100 प्रतिभागी उपस्थित हुए ।

भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 में टिकाऊपन पर शामिल नए अध्याय पर संगोष्ठी

भा. मा. ब्यूरो ने टिकाऊपन पर नया अध्याय शामिल करने के लिए भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 11 'टिकाऊपन के प्रति दृष्टिकोण' नामक अध्याय जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ की है। संबंधित तकनीकी समितियों की कई बैठकों के बाद उपरोक्त अध्याय का मसौदा तैयार किया गया है तथा सार्वजनिक सम्मतियाँ प्राप्त करने हेतु इसे व्यापक रूप से जारी किया गया। इस नए अध्याय में शामिल प्रावधानों एवं अपनाए जा रहे दर्शन और स्टेकहोल्डरों से इसके बारे में फीडबेक लेने तथा नए अध्याय की जानकारी के प्रसार के प्रयोजन से भारतीय मानक ब्यूरो ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टीटेक्चर के साथ संयुक्त रूप से 'भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 में टिकाऊपन पर नए अध्याय' विषय पर 05 मार्च 2013 को नई दिल्ली में संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के दौरान मसौदा अध्याय के विभिन्न खंडों के तहत तकनीकी प्रावधानों के बारे में भा. मा. ब्यूरो की तकनीकी समिति के विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया। सार्वजनिक सम्मतियाँ प्राप्त करने के लिए मसौदे को व्यापक परिचालन हेतु जारी किया गया और अध्याय को अंतिम रूप देते समय मसौदे पर तकनीकी टिप्पणियाँ देने हेतु शिष्टमंडलों से अनुरोध किया गया ताकि भा. मा. ब्यूरो इसमें सुधार कर सके। सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, नगर आयोजना प्राधिकरण एनटीपीसी, ईआईएल, डीएसआईआईडीसी जैसे सार्वजनिक उपक्रम, डीएसटी एवं डीआरडीओ जैसे आरएंडडी इंस्टिट्यूट एसपीए, आईआईटीडी, जीजीएसआईपीयू, आईआईए जैसे व्यावसायिक एवं शैक्षिक संस्थान, निजी निर्माण एजेंसियों, भवन निर्माण व्यावसायिक तथा परामर्शदाता एवं भवन निर्माण सामग्री के निर्माताओं के लगभग 225 प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया ।

राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 पर संगोष्ठी

दिनांक 05 मार्च 2013 को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विद्युत संहिता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्युत ऊर्जा के प्रयोग में लगाए गए विद्युत उपकरण के किफायती चयन, संस्थापन एवं अनुरक्षण संबंधी व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1985 में राष्ट्रीय विद्युत संहिता पहली बार प्रकाशित की गई थी। यह इस क्षेत्र में विभिन्न वैधानिक विनियमों के बारे में विस्तार से बताती है । विद्युत एनर्जी के उपयोग में प्रौद्योगिकीय विकास तथा कार्मिक एवं उपकरण

was attended by around 100 participants from various stake-holders such as Pump manufacturers, users, BIS licensees, concerned government departments and officers of BIS.

Seminar on New Chapter on Sustainability in National Building Code of India 2005

BIS has taken up an ambitious project of introduction of a new Chapter on Sustainability namely, Part 11 'Approach to Sustainability' in the National Building Code of India 2005. A draft of the chapter has since been prepared after a series of meetings of the technical committee concerned and was issued in wide circulation for eliciting public comments. With the objective to disseminate the information about this new Chapter being brought out including the provisions and philosophy being adopted and also to obtain feedback from the stakeholders, a seminar on 'New Chapter on Sustainability in National Building Code of India 2005' was organized by the BIS jointly with the School of Planning and Architecture on 05 March 2013 in New Delhi. During the seminar, the technical provisions under various clauses of the draft chapter were explained by the experts of the BIS technical committee. The draft being then under wide circulation for public comments, the delegates were requested to provide their technical comments on the draft to BIS to enable further improvements while finalizing the chapter. Around 225 delegates representing government construction departments like CPWD, MES, Town planning authorities; public sector undertakings like NTPC, EIL, DSIIDC; R&D institutions like DST and DRDO; professional and academic institutions like SPA, IITD, GGSIPU, IIA; private construction agencies; building professionals and consultants; and building materials manufacturers participated in the seminar.

Seminar on National Electrical Code 2011

A Seminar on National Electrical Code was organized at Bhubaneswar on 5 March 2013. National Electrical Code was first published in the year 1985 with a view to provide comprehensive guidance on economic selection, installation and maintenance of electrical equipment employed in the usage of electrical energy and it elaborates upon the various legislative regulations in this area. The code was extensively revised in the year 2011 taking into consideration the

की सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संहिता को वर्ष 2011 में विशेषतः पुनरीक्षित किया गया।

मैकेनिकल गर्भ निरोधकों पर जोर देते हुए प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग वैज्ञानिक उपस्करों एवं साधित्रों पर संगोष्ठी

मैकेनिकल गर्भ निरोधकों पर बल देते हुए प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग वैज्ञानिक उपस्करों एवं साधित्रों पर गुड़गाँव में दिनांक 05 मार्च 2013 को भा. मा. ब्यूरो द्वारा फोर्टिस मैमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट, गुड़गाँव के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में विभिन्न स्टेकहोल्डर जैसे प्रोफेसरों, डॉक्टरों, उद्योगों, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों, अस्पतालों के 45 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

फील्ड इण्डस्ट्रियल एवं उत्पादन ऑटोमेशन प्रणाली एवं रोबोटिक्स में मानकीकरण पर संगोष्ठी

'फील्ड इण्डस्ट्रियल एवं उत्पादन ऑटोमेशन प्रणाली एवं रोबोटिक्स' पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ मिलकर चेन्नै में 6 मार्च 2013 को संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 55 सहभागियों ने भाग लिया ।

सर्जिकल ड्रैसिंग एवं डिस्पोजेबल उत्पादों पर संगोष्ठी

सर्जिकल ड्रैसिंग एवं डिस्पोजेबल उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में दिनांक 14 मार्च 2013 को सर्जिकल ड्रैसिंग एवं डिस्पोजेबल उत्पादों पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में विभिन्न अस्पतालों तथा इण्डस्ट्री के 35 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य सर्जिकल ड्रैसिंग, सर्जिकल दस्ताने, डिस्पोजेबल उत्पादों, क्रेप बैंडेज, सैनेट्री नैपकिन, डिस्पोजेबल बेबी डायपरों, एडल्ट डायपरों, हाइपोडर्मिक सिरिंज इत्यादि पर प्रकाशित मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा प्रचारित करना था। संगोष्ठी के दौरान उन्हें इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की अद्यतन गतिविधियों व डब्ल्यूटीओ / टीबीटी के प्रभाव के बारे में बताया गया था ।

बर्तनों हेतु कम निकल वाले ऑस्टेनिटिक स्टैनलैस स्टील के मानकीकरण पर संगोष्ठी

बर्तनों हेतु कम निकल वाले ऑस्टेनिटिक स्टैनलैस स्टील के मानकीकरण पर नई दिल्ली में दिनांक 15 मार्च 2013 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । बर्तनों एवं स्टैनलैस स्टील चद्दरों के अधिकतर विनिर्माताओं के लाभ हेतु प्रकाशित इस भारतीय मानक के बारे में जागरूकता पैदा करना इस संगोष्ठी का उद्देश्य था । उद्योगों,

technological developments in the utilization of electrical energy and increased need for safety of personnel and equipment.

Seminar on 'Obstetric and Gynaecological Instruments and Appliances with emphasis on Mechanical Contraceptives'

An Interactive Seminar on 'Obstetric and Gynaecological Instruments and Appliances with emphasis on Mechanical Contraceptives' was organized by BIS in association with Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon on 5 March 2013 at Gurgaon. The seminar was attended by over 45 participants from various stake-holders such as Professors, Doctors, representative of Industries, directorate of various health services, hospitals etc.

Seminar on 'Standardization in the Field Industrial and Production Automation Systems and Robotics'

A seminar on 'Standardization in the field Industrial and Production Automation Systems and Robotics' was organized in association with Indian Institute of Technology, Madras on 6 March 2013 at Chennai. The seminar was attended by around 55 participants.

Seminar on Surgical Dressings and Disposable Products

A seminar on Surgical Dressings and Disposable Products was held on 14 March 2013 at Bureau of Indian Standards, New Delhi. The Seminar was attended by over 35 Doctors of various hospitals and Industry representatives.

The objective of the seminar was to create awareness and disseminate information about the standards published on Surgical Dressings, Surgical Gloves, Disposable Products, Crepe Bandages, Sanitary Napkins, Disposable Baby Diapers, Adult Diapers, Hypodermic Syringes etc. During the seminar they were apprised about the latest International Standardization activities on the subject and impact of WTO/TBT.

Seminar on Standardization of Low Nickel Austenitic Stainless Steel for Utensils

A seminar was organized on 15 March 2013 at New Delhi on standardization of low nickel austenitic stainless steel for utensils. The objective of the seminar was to create awareness of this published Indian Standards for benefit of the large section of manufacturers of utensils and stainless steel sheets.

अनुसंधान स्थापनों तथा शिक्षाविदों के 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

सौंदर्य प्रसाधनों पर भारतीय मानक – सिंहावलोकन पर संगोष्ठी

दिनांक 15 मार्च 2013 को मुम्बई में 'सौंदर्य प्रसाधनों पर भारतीय मानक सिंहावलोकन' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई । लघु उद्योगों के 22 से अधिक प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया । संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य भा. मा. ब्यूरो द्वारा निर्धारित सौंदर्य प्रसाधनों पर भारतीय मानकों के बारे में लघु उद्योग के बीच इनके बेहतरीन कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता फैलाना था, ताकि सौंदर्य प्रसाधनों का निरापद एवं प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हो सके ।

पैलेट के मानकीकरण पर संगोष्ठी

पैलेट के मानकीकरण पर संगोष्ठी दिनांक 20 मार्च 2013 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई । संगोष्ठी के दौरान मानकीकरण तथा इसके लाभों, लकड़ी तथा प्लास्टिक के पैलेटों, खाद्यान्न भण्डारण हेतु प्लास्टिक के पैलेटों, भा. मा. ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना पर चार तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2010

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार भारतीय निर्माताओं और सेवा संगठनों द्वारा गुणता के उच्च स्तर को प्राप्त करने तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित किए गए। ये पुरस्कार अन्य विकसित देशों जैसे यूएसए के मैल्कम बाल्रिज गुणता पुरस्कार, जापान के डेमिंग पुरस्कार तथा यूरोपियन गुणता पुरस्कार के सदृश पुरस्कारों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इन पुरस्कारों हेतु मूल्यांकन मानदंड, कुल गुणता प्रबंध (टीक्यूएम) पर आधारित हैं तथा ऐसे अन्य विदेशी पुरस्कारों के मानदंडों के समान हैं।

वर्ष 2010 के राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीएनक्यूए) का पुरस्कार समारोह 18 अप्रैल 2012 को आयोजित किया गया । प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, अध्यक्ष, भा. मा. ब्यूरो ने इस समारोह की अध्यक्षता की । उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए ।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2011

वर्ष 2011 के पुरस्कारों की प्रक्रिया अप्रैल 2012 में शुरू की गई। प्रचार उपायों के भाग के रूप में देश के विभिन्न भागों में 12 संगोष्ठियाँ तथा

The seminar was attended by more than 40 delegates from industries, research establishments and academicians.

Seminar on 'Indian Standards on Cosmetics – An Overview'

An interactive seminar on 'Indian Standards on Cosmetics – An Overview' was organized on 15 March 2013 at, Mumbai. The Seminar was attended by over 22 delegates from small scale industries. The main objective of the seminar was to spread awareness about Indian Standards on Cosmetics formulated by BIS, among small scale industries for better implementation of Indian Standards by them in order to ensure safe and effective cosmetics.

Seminar on Standardization of Pallets

A seminar on Standardization of Pallets was organized on 20 March 2013 at Chandigarh. During the Seminar, four technical papers were presented on the Standardization and its benefits, wooden and plastic pallets, plastic pallets for food grain storage, BIS Product certification scheme.

Rajiv Gandhi National Quality Awards for 2010

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991 with a view to encouraging Indian manufacturing and service organizations to achieve higher levels of quality and also to meet the challenges of domestic and international markets. It has been designed in line with similar awards in other developed countries like Malcolm Baldrige Quality Award of USA, Deming Prize of Japan and European Quality Award. The assessment criteria for these awards are based on Total Quality Management (TQM) and are at par with the criteria for other similar overseas awards

The awards presentation ceremony for Rajiv Gandhi National Quality Awards (RGNQA) for the year 2010 was held on 18 April 2012. Prof. K.V. Thomas, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and President, BIS presided over this function. He presented Awards and Commendation Certificates to the winners.

Rajiv Gandhi National Quality Awards for 2011

The process for the year 2011 awards started in April 2012. As part of publicity measures, 12 seminars and workshops

कार्यशालाएँ आयोजित की गई । प्राप्त आवेदनों की मूल्यांकन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी 2013 को आयोजित राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार समिति की बैठक में पुरस्कार विजेताओं और प्रशस्ति पत्र के प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया। दिनांक 26 अप्रैल 2013 को वर्ष 2011 का आरजीएनक्यूए पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया ।

मानक संवर्द्धन

राज्य स्तरीय समितियाँ एवं निविदा पूछताछ

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और क्रय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग और परस्पर संवाद के प्रयास किए गए । इसके साथ-साथ अखबारों में निविदाओं की जाँच-पड़ताल नियमित रूप से की गई । संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे निविदाओं में आईएसआई मुहर लगे उत्पादों या आईएसआई विशिष्टियों का उल्लेख करें ।

विश्व मानक दिवस

प्रति वर्ष 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है । यह विश्व भर के उन हजारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों को सम्मान देने का माध्यम है, जो स्वेच्छिक रूप से वे तकनीकी करार तैयार करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होते हैं । इसे मनाने के लिए आईएसओ, आईईसी और आईटीयू द्वारा संयुक्त रूप से घोषित थीम पर विश्व भर में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं । इस वर्ष के विश्व मानक दिवस की थीम 'कम अपशिष्ट, बेहतर परिणाम – मानक दक्षता में वृद्धि करते हैं' थी ।

भा. मा. ब्यूरो ने अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश और मुख्यालय में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित कीं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने उपर्युक्त विषय से संबंधित विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर परिचर्चा की ।

सूचना एवं लघु उद्योग सहायता कक्ष

मानक संवर्द्धन व उपभोक्ता मामले विभाग, मध्यम एवं लघु स्तर के उद्यमियों के लाभ के लिए लघु उद्योग सहायता कक्ष का संचालन कर रहा है । इसमें भा. मा. ब्यूरो के विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानकारी एवं तकनीकी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं ।

were organized in different parts of the country. After completion of the evaluation processes of the application received, the award winners and recipient of commendation certificates were finalized in the National awards Committee meeting held on 10 January 2013 under the Chairmanship of Secretary, Department of Consumer Affairs, Govt of India. The award presentation ceremony for RGNQA for the year 2011 was held on 26 April 2013.

STANDARDS PROMOTION

State Level Committees and Tender Enquires

Efforts were made to have close collaboration and interaction with Government Departments and purchase agencies through State Level Committees to implement and promote Indian Standards. Further, scrutiny of tenders in news papers was done regularly. Organizations were requested to opt for ISI marked products or to refer Indian Standard Specifications in the tender.

World Standards Day

Every year, 14 October is celebrated as World Standards Day. It is a means of paying tribute to collaborative efforts of thousands of experts world wide who develop the voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. As a part of the celebrations, technical seminars were held throughout the world on a central theme declared by ISO, IEC and ITU jointly. The theme of this year's World Standards Day was ***'Less Waste Better Results- Standards Increase Efficiency'***.

BIS organized technical seminars all over the country through its Regional and Branch Offices and at Head Quarters where a large number of delegates deliberated over various technical issues on the subject.

Information and SSI Facilitation Cell

Standards Promotion and Consumer Affairs Department is operating an Information and SSI Facilitation Cell for the benefit of small and medium scale entrepreneurs. Information on various activities of BIS and technical queries are provided.

प्रचार

भा. मा. ब्यूरो की प्रचार गतिविधियों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य भा. मा. ब्यूरो गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है । यह प्रचार अभियान प्रमाणन सेवाओं हेतु उद्योगों तथा स्वर्ण आभूषण की हॉलमार्किंग से संबद्ध उद्योगों से संबंधित था । इसके साथ–साथ उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए नकली मुहरांकन जैसी अनैतिक व्यापारिक रीतियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया । जिन आम प्रचार माध्यमों का उपयोग किया गया है, वे प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो, ऑउटडोर पब्लिसिटी, मैट्रो, रेल, संपर्क 139, सिनेमा स्लाइड इत्यादि हैं ।

भा. मा. ब्यूरो द्वारा हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों सहित भा. मा. ब्यूरो द्वारा प्रमाणित आईएसआई मुहरांकित चीजें खरीदने हेतु आम उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रचार किया गया। उन्हें भा. मा. ब्यूरो प्रमाणित सामानों से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु भा. मा. ब्यूरो द्वारा बनाई पद्धति के संबंध में भी शिक्षित किया गया।

आम उपभोक्ताओं में भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने और गुणता के प्रति चेतना पैदा करने के लिए भा. मा. ब्यूरो अलग–अलग प्रचार माध्यमों द्वारा कई प्रचार गतिविधियाँ चलाता है ।

आईएसआई मुहर/हॉलमार्किंग पर टीवी स्पॉट

अप्रैल 2012 के दौरान आईएसआई मुहर/हॉलमार्किंग पर टीवी स्पॉट डीडी नेशनल तथा केबल एवं सेटेलाइट चैनलों पर 10 दिनों तक प्रसारित किए गए ।

फरवरी 2013 के दौरान आईएसआई मुहर पर टीवी स्पॉट 10 दिनों के लिए प्रसारित किया गया तथा हॉलमार्किंग पर टीवी स्पॉट 30 मार्च से 8 अप्रैल 2013 के दौरान 10 दिनों के लिए प्रसारित किये गये ।

अप्रैल 2012 के दौरान आईएसआई मुहर पर टीवी स्पॉट सेमी–अर्बन क्षेत्रों के सिनेमा हॉलों में प्रसारित किये गये ।

9 फरवरी 2013 से 28 दिनों के लिए सेमी–अर्बन क्षेत्रों के सिनेमा घरों में आईएसआई मुहर/ हॉलमार्किंग पर टीवी स्पॉट प्रसारित किये गये ।

रेडियो स्पॉट

प्रसार भारती प्रसारण निगम, भारत के माध्यम से 2 नवम्बर 2012 से 45 दिनों के लिए आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के 37 विविध भारती स्टेशनों तथा 22 एफएम स्टेशनों से आईएसआई मुहर तथा हॉलमार्किंग पर 20 सैकिंड का रेडियो स्पॉट प्रसारित करने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया ।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार वितरण समारोह

इस मौके पर अखिल भारतीय स्तर पर 18 अप्रैल 2012 को एक विज्ञापन जारी किया गया तथा विभिन्न स्थानों से प्रकाशित 50 समाचार पत्रों में

PUBLICITY

The publicity activities of BIS are aimed at creating awareness of BIS activities among common consumers and the industry. The publicity aimed at the industry relates to certifications services and hallmarking of gold jewellery. At the same time, the penal provision for unscrupulous practices like spurious marking are also publicized to deter violators. The usual media being used are print, electronic media, radio, outdoor publicity, Metro Rail, Rail Sampark 139, cinema slides, etc.

For common consumers the publicity is aimed at persuading them to buy ISI marked goods certified by BIS including BIS hallmarked gold jewellery. They are also educated regarding the BIS mechanism for redressal of complaints relating to BIS certified goods.

To spread awareness about the activities of Bureau of Indian Standards among common consumers and to create a strong consciousness for quality, BIS undertook various publicity activities through various media. The details are given below:

Telecast of TV Spots on ISI Mark/Hallmarking

TV Spot on ISI Mark and Hallmarking were telecast for 10 days on DD National and Cable and Satellite channels during April 2012.

TV spot on ISI Mark was telecast for 10 days during Feb 2013 and TV spots on Hallmarking were telecast for 10 days during 30 March to 8 April 2013.

TV spots on ISI Mark were telecast in the cinema halls of semi-urban areas during April 2012.

TV spot on ISI Mark and Hallmarking were also telecast for 28 days with effect from 9 Feb 2013 in the Cinema Halls of semi-urban areas.

Radio Spots

Publicity campaign to broadcast 20 second radio spots on ISI Mark and Hallmarking on 37 Vividh Bharati stations and 22 FM stations of All India Radio was undertaken for 45 days with effect from 2 November 2012 through Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India.

Rajiv Gandhi National Quality Awards Presentation Ceremony

On this occasion, an advertisement was released on 18 April 2012 on all-India basis and the same was published in 50

इसे प्रकाशित किया गया। भा. मा. ब्यूरो की गतिविधियों के संबंध में वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, प्रमाणन का साक्षात्कार आयोजित किया गया तथा 19 अप्रैल 2012 को ऑल इंडिया रेडियो पर इसे प्रसारित किया गया । रेडियो और टी.वी. चैनलों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस समारोह की कवरेज की गई । इसके अतिरिक्त प्रेस–विज्ञप्ति जारी की गई, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया ।

विश्व मानक दिवस समारोह का आयोजन

अखिल भारतीय स्तर पर 15 अक्टूबर 2012 को एक विज्ञापन जारी किया गया तथा विभिन्न स्थानों से 36 समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया । दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को विश्व मानक दिवस समारोह आयोजित किया गया तथा कई न्यूज चैनलों द्वारा इसका कवरेज किया गया ।

15 अक्टूबर 2012 को डीडी–1 के कार्यक्रम 'गुड मार्निंग इंडिया' में वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, मानकीकरण का साक्षात्कार आयोजित किया गया तथा आईएसआई मुहर पर वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, मानकीकरण का दूसरा साक्षात्कार एआईआर के राष्ट्रीय चैनल पर उनके कार्यक्रम 'उपभोक्ता और मानक चिह्न' तथा एफएम चैनल पर प्रसारित किया गया ।

दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को एक प्रेस नोट जारी किया गया तथा इसे कई प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया।

हॉलमार्किंग / आईएसआई मुहर पर जिंगल

हॉलमार्किंग एवं आईएसआई मुहर पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए जिंगल 20 जून से 19 अगस्त 2012 तक 139 रेल संपर्क पर चलाया गया ।

आउटडोर प्रचार अभियान

रेलवे स्टेशनों (दिल्ली जोन), बस क्यू शेल्टरों (दिल्ली जोन), इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले (दिल्ली), एनीमेशन डिस्प्ले (अखिल भारतीय), एलसीडी स्क्रीन के होर्डिंगों तथा बैकलाइट ग्लो साइन रेलवे स्टेशन (राजस्थान), बस पैनलों पर पूरे भारत में, मुंबई एवं कोलकाता में कॉयस्कों पर, कोलकाता में यातायात सिग्नलों, रेलवे ब्रिज पैनलों (यूनीपोल), रेलवे भूमि पर फ्रंट लिट पैनलों, बस क्यू शेल्टरों यूनीपोल, राजमार्गों पर बैकलिट यूनीपोल इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता हेतु एक माह की अवधि के लिए आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर आउटडोर प्रचार अभियान चलाए गए ।

मेट्रो रेल

एक माह के लिए मेट्रो के भीतरी पैनलों, मेट्रो रेल डिस्प्ले बोर्ड और दिल्ली मेट्रो रेल के विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध जनसुविधाओं पर आईएसआई मुहर और हॉलमार्किंग का प्रचार किया गया।

प्रिंट मीडिया

सितम्बर 2012, नवम्बर, 2012, जनवरी 2013 और मार्च 2013 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग पर

newspapers from various places. An interview of Sc-G and Chief Certification was organized with regard to BIS activities and same was which was broadcast on All India Radio on 19 April 2012. The function was covered by electronic media through Radio and TV Channels. Besides, press release was issued which was published by various newspapers.

World Standards Day Celebrations

On this occasion, an advertisement was released on 15 October 2012 on all-India basis and the same was published in 36 newspapers from various places. The function of World Standards Day was held on 15 October 2012 was covered by many news channels.

An interview of Scientist-G and Chief Standardization was telecast live on DD-I in the programme 'Good Evening India' on 15 October 2012. Another interview of Sc-G and Chief Standardization on ISI Mark was broadcast in their programme 'Upbhokta Aur Manak Chinh' at National Channel of AIR and FM Channel.

A Press Note was released on 15 October 2012 and the same was published by many leading newspapers.

Jingle on Hallmarking/ISI Mark

Jingles on Hallmarking and ISI Mark were run on 139 Rail Sampark with effect from 20 June to 19 August 2012 for consumer awareness.

Outdoor Publicity Campaign

An outdoor publicity campaign was undertaken on ISI Mark and Hallmarking through Hoardings and Backlit Glow sign at Railway stations (Delhi zone), Bus Queue Shelters (Delhi zone), Electronic Display (Delhi), Animation Display (All India), LCD Screens at Railway stations (Rajasthan), Bus Panels (All India), Front lit Bridge Panels on Railway lands, Bus Queue Shelters (All India), Kiosks at Mumbai and Kolkata, Traffic Signal at Kolkata, Railway Bridge Panels (Unipole), Backlit Unipole on Highway, etc. for consumer awareness for a period of one month.

Metro Rail

Publicity on ISI Mark and Hallmarking was undertaken through Metro Inside Panels, Metro Rail Display Boards and Public Utility Metro Rail at different stations of Delhi Metro Rail for a period of one month.

Print Media

An advertisement campaign on Hallmarking of Gold Jewellery was released during September 2012, November

एक विज्ञापन अभियान जारी किया गया। जुलाई 2012 और नवम्बर 2012 के दौरान आईएसआई मुहर पर विज्ञापन अभियान जारी किया गया।

'खाद्य सुरक्षा संगोष्ठी– मानकों की भूमिका' से संबंधित विज्ञापन निम्नलिखित विवरण के अनुसार भारत के विभिन्न स्थानों पर और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न समाचार–पत्रों में जारी किए गए:

1. 28 मई 2012 को कोच्चि में
2. 20 जून 2012 को चेन्नई में
3. 25 जून 2012 को मुंबई में
4. 10 जुलाई 2012 को कोलकाता में
5. 12 दिसम्बर 2012 को नई दिल्ली में

भा. मा. ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर भी विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए गए। विभिन्न समाचार–पत्रों में निविदा सूचना विज्ञापन भी जारी किए गए।

राष्ट्रीय संगोष्ठी की कवरेज

12 दिसम्बर 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'खाद्य सुरक्षा – मानकों की भूमिका' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने किया। इस समारोह को लगभग 19 समाचार चैनलों ने भी कवर किया। डीडी नेशनल तथा ऑल इंडिया रेडियो पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भागीदारी

भा. मा. ब्यूरो ने 15 दिसम्बर 2012 से 31 जनवरी 2013 को केरल में आयोजित ग्रांड केरल शॉपिंग फेस्टीवल में हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान ग्लोबल विलेज में होर्डिंग, डिसप्ले बोर्डों इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के लिए हॉलमार्क आभूषणों का विशेष प्रचार किया गया।

मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो ने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के 18 बिक्री केंद्रों के माध्यम से भारतीय मानक और विशेष प्रकाशनों की बिक्री की। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की गई। भा. मा. ब्यूरो भारत में भी विदेशी मानकों (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जीआईएस जापान) की बिक्री करता है।

भा. मा. ब्यूरो ने ई–पोर्टल द्वारा भारतीय मानकों की बिक्री आरंभ की थी। मानकों को भा. मा. ब्यूरो के ई–पोर्टल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा ई–पोर्टल द्वारा हार्ड कॉपी के लिए भी क्रय आदेश दिया जा सकता है। दोनों ही मामलों में क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा पोर्टल पर भुगतान किया जा सकता है। भा. मा. ब्यूरो ने उन ग्राहकों के लिए भी प्रणाली आरंभ की जिनकी ई–खरीद रू. 50,000 से अधिक की हो। ऐसे ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। भा. मा. ब्यूरो के खाते में सीधे हस्तांतरण द्वारा भी ग्राहक मानकों हेतु भुगतान कर सकते हैं।

2012, January 2013 and March 2013 on all-India basis. An advertisement campaign on ISI Mark was released during July 2012 and November 2012.

Advertisements were released regarding 'Food Safety Seminars – Role of Standards', held at various places in India, in different newspapers of respective regions as per details given below:

i) On 28 May 2012 at Kochi.
ii) On 20 June 2012 at Chennai
iii) On 25 June 2012 at Mumbai.
iv) On 10 July 2012 at Kolkatta
v) On 12 December 2012 at New Delhi.

Advertisements on various activities of BIS were also released in different magazines. Tender Notice advertisements were also published in different newspapers.

Coverage of National Seminar

The National Seminar on 'Food Safety – Role of Standards' was held on 12 December 2012 at Vigyan Bhavan, New Delhi which was inaugurated by Hon'ble President of India. The event was telecast live by DD National and All India Radio. The function was also covered by around 19 News channels.

Participation in Exhibitions through Regional Offices

BIS participated in Grand Kerala Shopping Festival (GKSF) held during 15 December 2012 - 31 January 2013 at Kerala. During this festival, exclusive publicity on hallmarked jewellery was undertaken for consumer awareness through hoardings, display boards etc. inside the Global Village.

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

The Bureau sells Indian Standards and Special publications through 18 sales outlets at Headquarters, Regional offices and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. BIS also sells foreign standards (ISO, IEC, BSI London, DIN Germany, JIS Japan) in India.

BIS had started sale of Indian Standards through e-portal. Standards can be downloaded from BIS e-portal in the form of soft copy or order for hard copy can also be placed through the e-portal. Payment in both the cases can be made over the portal through credit/debit card. BIS had also introduced a system for customers whose e-purchase is more than ₹ 50 000, can pay through demand draft/pay order. Customers can also make payment for standards through trunk transfer in BIS bank account directly.

भारतीय मानक पूरे सेट के रूप में अथवा सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल इत्यादि जैसे 14 क्षेत्रों के अलग-अलग विशेष सेटों के रूप में डीवीडी पर भी लीजिंग के लिए उपलब्ध है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए भा. मा. ब्यूरो के ई-पोर्टल www.standardsbis.in से जुड़ा एक टच स्क्रीन कॉयस्क मुख्यालय के बिक्री विभाग में लगाया गया है। ग्राहक इस पर अपनी आवश्यकता के मानक, मानकों का मूल्य, विषयक्षेत्र, संशोधन इत्यादि देख सकते हैं। इसी प्रकार की सुविधा भा. मा. ब्यूरो के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के सत्रह बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

हिंदी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों के अनुसार करता है। इन नियमों और निर्देशों के अनुसार ब्यूरो राजभाषा के संबंध में हिंदी कार्यान्वयन, मानकों का अनुवाद, सामान्य अनुवाद और तिमाही हिंदी पत्रिका के प्रकाशन का कार्य करता है। रिपोर्टगत अवधि के दौरान ब्यूरो ने इन सभी कार्यों में प्रगति जारी रखी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क. **हिंदी कार्यान्वयन**– इस गतिविधि के अंतर्गत ब्यूरो ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अपनी चारों बैठकें नियमित रूप से करके उनमें हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए और उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया। मंत्रालय को हिंदी की चारों तिमाहियों की प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी। अवधि के दौरान ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 10 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 170 कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण एवं आलेखन में प्रशिक्षित किया गया तथा हिंदी की प्रोत्साहन योजनाओं, मानकों के अनुवाद नियमों इत्यादि की जानकारी दी गई।

ख. **हिंदी पखवाड़ा**– 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2012 तक ब्यूरो मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिनमें हिंदी संबंधी छह प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले प्रतियोगियों को 28 सितम्बर 2012 को आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह में पुरस्कार दिए गए।

The Indian Standards are also available on DVD as a complete set or 14 sector specific sets like Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Textiles, etc for leasing.

For the ease of customers, a touch screen kiosk, connected to BIS e-portal www.standardsbis.in, has been installed at Sales Department, HQ. The customer can search the standard of their requirement, see the price of standards, scope, amendments, etc. Possibility is also being explored to provide similar facilities at all seventeen sales outlets at Regional and Branch Offices of BIS.

HINDI ACTIVITIES

Bureau of Indian Standards implements the Official Language policy of Government of India as per The Official Language Act, 1963, The Official Language Rules, 1976 and instructions received from the Ministry, the Department of Official Language and Committee of Parliament on Official Language. In compliance of these rules and instructions, BIS executes implementation of Hindi, standard translation and general translation work. During the period under review, the Bureau continued to progress in these areas, details of which are as under:

a) **Hindi implementation** –Four quarterly meetings of Hindi Implementation Committee were held in time. Necessary decisions regarding Hindi implementation were taken and follow up actions were ensured. Four quarterly progressive reports of Hindi were sent to the Ministry in time. During the period, 10 Hindi workshops were held in which about 170 officials were trained in noting and drafting in Hindi and were informed about Hindi Incentive schemes, standards translation, the rules etc.

b) **Hindi Pakhwara** - Hindi fortnight was celebrated in Bureau during 14-28 September 2012, in which six competitions regarding Hindi were organized. Successful participants were awarded at the Award Function held on 28 September 2012.

ग. **प्रोत्साहन योजना**– भा. मा. ब्यूरो भारत सरकार की सभी प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे हिंदी टिप्पण एवं आलेखन की नकद पुरस्कार योजना, हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना आदि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर कार्यवाही की गई।

घ. **हिंदी कैडर**– हिंदी कैडर एवं पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में कार्यवाही हेतु भेजा गया।

ङ. **निरीक्षण**– अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने ब्यूरो के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, नागपुर और फरीदाबाद शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया और कार्यालय द्वारा अधिकाधिक कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की सराहना की। जिसके संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की गई। ब्यूरो के 10 क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के हिंदी कार्यों का निरीक्षण किया गया।

च. **मानक एवं सामान्य अनुवाद** – मानकों के अनुवाद में तेज़ी लाने के लिए ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, जिनसे बाहर के अनुवादकों के ट्रायल वर्क की जांच की गई तथा पैनल में और अधिक अनुवादकों को शामिल करने की कार्यवाही की गई। अनुवाद इत्यादि की वर्तमान दरें बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, प्राइवेट एजेंसियों और व्यक्तियों से अनुवाद की दरें प्राप्त की गईं। अवधि के दौरान 9 मानकों का अनुवाद किया गया, 4 मानकों की वेटिंग की गई और 4 मानकों की प्रेस प्रतियां प्रकाशन के लिए भेजी गईं। इस वर्ष 7 मानकों का हिंदी में प्रकाशन किया गया। मानक अनुवाद के काम में तेज़ी लाने के लिए अनुवाद एवं वेटिंग कार्य की दरों में संशोधन के लिए बनाई गई समिति ने सिफारिश प्रस्तुत की थी। कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात संशोधित दरें लागू की गईं। इसके अतिरिक्त मानकों के 380 शीर्षकों को द्विभाषी किया गया। मानकों के कार्य को सुगम बनाने के लिए ब्यूरो की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की नई प्रतियां ब्यूरो के सभी कार्यालयों को वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग, विश्व मानक दिवस, राजीव गांधी गुणता पुरस्कार, संसदीय स्थायी समिति, गजट अधिसूचना, अधिनियम, नियम एवं विनियम, समझौता ज्ञापन इत्यादि से संबंधित 625 पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

छ. **हिंदी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा समिति (मध्य) की बैठकों में भागीदारी** – भा. मा. ब्यूरो ने दिसम्बर 2012 में दिल्ली में हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया। भा. मा. ब्यूरो ने राजभाषा विभाग की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी भाग लिया और बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया।

ज. **हिंदी पुस्तकों की खरीद** – वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई और हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य हासिल किया गया।

c) **Incentive Schemes** – BIS has implemented all incentive schemes of GOI such as Cash Incentive Scheme of Hindi Noting and Drafting, Hindi Incentive Allowance Scheme, Hindi Typing and Stenography scheme, Rajbhasha Shield Scheme. Actions were also taken from time to time to ensure the bilingual facility on computers.

d) **Hindi Cadre** - The proposal regarding Hindi Cadre and Creation of Posts was forwarded for further action to the Ministry.

e) **Inspection** - During the year, Committee of Parliament on Official Language inspected Northern Regional Office, Chandigarh, Nagpur and Faridabad Branch Office of BIS and appreciated the progress made by the office in use of Hindi in official work. Inspection of Hindi work of 10 Regional/Branch offices of BIS was carried out.

f) **Standards and General translation work** – In order to accelerate translation works of Indian Standards, BIS took a number of steps which include vetting of translation of trial works of outside translators and actions were taken for including more number of translators in the panel. Hindi typing rates were also obtained from various Government Departments, private agencies and individuals for increasing current rates of translation etc. 9 standards were translated, 4 standards were vetted and press copy of 4 standards were sent for publishing. 7 standards in Hindi were published this year. In order to accelerate the standard translation work, rates for translation and vetting work were recommended by the committee constituted for the purpose. The revised rates have been implemented after approval of EC. Besides this, about 380 titles of standards were also made bilingual. Fresh copies of Consolidated Glossary of Scientific and Technical Terms of Bureau were distributed to all the offices of Bureau to facilitate translation work of standards. In addition BIS translated approximately 625 pages related to Annual Report, Hallmarking, World Standards Day, Rajiv Gandhi National Quality Award, Parliamentary Standing Committee, Gazette Notifications, Act, Rules and Regulations, MOU's, Training etc.

g) **Participation in Hindi Advisory and Town Official Language Committee (Central)** – BIS Participated in meetings of Ministry's Hindi Advisory Committee held at Delhi in December 2012 and ensured the compliance of decisions taken in the meeting. BIS also participated in the Town official Language Implementation Committee of Department of Official Language and adhered to the decisions taken in the meeting.

h) **Purchase of Hindi Books** - During the year a meeting of Hindi Book purchase committee was organized and the target of 50% expenditure on Hindi books was also achieved.

विदेशी भाषाएँ और प्रकाशन

भा. मा. ब्यूरो का प्रकाशन विभाग 1949 से आईएसआई बुलेटिन के नाम से और अब स्टैंडर्ड्स इंडिया के नाम से प्रकाशित मासिक पत्रिका के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में मानकीकरण आंदोलन को गति एवं बढ़ावा देने का कार्य करता है। स्टैंडर्ड्स इंडिया देश और विदेश में मानकीकरण के कार्यों की विचारोत्तेजक व्याख्या और समीक्षा करता है। इसमें मानकों के पुनरीक्षण, संशोधन और वापिस लेने संबंधी तथा नए, वर्तमान या मसौदा चरण संबंधी सारी जानकारी माह के दौरान दी जाती है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों वाला कैटलॉग वर्ष में प्रकाशित किया जाता है।

क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 31 दिसम्बर तक अद्यतन प्रकाशित भारतीय मानक

ख) भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए भारतीय मानक

ग) हिन्दी में भारतीय मानक (अनुवाद),

घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक तथा

ङ.) कैटलॉग में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों की अनुक्रमणिका

यह विभाग मुद्रण एवं अन्य तकनीकी विभागों द्वारा नए एवं संशोधित मानकों और पुनर्पुष्ट/वापिस लिए गए भारतीय मानकों पर उपलब्ध कराई गई सूचना से भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की प्रगति की विषयसूची का प्रकाशन करता है। सभी नए/संशोधित भारतीय मानकों/प्रकाशनों और तकनीकी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधनों में सॉफ्ट प्रतियों का पीडीएफ प्रारूप का रख–रखाव भी विभाग करता है। इस सूचना का प्रयोग वेबसाइट www.standardsbis.in पर भारतीय मानकों की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री को अद्यतन करने के लिए भी किया जाता है।

भा. मा. ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट (सर्वाधिकार) सुरक्षित हैं और भारतीय मानकों से सार–संक्षेप पुनरूत्पादित करने के अनुरोध विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं। आईएसओ/जन. 19 : 1999 'पुस्तकों में आईएसओ 'गाइडलाइन्स फॉर ग्रान्टिंग कॉपीराइट एक्सप्लॉइटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीस् फॉर आईएसओ स्टैन्डर्ड्स् इन बुक्स' मानकों के लिए तीसरे पक्षकारों को कॉपीराइट के उपयोग के अधिकार सौंपने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत' से अपनाई गई प्रक्रिया विधियों पर आधारित तकनीकी सत्यापन और परिकलन के बाद कॉपीराइट प्रभारों के भुगतान पर विभाग द्वारा आवेदक को अनुमति प्रदान की जाती है।

विभाग विभिन्न विभिन्न भारतीय (हिंदी को छोड़ कर) और विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी अथवा विलोमतः तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री में अनुवाद सेवाएँ भी प्रदान करता है। विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योग से अनुरोध नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। विभाग द्वारा उन देशों में भी पारस्परिक संवाद की सुविधा दी जाती है, जहाँ जर्मन या फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है।

FOREIGN LANGUAGES AND PUBLICATIONS

The Publication Department of BIS handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through the monthly journal – Standards India, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. It also contains information related to all amendments, alterations and withdrawal of standards, new, existing or in the draft stage issued during the month.

A catalogue containing titles of following is published annually by the department.

a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December,

b) International Standards adopted as Indian Standards,

c) Indian Standards in Hindi (translation),

d) Special publications, reference and calculation aids and

e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue

The Department publishes the incremental index file for Indian Standards/other publications from the information provided by the Printing Department and various technical departments on new and revised standards as well as reaffirmation/withdrawal of Indian Standards. Soft copies in Pdf format for all new/ revised Indian Standards/ publications as well as amendments provided by technical departments is also maintained in the department. This information is utilized for updating the electronic sale of Indian Standards on the website www.standardsbis.in .

BIS has the copyright to all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department by authors of technical books. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO: GEN 19:1999 'Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services were provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various Indian (other than Hindi) and foreign languages into English or vice-versa. Regular requests were received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा. मा. ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई के रूप में लोकप्रिय) का लगा होना यह दर्शाता है कि उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है। भा. मा. ब्यूरो किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता का होना सुनिश्चित करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप बने उत्पाद की सतत रूप से जाँच करता है। उत्पादन स्थल और बाजार से भी नमूने लिए जाते हैं और स्वतंत्र प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक से उनकी अनुरूपता की जांच सुनिश्चित कराई जाती है।

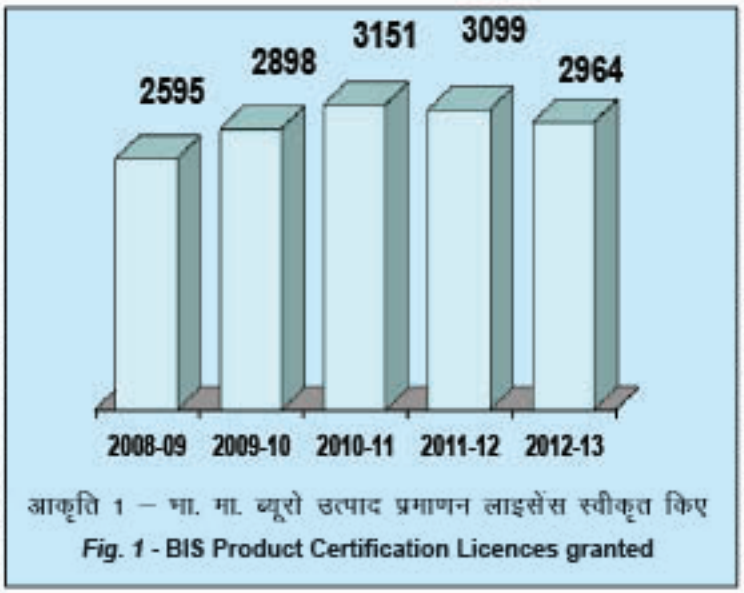

आकृति 1 – भा. मा. ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए

Fig. 1 - BIS Product Certification Licences granted

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, परंतु जनहित में बहुत सी उत्पादों को भा. मा. ब्यूरो अधिनियम के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे खाद्य निरापदता तथा मानक अधिनियम; आवश्यक सामग्री अधिनियम; भारतीय विस्फोटक अधिनियम; परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम; शिशुओं हेतु दुग्ध विकल्पी, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार अधिनियम; आदि के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कुछ वस्तुओं जैसे एलपीजी सिलिंडर; दूध पाउडर; संघनित दूध, नवजात शिशुओं के लिए धान्य आधारित आहार; मलाई रहित दूध पाउडर, नवजात शिशुओं के लिए दूध विकल्पी सामग्री हेक्सेन खाद्य ग्रेड, डॉक्टरी थर्मामीटर; पैकेजबंद पेयजल, प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी और निमज्ज्य वाटर हीटर की सुरक्षा अपेक्षाएँ; केबल; स्विच; बल्ब और सीएफएल; सर्किट ब्रेकर; ऊर्जा मीटर; शुष्क बैटरियां; इस्पात पाइप; तेल बाथ स्टोव; एक्सरे उपकरण; दूध पिलाने

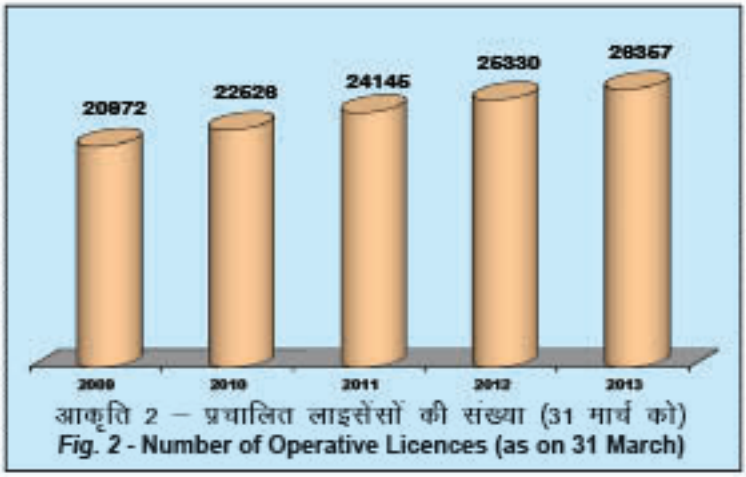

आकृति 2 – प्रचालित लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को)

Fig. 2 - Number of Operative Licences (as on 31 March)

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a product certification scheme, which is governed by The Bureau of Indian Standards Act, 1986 and rules and regulations framed there under. Presence of BIS standard mark (popularly known as ISI mark) on product indicates conformity to the relevant Indian standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian standard.

The certification scheme is basically voluntary in nature, but for a number of products, in public interest, it has been made mandatory by the central government through various statutory measures such as The Food Safety and Standards Act; The Essential Commodities Act; The Indian Explosive Act; The Atomic Energy Regulation Board; The Environment Protection Act; The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act; besides the Bureau of Indian Standards Act. Some of the items brought under mandatory certification are LPG Cylinders; Milk Powder; Condensed Milk; Cereal Food for Infant; Skimmed Milk Powder, Infant Milk Substitute, Hexane Food Grade, Clinical Thermometers; Packaged Drinking Water, Natural Mineral Water; Safety requirements for Electric Iron and Immersion Water Heater; Cables; Switches; Electric Lamps and CFLs; Circuit Breakers; Energy Meters, Dry Batteries; Steel Tubes; Oil Pressure

की प्लास्टिक की बोतलें; सीमेंट; इस्पात एवं इस्पात के उत्पाद; सामान्य प्रयोजन के डीजल इंजन, मोटर वाहनों के लिए हवा भरे टायर एवं ट्यूब, केंद्रीकृत कास्ट डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप, प्रेशर पाइपों के लिए डक्टाइल आयरन फिटिंगें, सामान्य प्रयोजनों के लिए समगति काम्प्रेशन (इग्नीशन) डीजल इंजन इत्यादि।

वर्ष 2012–13 में भा. मा. ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान कुल 2964 नए लाइसेंस दिए गए। जिनमें पहली बार योजना में शामिल किए गए 09 उत्पाद भी शामिल हैं। ये उत्पाद हैं : आईएस: 4835 लकड़ी हेतु पॉलीविनाइल एसीटेट विसरण आधारित संजक, आईएस:5206 स्टेनलैस इस्पात और ऐसी ही मिश्रधातु इस्पात की मैनुअल आर्क वेल्डिंग हेतु आवरित इलेक्ट्रोड, आईएस: 7180 कृत्रिम गर्भाधान हेतु डिस्पोसिबल दस्ताने, आईएस:14756 भोजन पकाने के स्टेनलैस इस्पात के बर्तन, आईएस:14605 सिंचाई उपस्कर माइक्रो स्प्रेअर, आईएस 15240 प्रोफीनोफॉस पायसनीय सान्द्र, आईएस 14443 पॉलीकार्बोनेट चद्दर, आईएस: 15601साइमोऑक्सेनिल 8% + मेनकोजेब 64% डब्ल्यूपी, आईएस 15476 बम्बू मेट नालीदार चद्दर है।

भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत शामिल कुल भारतीय मानकों की संख्या 1065 है।

31 मार्च 2013 को लागू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 26357 हो गई है।

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रचालित लाइसेंसों / आवेदकों का आँकलन

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए वर्ष के दौरान 25092 निरीक्षण, 11811 लॉट निरीक्षण हेतु दौरे किए गए और (बाजार से खरीदे नमूनों सहित) स्वतंत्र परीक्षण के लिए 32492 नमूने लिए गए। सीमित श्रम शक्ति के कारण भा. मा. ब्यूरो ने निगरानी –निरीक्षण का कार्य बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स किया है। एजेंट नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ करार किए गए हैं। प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। आशा है कि इससे लाइसेंसधारियों को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

प्रमाणन प्रचालन की समीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2012–13 के दौरान लाइसेंसधारकों के साथ 5 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में पैकेजबंद पेय जल; इस्पात एवं इस्पात उत्पाद जूट और जूट उत्पाद इत्यादि की समीक्षा की गई।

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भा. मा. ब्यूरो वर्ष 1999 से आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए दो योजनाएँ संचालित कर रहा है। जिनमें से एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए है और दूसरी भारतीय आयातकों के लिए है। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मानक

Stoves; X-Ray Equipment; Plastic Feeding Bottles, Cement; Steel and Steel Products, Diesel Engine for General Purpose, Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles, Centrally Cast Ductile Iron Pressure Pipes, Ductile Iron Fittings for Pressure Pipes, Constant Speed Compression Ignition (diesel) Engines for General Purposes, etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2012-13. During the year 2964 new licences were granted, which include 9 products covered for the first time under the scheme. These products are IS 4835 - Polyvinyl Acetate Dispersion Based Adhesives for Wood, IS 5206 - Covered Electrodes for manual Metal Arc welding of Arc of steel and other similar high alloy steel, IS 7180 - Disposable Artificial Insemination Gloves, IS 14756 - Stainless Steel cooking utensils, IS 14605 - Irrigation Equipment- Micro Sprayer, IS 15240 - Profenofos Emulsifiable Concentrate, IS – 14443 Polycarbonate – Sheets, IS 15601- Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% W.P, IS 15476 - Bamboo Mat Corrugated Sheets.

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 1065.

Total number of operative licences as on 31 March 2013 rose to 26357.

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 25092 inspections and 11811 lot inspections were organized during the year and 32492 samples (including samples procured from market) were drawn for independent testing. Due to constraint of man power, BIS has outsourced the surveillance inspections to the outside agencies. Agents have been appointed and agreement has been signed with them. Training has been imparted and detailed guidelines have been issued. By this, it is expected to provide better services to the licensees and protect consumer's interest.

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. In the year 5 review meetings with licensees were organized covering the areas of Packaged Drinking Water; Steel and Steel Products; Jute and Jute Products.

Certification of Imported Products

BIS is operating two schemes for certification of imported goods, one for foreign manufacturers and the other for Indian importers since the year 1999. Under the provisions of this scheme, foreign manufacturers can seek certification from

मुहर अपने उत्पादों पर लगाने के लिए भा. मा. ब्यूरो में प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारतीय आयातक हमारे देश में आयात किए जा रहे उत्पादों पर भा. मा. ब्यूरो की मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन कर सकते हैं। वर्ष के दौरान इस्पात एवं इस्पात से संबद्ध उत्पादों, केबल, सीमेंट, डीज़ल इंजन/पम्प, टायर व ट्यूब और नवजात शिशु आहार जैसे उत्पादों के लिए 49 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। ये मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड, चैक गणराज्य, फ्रांस, बेलजियम, इटली, मिस्र, इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, यूएसए, ब्राजील, यूक्रेन, यूएई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इंडोनेशिया, फिलिपिंस, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ताइवान तथा दक्षिण अफ्रीका और जार्जिया के लिए स्वीकृत किए गए, जिससे विदेशी विनिर्माता योजना के अंतर्गत प्रचालनगत लाइसेंसों की संख्या 263 हो गई है।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

हॉलमार्किंग योजना में प्रगति

वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग योजना ने और भी प्रगति की है। 31 मार्च 2013 को स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग के लाइसेंसों की संख्या बढ़ कर 10586 हो गई जबकि 31 मार्च 2012 को इनकी संख्या 9292 थी। इस अवधि के दौरान स्वर्णाभूषणों/शिल्पों की 277 लाख वस्तुओं पर हॉलमार्किंग की गई। इस दौरान भा. मा. ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 31 मार्च 2013 को 210 हो गई।

चांदी के आभूषणों/शिल्पों की हॉलमार्किंग के लिए चांदी हेतु लाइसेंसों की प्रचालन संख्या इस वर्ष के दौरान 580 से बढ़कर 695 हो गई।

हॉलमार्किंग का प्रचार

- स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों/वस्तुओं की हॉलमार्किंग को उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा देने हेतु, भा. मा. ब्यूरो ने देश भर में अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ज्वैलरों/उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के दौरान ऐसे 54 ज्वैलर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- इस वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं/ज्वैलरों में स्वर्ण/चाँदी के आभूषण पर हॉलमार्किंग से लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न समाचारपत्रों में 155 विज्ञापन जारी किए।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

प्रबंध पद्धतियों के संगत अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भा. मा. ब्यूरो ने निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा :

क) आईएस/आईएसओ 9001: 2008 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना ;

BIS for marking their product with BIS Standard Mark and Indian importers can also seek BIS certification for applying BIS Standard Mark on the product being imported into the country. During the year 49 licences were granted for products such as Steel and Steel related products, Cables, Cement, Diesel Engines/Pumps, Tyres and Tyre Tubes and Infant food products. Total number of licences in operation under Foreign Manufacturers Scheme as on 31st March 2013 were 263 from countries like Malaysia, Singapore, Japan, Vietnam, Pakistan, China, Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, Germany, Poland, Romania, Spain, Netherlands, Portugal, Iceland, Czech Republic, France, Belgium, Italy, Egypt, Israel, United Kingdom, Slovakia, USA, Brazil, Ukraine, UAE, Nepal, Bhutan, Hungary, Indonesia, Philippines, South Korea, Turkey, Taiwan, South Africa and Georgia.

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

Progress of Hallmarking Scheme

The scheme for Hallmarking has further grown during 2012-13. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 9292 as on 31 March 2012 to 10586 as on 31 March 2013. During the period 277 lakhs articles of gold jewellery/ artefacts have been hallmarked. As on 31 March 2013 the number of BIS recognized assaying and hallmarking centres was 210.

The number of operative silver licences for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts has increased from 580 to 695 during the year.

Publicity for Hallmarking

- To promote hallmarking of gold/silver jewellery/ artefacts as a means of effective consumer protection, awareness programmes for jewellers/ consumers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. 54 Jewellers' awareness programmes have been organized during 2012-13.

- 155 advertisements have been released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers/ jewellers about the benefits of hallmarking on Gold/Silver Jewellery during this year.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per the corresponding standards for management systems:

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001:2008;

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन योजना ;

ग) आईएस 15000 : 1998 के अनुसार खाद्य जनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) ;

घ) आईएस 18001 : 2007 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना;

ङ) आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना;

च) आईएस 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा. मा. ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत सितम्बर 1991 में आरंभ किया गया था। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 'अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाओं' के अनुसार प्रचालित की जाती है।

वर्ष 2012–2013 के दौरान 52 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2013 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 948 हो गई। इनमें रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएं, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि और सेवा क्षेत्र जैसे वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन पद्धति योजना

भा. मा. ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) प्रारंभ की है। यह भी आईएसओ/आईईसी 17021 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रचालित है। अवधि के दौरान 13 नए ईएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए जिससे 31 मार्च 2013 को प्रचालन लाइसेंसों की संख्या 174 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली घर, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, बिजली और दूरसंचार केबल, पेट्रोलियम परिशोधन, कीटनाशी, औद्योगिक एवं विस्फोटक रसायन, रेलवे वैगन वर्कशाप, फार्मस्यूटिकल, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इत्यादि तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।

b) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001:2004;

c) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000:1998;

d) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007;

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005;

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700:2005;

Quality Management Systems Certification Scheme

The Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched by BIS in September 1991 under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. The Scheme is being operated in accordance with the international standard ISO/IEC 17021 'Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'.

52 Quality Management Systems Certification licences were granted during 2012 - 2013 making a total of operative licences to 948 as on 31 March 2013 covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, and service sectors such as financial sector, health sector, insurance, information technology, telecommunications, transport etc.

Environmental Management Systems Certification Scheme

The Environmental Management System (EMS) Certification Scheme was launched by BIS as per IS/ISO 14001. It is also operated as per International criteria laid down in ISO/IEC 17021. During the period, 13 EMS licenses have been granted making a total of operative licenses to 174 as on 31 March 2013. These licenses cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railway wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining, public administration (Pollution Control Board) etc.

व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा. मा. ब्यूरो ने आईएस 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (ओएचएसएमएस) जनवरी 2003 में आरंभ की थी। इससे कोई संगठन अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले उसके कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण खतरों और जोखिमों से जुड़ी विधायी अपेक्षाओं एवं जानकारी को ध्यान में रखते हुए नीति और उद्देश्य तय कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंधन कर सकता है जिन खतरों और जोखिमों को संगठन नियंत्रित कर सकता हो और जिनका प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। अवधि के दौरान 13 ओएचएसएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2013 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 69 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजली संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएं तथा कर्मचारी विकास केन्द्र शामिल हैं।

एचएसीसीपी स्टैंड एलोन

भा. मा. ब्यूरो आईएस 15000 के अनुसार स्टैंड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2013 को 2 एचएसीसीपी स्टैंड एलोन लाइसेंस प्रचालन में थे।

खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा. मा. ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (एफएसएमएस) प्रारंभ की थी। इस पद्धति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि खाद्य शृंखला में आने वाले सभी प्रकार के संगठन खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। एफएसएमएस के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे :

i) खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता में वृद्धि ;

ii) उत्पादों/सेवा के दायित्व के दावों के जोखिमों में कमी ;

iii) ग्राहक की संविदागत अपेक्षाओं को संतुष्ट करती है ;

iv) खाद्य उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करती है ;

v) अधिक स्वास्थ्य रक्षा ;

vi) अंतर्राष्ट्रीय मानकों और लागू विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता प्रदर्शन ;

vii) खाद्य निरापदता से संबंधित लागू वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना ; और

viii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

वर्ष के दौरान, 1 लाइसेंस प्रदान किया गया।

Occupational Health and Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) certification Scheme as per IS 18001:2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage policy and objectives, taking into account, the legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the period, 13 OHSMS licenses have been granted making a total of operative licences to 69 as on 31 March 2013. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

HACCP Stand Alone

BIS also offers a standalone HACCP Certification Scheme as per IS 15000. 2 HACCP Stand-Alone licences were in operation as on 31 March 2013.

Food Safety Management Systems Certification Scheme

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005. This system is designed to allow all types of organizations within the food chain to implement a food safety management system. Implementation of FSMS would help to achieve the following benefits:

i) Increased international acceptance of food products;

ii) Reduces risk of produce/service liability claims;

iii) Satisfies customer contractual requirements;

iv) Ensures safety of food products;

v) Greater health protection;

vi) Demonstrations conformance to international standards and applicable regulatory requirements;

vii) Helps to meet applicable food safety related statutory and regulatory requirements;

viii) Ensures to compete effectively in national and international markets

During the year, 1 licence was granted.

31 मार्च 2013 को 8 एफएसएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे।

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) योजना अप्रैल 2007 में आरंभ की थी। यह आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धतियां – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक निम्नलिखित तीन मुख्य घटकों पर ध्यान देता है :

- परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करना।
- दी जाने वाली सेवाएँ, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और उनका नियंत्रण तथा सेवा प्रदान करने की अपेक्षाओं का पता लगाना।
- शिकायत निपटान की प्रभावी प्रक्रिया।

इस मानक को विशेष तौर पर लोक सेवा संगठनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक पद्धति निर्धारित करता है जिससे सेवा संगठनों को नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत निपटान और गुणता की सेवा पर मुख्य बल देना चाहिए। यह मानक एक्रास द काउंटर गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर बल देता है। जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। भा. मा. ब्यूरो ने सेवा गुणता प्रबंध पद्धति के प्रमाणन के लिए योजना विकसित की है। भा. मा. ब्यूरो ने आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धति – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' के कार्यान्वयन को वरीयता क्षेत्र के तौर पर रखा है समीक्षाधीन अवधि के दौरान 4 लाइसेंस प्रदान किए गए।

31 मार्च 2013 तक निम्नलिखित 9 लाइसेंस प्रचालन में थे :

क) न्यू दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस, गोल डाकखाना भवन, नई दिल्ली

ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

यूनिट कार्यालय :

i) आयकर सेवा केन्द्र, पुणे

ii) आयकर सेवा केन्द्र, कोच्चि

iii) आयकर सेवा केंद्र, चंडीगढ़

iv) आयकर सेवा केंद्र, गांधीनगर

ग) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा–शुल्क बोर्ड

As on 31 March 2013, 8 FSMS licences were in operation.

Service Quality Management Systems Certification Scheme

The Service Quality Management Systems (SQMS) Certification Scheme was launched in April 2007. This is based on the Indian Standard on Service Quality by Public Service Organization namely IS 15700:2005 Quality Management Systems – Requirements for services delivery by public service organizations. This standard focuses mainly on the following 3 key elements:

- Formulation of a realistic Citizen's Charter through a consultative process,
- Identification of services rendered, Service delivery processes, their control and delivery requirements,
- An effective process for complaints handling

This standard has been specifically designed for public service organizations and prescribes a system that service organizations should install with focus on Citizen's Charter, Public Grievance Redressal and Service Quality to deliver quality of service. This standard focuses on delivery of quality service across the counter. Further, the organizations implementing this standard can be certified by Bureau of Indian Standards. BIS has developed the Scheme for Certification of Service Quality Management Systems. BIS has kept the implementation of IS 15700:2005 Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations as a Thrust Area: During the period 4 licences were granted.

As on 31 March 2013, the following 9 licences with 21 units were in operation:

a) New Delhi General Post Office, Gol Dak Khana Building, New Delhi

b) Central Board of Direct Taxes

Unit Offices:

i) Aay Kar Seva Kendra, Pune

ii) Aay Kar Seva Kendra, Kochi

iii) Aay Kar Seva Kendra, Chandigarh

iv) Aay Kar Seva Kendra, Gandhinagar

c) Central Board of Excise and Custom

यूनिट कार्यालय :

i) दिल्ली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – 1 सेवाएं

ii) दिल्ली सेवा कर सेवाएं

iii) सीमा शुल्क (आई एवं जी) सेवाएँ

iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, अहमदाबाद I एवं III

v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, राजकोट

vi) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, ठाणे, मुम्बई

vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, जयपुर

viii) सीमा शुल्क (आयात एवं सामान्य) सेवा विभाग, मुम्बई एयरपोर्ट

ix) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, हैदराबाद III

x) केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा विभाग, बेलापुर, नवी मुम्बई

घ) डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टोरेट, तिरूवनंतपुरम

ङ) एसबीआई, केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया इकाई, दिल्ली

च) भारतीय डाक विभाग, शिमला

छ) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर

ज) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली

झ) केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ

Unit Offices at:

i) Delhi Central Excise-I Services

ii) Delhi Service Tax Services

iii) Customs (I and G) Services

iv) Department of Central Excise Services, Ahmedabad I and III

v) Department of Central Excise Services, Rajkot

vi) Department of Central Excise Services, Thane, Mumbai

vii) Department of Central Excise Services, Jaipur

viii) Department of Customs (Import and General) Services, Mumbai Airport

ix) Department of Central Excise Services, Hyderabad III

x) Department of Central Excise Services, Belapur, Navi Mumbai.

d) Department of Electrical Inspectorate, Thiruvananthapuram

e) SBI, Central Pension Processing Unit, Delhi

f) Department of Posts India, Shimla

g) Chief Post Master, General, Jaipur

h) Chief Post Master, General, Delhi

j) Central Excise and Service Tax Commissionerate, Chandigarh

लीड ऑडिटर कोर्स में भा. मा. ब्यूरो अधिकारियों को प्रशिक्षण

गत वर्ष के दौरान भा. मा. ब्यूरो के अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न लीड ऑडिटर कोर्स में प्रशिक्षण दिया गया :

एलए कोर्स	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
क्यूएमएस	4
ईएमएस	4
ओएचएसएमएस	1

Training of BIS officers in Lead Auditor Course

During the year, number of BIS officers trained in various Lead Auditor Courses is given below:

LA Course	No. of Officers trained
QMS	4
EMS	4
OHSMS	1

भा. मा. ब्यूरो प्रबंध पद्धति के लिए ऑडिटिंग कार्मिक

अवधि के दौरान 45 ऑडिटिंग कार्मिक (भा. मा. ब्यूरो ऑडीटर एवं उप–संविदाकार) पंजीकृत किए गए और 30 ऑडीटिंग कार्मिकों

Auditing Personnel for BIS Management Systems

During this period, 45 auditing personnel (BIS auditors and sub-contractors) have been registered and 30 auditing

को विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं (क्यूएमएस/ईएमएस/ओएचएसएमएस/एचएसीसीपी/एफएसएमएस) के अंतर्गत अपग्रेड किया गया। 31 मार्च 2013 तक प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत नीचे दी गई संख्या में ऑडीटर और उप–संविदाकारों को पंजीकृत किया गया

personnel have been upgraded under various Management Systems Certification Schemes (QMS/EMS/OHSMS/HACCP/FSMS). As on 31 March 2013, the number of auditors and subcontractors registered with BIS for Management Systems Certification Scheme: are given below:

गतिविधि *Activity*	ऑडीटर *Auditor*	उप संविदाकार–ऑडीटर *Subcontractor Auditor*
क्यूएमएस *QMS*	233	102
ईएमएस *EMS*	100	47
ओएचएसएमएस *OHSMS*	39	27
एफएसएमएस *FSMS*	30	8
एचएसीसीपी *HACCP*	21	8
एसक्यूएमएस *SQMS*	58	3

ऑडीटरों की बैठक

अवधि के दौरान 5 ऑडीटर बैठकें आयोजित की गई भा. मा. ब्यूरो के अधिकारियों और पद्धति प्रमाणन ऑडिट हेतु पंजीकृत उप–संविदाकारों–ऑडीटरों ने इन बैठकों में भाग लिया।

Auditors' Meet

During the period 5 Auditors' Meet were organized in all the Regional Offices which were attended by BIS officers and subcontractor-auditors who are registered for carrying out system certification audits.

लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक

प्रमाणन मानकों की अपेक्षाओं में बदलाव के बारे में भा. मा. ब्यूरो लाइसेंस धारियों में जागरूकता पैदा करने एवं भा. मा. ब्यूरो के लाइसेंसधारियों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए भा. मा. ब्यूरो अपने लाइसेंसधारियों के साथ सभी क्षेत्रों में वर्ष में एक बार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। अवधि के दौरान लाइसेंसधारकों की 6 बैठकें आयोजित की गई ये बैठक सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्रमशः एक दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई तथा दो चेन्नै में आयोजित की गई।

Licensees' Review Meeting

For the purpose of creating awareness among licensees about change in the requirements of certification Standards and for obtaining first hand feedback from the licensees of BIS, about services rendered by BIS, Licensees Review Meets are held once in a year in all the regions. During this period, 6 Licensees' Meets were organized covering all the regions, one each at Delhi, Kolkata, Chandigarh, Mumbai and 2 at Chennai.

प्रवर्तन गतिविधि

भा. मा. ब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणता की मुहर है और छह से भी अधिक दशकों में इसने अपनी एक ब्रांड छवि बना ली है क्योंकि उपभोक्ता हमेशा गुणता वाले उत्पाद पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता आईएसआई मुहर वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता भा. मा. ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगा कर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं। वर्ष 2011 से 2012 के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग

ENFORCEMENT ACTIVITY

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a quality mark and also has established its brand image over six decades and is most preferred by consumers looking for quality products. Therefore, the consumer as well as the organized purchaser prefers ISI Marked products. The unscrupulous manufacturers are trying to deceive the consumers by producing and marketing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS i.e. misuse of ISI Mark. The menace of misuse of ISI Mark is an area of prime concern for BIS and several steps have been initiated to strengthen the enforcement activity of BIS to curb this menace Nodal Enforcement Officers have been appointed in each branch office for better coordination of enforcement activity. During the 2012 - 2013, BIS has

करने वाली फर्मों पर देश भर में 112 छापे मारे गए। इन छापों में पैकेजबंद पेयजल, पीवीसी केबल, प्रेशर कुकर, यूपीवीसी पाइप, ब्लॉक बोर्ड, पावर ब्रेशर, स्विच, एचडीपीई, पम्प आदि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों पर यथासमय कार्रवाई और न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध अभियोजन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त भा. मा. ब्यूरो ने मुख्यालय और अन्य शाखा कार्यालयों द्वारा मारे गये प्रवर्तन छापों के बारे में व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं ताकि आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके। घटिया उत्पादों पर प्रयोग किए जा रहे ब्रॉंडनाम सहित उन्हें प्रयोग कर रहे विनिर्माताओं के नामों का उल्लेख भी इन प्रेस विज्ञप्तियों में किया गया । आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आईएसआई मुहर के दुरूपयोग और उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की गई।

carried out 112 enforcement raids all over the country on the firms misusing ISI Mark. During these raids various spurious products, such as, Packaged Drinking Water, PVC Insulated Cables, Pressure Cooker, UPVC Pipes, Block Board, Power threshers, Switches, HDPE Pipes, Pumps etc, were seized. Efforts were made for timely processing of the enforcement cases and consequent launching prosecution against the offenders in the court of law. Besides, BIS has also issued number of press releases about the enforcement raids from HQs and other branch offices all over the country for giving wide coverage by both the print and electronic media with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers who are misusing ISI Mark. The names of such manufacturers along with brand names which are being used by them on the spurious products are also been mentioned in the press releases. Meetings are also organized with the consumer organizations and the manufacturers associations with an objective not only to make them aware about the misuse of the ISI Mark but also with an intention to get information about manufacturers who are misusing ISI Mark.

प्रयोगशाला सेवाएँ

उत्पाद प्रमाणन सुदृढ़ योजना के कार्यों में सहायता के लिए भा. मा. ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 1962 में साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ–साथ देश भर में आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। बाद में मोहाली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और पटना, बंगलौर और गुवाहाटी शाखा कार्यालयों में तीन प्रयोगशालाओं की स्थापना की। भा. मा. ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, सूक्ष्मजैविकीय, विद्युत और यांत्रिक शाखा के क्षेत्र में उत्पाद परीक्षण की सुविधाएं हैं। केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में विद्युत के क्षेत्र में इन–हाउस अंशशोधन की सुविधाएं हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भा. मा. ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के साथ गति बनी रहे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली और साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आइईसी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशशोधन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित कराया गया है।

भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में 2381 उत्पादों (1392 पूर्ण परीक्षण सुविधाएं और 989 आंशिक परीक्षण सुविधाएं) के परीक्षण की सुविधाएं हैं। वर्ष के दौरान भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए 21371 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

वर्ष के दौरान चेन्नई में गोल्ड रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 371 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

परीक्षण सुविधाओं का सृजन/उन्नयन

यह सतत प्रयास किया जाता है कि उत्पाद परीक्षण में भा. मा. ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में सुविधाएं अद्यतन हों। तदनुसार, प्रयोगशालाओं में आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। प्रयोगशालाओं को नवीनतम प्रौद्यागिकीगत विकास के समकक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के दौरान उपस्कर खरीदने के लिए रू.35,24,600 की राशि खर्च की गई। सीमेंट परीक्षण के लिए संपीडन परीक्षण मशीन चेन्नई प्रयोगशाला में और इस्पात उत्पादों के परीक्षण हेतु 100 टन क्षमता की तनन परीक्षण मशीन कोलकाता के लिए खरीदी गई।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से बंगलौर में फ्लेट प्लेट सोलर वाटर हीटर के परीक्षण के लिए सुविधा स्थापित की जा रही है।

LABORATORY SERVICES

In order to support the activities of the product certification marks scheme, BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples generated from Product Certification Scheme, beginning with the establishment of Central Laboratory at Sahibabad in 1962. Subsequently, four regional laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. The BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, microbiological, electrical and mechanical discipline. In-house calibration facilities in the field of electrical discipline are operational at Central Laboratory, Sahibabad.

In order to ensure that BIS laboratories are keeping pace with the developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

BIS labs have facilities to test 2381 products (1392 complete testing facilities and 989 partial testing facilities). During the year, BIS labs issued 21371 test reports for various products covered under Certification.

Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has issued 371 test reports during the year.

Creation/ up-gradation of testing facilities

Efforts are being made continuously to make BIS labs 'State of the art' in testing of products. Accordingly, modernisation and up-gradation in the labs is a continuous process. During the period 1 April 2012 to 31 March 2013, an amount of Rs 35,24,600/- was spent in procurement of equipments to keep abreast and modernize labs with the latest technological advancements. Compression Testing Machine for Cement testing has been added in Chennai lab and Tensile Testing Machine of 100 Ton capacity for testing of Steel products has been added in Kolkata lab in 2012-13.

Facilities for testing of Flat Plate Solar Water heater are being set up at Bangalore with financial help from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE).

गुणता आश्वासन कार्यकलाप

भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन परीक्षण का नियमित अंग है जिसके द्वारा गुणता युक्त परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है। अवधि के दौरान भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन क्रियाकलापों के अंतर्गत 769 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें दक्षता परीक्षण/अन्तर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान परीक्षण किए गए नमूने शामिल हैं।

प्रशिक्षण

क) भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में कार्यरत अनुशासित को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अवधि के दौरान भा. मा. ब्यूरो के 11 अधिकारियों को आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 में प्रशिक्षित कराया गया।

ख) विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के 19 छात्रों को ग्रीष्म प्रशिक्षण के अंग के तौर पर 6–8 सप्ताह का प्रयोगशाला कार्य प्रशिक्षण दिया गया।

ग) भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने 18 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देने के लिए संकाय उपलब्ध कराया तथा विकासशील देशों से केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं विभिन्न बाहरी प्रयोगशालाओं में इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के दौरे को सुगम बनाया।

प्रयोगशाला मान्यता योजना

उत्पाद प्रमाणन योजना से निकलने वाले नमूनों के परीक्षण का कार्यभार भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण भा. मा. ब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) प्रारंभ की है। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहां भी किया जाता है जहां भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में आर्थिक कारणों से परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यावहारिक न हो, भा. मा. ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकट्ठे हो जाएं या उपस्कर अस्थायी तौर पर काम न कर रहे हों इत्यादि। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 पर आधारित है और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुरूप है। भा. मा. ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाएं निम्नलिखित पूर्व अर्हताएं पूरा करती हों :

– प्रयोगशाला संबद्ध क्षेत्र में एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हों

– प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधाएं हों

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is a regular part of testing in BIS Labs by way of which the quality of testing is assured. During the period 769 samples were tested under Quality Assurance activities in BIS Labs. This includes the samples tested during participation in proficiency testing/ inter-lab comparison program.

Training

a) The manpower working in labs are being trained on regular basis to abreast them of the latest developments in the international arena. During the period 11 officers from BIS labs were provided training in IS/ ISO/ IEC 17025.

b) Nineteen students from Universities and Colleges were given training in the laboratory working for 6-8 weeks duration as part of summer training.

c) BIS Labs provided faculty for delivering lectures during the 3rd International program on Laboratory Quality Management Systems held from 18 February to 8 March 2013 and also facilitated the visit of these international participants from the developing countries to Central Lab and various recognized outside labs.

Lab Recognition Scheme

As the volume of workload for testing of samples generated from product certification scheme is much larger than the available capacity in BIS labs, BIS has established Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories (OSLs). The services of such laboratories are also utilized where it is economically not viable to develop test facilities in BIS laboratories, accumulation of large number of samples in BIS labs, equipment temporarily being out of order etc. The scheme is based on international standard IS/ISO/IEC 17025:2005, and is also in line with the criteria adopted by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) for accreditation of laboratories. OSLs recognized by BIS shall fulfil following prerequisites:

- The lab shall be accredited by NABL in the respective field

- The lab shall have complete testing facilities as per relevant Indian Standard

– प्रयोगशाला में भारतीय मानक के अनुसार उत्पादों के परीक्षण में सक्षम हों

31 मार्च 2013 को 139 भा. मा. ब्यूरो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं थीं जिसमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठनों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाएं (सरकारी प्रयोगशालाएं – 61, अर्ध–सरकारी – 01 और निजी प्रयोगशालाएं – 77) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भा. मा. ब्यूरो द्वारा जब और जैसी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष प्रकृति की 24 सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग भी किया जाता है। अवधि के दौरान 18 नई बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई। विभिन्न कारणों से 7 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई जिसमें औचक ऑडिट के परिणामों के आधार पर 5 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई। इस अवधि के दौरान 4 प्रयोगशालाओं की मान्यता निलंबित की गई।

भा. मा. ब्यूरो की आरंभ की गई पंजीयन योजना की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीयन की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 के अंतर्गत आने वाले आईटी उत्पादों (आईएस 13252) / एवी उत्पादों (आईएस 616) / माइक्रोवेव ओवन (आईएस 302–2–25) / इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (आईएस 302–2–26) के परीक्षण के लिए 7 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई। भा. मा. ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान और भी बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी जा सकती है।

- The lab shall have competence to test the products as per Indian Standard

As on 31 March 2013 there were 139 BIS recognized labs which include reputed R and D organizations, technical institutions, Govt labs and Private sector labs (Government labs - 61, Semi-Government labs - 01 and Private labs - 77). Besides this, services of 24 Government laboratories of specialized nature are also being utilized for different products by BIS as and when required. During the period 18 new outside labs were recognized. 7 labs were de-recognized due to various reasons, including 5 labs derecognized based on the findings of the surprise audits. In addition, recognition of 4 labs was suspended during the period.

To support newly launched BIS Registration Scheme, 7 outside labs were recognized for testing of IT products (IS 13252) / AV products (IS 616)/ microwave ovens (IS 302-2-25)/ electronic clocks (IS 302-2-26) covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012. The recognition of outside labs by BIS is further expected to increase during the year 2013-14.

सतर्कता गतिविधियाँ

भा. मा. ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है। भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय में सतर्कता विभाग और समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के सचिवालय में सात सतर्कता अनुभाग (संबद्ध उप महानिदेशक) है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को सहयोग करने के लिए सतर्कता विभाग में सतर्कता अधिकारी और सहायक स्टाफ होता है। सतर्कता विभाग में एक सतर्कता अधिकारी और सहायक स्टाफ होता है।

सतर्कता विभाग अन्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग, (सी वी सी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय विभाग के निकट समन्वय में काम करता है। सतर्कता विभाग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग, डीओपीटी इत्यादि द्वारा निर्दिष्ट विषय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ब्यूरो में सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन का कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त इसके क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) निरोधात्मक सतर्कता (यथा प्रक्रियाओं को नियोजित करना, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां इत्यादि)

ख) दंडात्मक सतर्कता (यथा शिकायतों की जांच, छानबीन करना, दोषी इत्यादि अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना)

ग) निगरानी एवं खोज (यथा सतर्कता ऑडिट, निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति दाखिले की छानबीन, समीक्षा बैठकें इत्यादि करना)

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग की कई गतिविधियां रहीं। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

सतर्कता ढांचे का सुदृढ़ीकरण

कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के सचिवालय में एक सतर्कता विभाग स्थापित (संबद्ध उप महानिदेशक) किया गया जिसमें एक सतर्कता अधिकारी और सहायक स्टाफ है।

विकेन्द्रीकरण

सतर्कता विभाग ने समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार की सतर्कता मंजूरी, पदोन्नति, इस्तीफे, सेवानिवृत्ति से संबंधित

VIGILANCE ACTIVITIES

Vigilance Set up of Bureau of Indian Standard (BIS) is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO) and comprises of Vigilance Department at BIS Headquarters and seven Vigilance Sections in the secretariat of each of the Disciplinary Authority for Group B, C and D employees (Deputy Director General concerned). CVO is assisted by Vigilance Officers and support staff at Vigilance Department. Vigilance Sections comprise of one Vigilance Officer and support staff.

The Vigilance Department functions in close coordination with Central Vigilance Commission (CVC), Central Bureau of Investigations (CBI) and Department of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities in the Bureau in accordance with the guidelines on the subject issued by Central Vigilance Commission, DOPT etc. This, inter-alia, include activities related to following:

a) Preventive vigilance (e.g. streamlining of procedures, training, seminars etc.)

b) Punitive Vigilance (e.g. scrutiny of complaints, investigations, disciplinary action against the officers at fault etc.)

c) Surveillance and detection (e.g. vigilance audits, inspections, scrutiny of annual property returns, review meetings etc.)

A number of activities were undertaken by the Vigilance Department during the period April 2012 to March 2013. Some significant activities are as under:-

Strengthening of Vigilance Structure

A Vigilance Section in the Secretariat of each of the Disciplinary Authority for Group B, C and D employees (Deputy Director General concerned) was set up, with the approval of EC, with one Vigilance Officer and support staff.

Decentralization

Vigilance Department decentralized work of processing of cases related to various vigilance clearances (concerning promotion,

मामलों के निपटान कार्य को संबद्ध उपमहानिदेशक को विकेन्द्रित किया।

विवरण पुस्तिका (हैंडबुक) – सतर्कता मंजूरी एवं संबद्ध मामलों के विषय पर मार्गदर्शिका

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में भा. मा. ब्यूरो के सभी कार्यालयों में सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर एक समान रूप से सही और उपयुक्त तरीके से कार्यवाही हो इसके लिए सतर्कता विभाग ने संबद्ध नियमों/निर्देशों/आदेशों को समेकित किया और एक विवरण पुस्तिका 'हैंडबुक – गाइडलाइन्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विजिलेंस क्लीयरेन्स एण्ड रिलेटिड मैटर्स' शीर्षक से निकाली।

प्रशिक्षण

भा. मा. ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'सतर्कता' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें सतर्कता से संबंधित विभिन्न पक्ष ऐसे 5 कार्यक्रम दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, बंगलौर और चेन्नई में आयोजित किए गए जिसमें 107 अधिकारियों ने भाग लिया।

पारदर्शिता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी संगठनों के लिए अपनी वेबसाइट पर ऐसे सीमागत मूल्य से अधिक पर दिए गए सभी ठेकों/खरीद का विवरण देना आवश्यक है जो कि संगठन को तय करने होते हैं। भा. मा. ब्यूरो के लिए ₹1 लाख तक की सीमा का सीमागत मूल्य तय है। इस उपरोक्त सीमागत मूल्य से अधिक के सभी ठेकों/खरीद का विवरण सितम्बर 2012 से वेबसाइट पर दिया जा रहा है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय, शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं निरीक्षण कार्यालयों तथा राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान में 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान कई कार्यक्रम जैसे सतर्कता विषय पर बैनर/पोस्टरों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और विजेताओं को पुरस्कार वितरण इत्यादि आयोजित किए गए।

श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

resignation, retirement etc.) in respect of Group 'B', 'C' and 'D' categories of employees to Deputy Directors General concerned.

Handbook – Guidelines on the Subject of Vigilance Clearance and Related Matters

In order to ensure that various vigilance related issues are dealt with correctly and appropriately in uniform manner across various offices of BIS in the country, Vigilance Department consolidated all rules/instructions/orders concerned and brought out a **'Handbook – Guidelines on the Subject of Vigilance Clearance and Related Matters'.**

Training

A two-day training programme for senior officers of BIS on 'Vigilance' was designed covering various aspects related to vigilance. 5 such programmes were organized at Delhi, Guwahati, Bangalore, Jaipur and Chennai where in 107 officials were participated.

Transparency

As per CVC's directions, all organizations are required to post on their websites the details of all the contracts awarded/purchases made above a threshold value which is to be fixed by the organization. The threshold value of ₹1 lakh was fixed for BIS. Details of all contracts awarded/purchases made above this threshold value are put on BIS website w.e.f. 1 September 2012.

Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week was observed at BIS Headquarters and in all Regional offices, Branch offices, Laboratories, Inspection Offices and National Institute of Training on Standardization from 29 October to 3 November 2012. A number of activities e.g. display of banners/posters on the theme of vigilance, training programmes, seminars, essay and slogan competitions, quiz etc. were organized and prizes distributed to the winners of these competitions.

Shri Pankaj Agrawala, Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India attended the Closing Ceremony of the Vigilance Awareness Week as Chief Guest and distributed prizes to winners of various competitions on this occasion.

तकनीकी सूचना सेवाएं

तकनीकी सूचना सेवाएं उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी अभिकरणों को जिज्ञासाओं के उत्तर में उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रयास में वर्ष के दौरान 350 से अधिक पूछताछ इत्यादि का उत्तर दिया गया।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को पहचान संख्याओं का प्रायोजन

भा. मा. ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई :

(क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आई आई एन)

आई एस ओ/आई ई सी 7812–1 का यह भाग अंतरराष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारी कर्ताओं की पहचान के लिए एक संख्यांकन पद्धति विनिर्दिष्ट करता है। यह संख्या प्रमुख उद्योग तथा कार्ड जारी कर्ता की पहचान करती है और पहचान संख्या का पहला भाग होती है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के आवेदनों का समर्थन अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (ए बी ए) को कर के भा. मा. ब्यूरो आई एस ओ 7812 –1 (ई) के अनुसार आई आई एन जारी करने में मदद करता है। वर्ष के दौरान पांच (5) जारी कर्ता पहचान संख्याएं जारी की गई।

(ख) विश्व विनिर्माण पहचानकर्ता जारी करना (डब्ल्यूएमआई)

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ समन्वय में भा. मा. ब्यूरो भारत में आटोमोबाइल विनिर्माताओं और निर्यातकों को आईएसओ 3780 : 1983 सड़क के वाहन–विश्वविनिर्माता पहचानकर्ता (कोड) जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। वर्ष के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड आवंटन के लिए छः (6) आवेदनों को डब्लूएमआई कोड दिया गया।

(ग) पंजीकृत आवेदन प्रदाता पहचानकर्ता (आरआईडी) कोड

यह आवेदन पहचानकर्ता (एआईडी) का अंग है जो आईएसओ/आईईसी 7816–5 के अनुसार बनाया और तैयार किया गया है और यह दो भागों में है क) आरआईडी, और ख) स्वामित्व आवेदन पहचानकर्ता विस्तार (पीआईएक्स) जो कि विभिन्न आवेदनों अथवा उत्पादों की पहचान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहु–आवेदन के परिवेश में एक आवेदन प्रदाता स्वयं की और कार्ड में अपने आवेदन की अलग पहचान करने में सक्षम हो तथा आवेदन को टर्मिनल का सपोर्ट होना आवश्यक है। यदि आवेदन का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किया जाना है तो अंतर्राष्ट्रीय आरआईडी के लिए आवेदन करना होता है। प्रत्येक आवेदन प्रदाता को एक अलग आरआईडी दिया जाता है। अपने विभिन्न आवेदन या उत्पादों की पहचान करने के लिए आवेदन प्रदाता को पीआईएक्स का इस्तेमाल करता है। अवधि के दौरान आरआईडी के एक आवेदन पर कार्यवाही की गई।

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavour, more than 350 enquiries were responded during the year.

Sponsorship of Identification Numbers

The following services were provided by BIS:

(a) Issuer Identification Number (IIN)

ISO/IEC 7812-1 Identification Cards- Identification of issuers- Part 1: Numbering system specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/ or inter-industry interchange. It identifies the major industry and the card issuer. BIS facilitates issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Five (5) Issuer Identification numbers have been issued during the period.

(b) World Manufacturer Identifier (WMI) NUMBER

In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS issues WMI Codes as per ISO 3780: 1983 Road Vehicles- World Manufacturer Identifier (Code), to the automobile manufacturers and exporters in India. Six (6) applications were allotted WMI Code during the period.

(c) Registered Application Provider Identifier (RID) Code

It is a part of an Application Identifier (AID), which is structured and assigned according to ISO/IEC 7816-5 and consists of two parts a) The RID, and b) Proprietary Application Identifier Extension (PIX) used to identify different applications or products. In a multi-application environment, an application provider needs to be able to uniquely identify itself and its application in the card and the terminal needs to be able to support the application. In case application is to be used internationally, one needs to apply for an international RID. Each Application Provider is assigned one unique RID. The Application Provider uses the PIX to identify its different applications or products. One application for RID was processed during the period.

(घ) डी जी एफ टी अधिसूचना सं. 44 (आर ई–2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफटी के निर्देशानुसार भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पहले भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य है। इस बात का स्पष्टीकरण कि कोई उत्पाद निर्देशों के अंतर्गत आता है या नहीं, अब तक भा. मा. ब्यूरो मानकों पर लागू, भा. मा. ब्यूरो द्वारा ही जारी किया जाएगा, और ऐसे स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होंगे। वर्तमान में 90 उत्पाद निर्देशों के दायरे में आते हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादों के 44 ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किए गए।

(d) Technical Clarifications on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

As per DGFT's instructions BIS certification is mandatory for various products before they enter Indian market. Clarifications on whether a product is covered within the instructions or not, in so far as BIS standards are concerned, would only be issued by BIS and such clarifications shall be binding on all concerned. At present, 90 products fall within the ambit of instructions. BIS issued forty four (44) clarifications during the year on different products.

पुस्तकालय सेवाएं

भा. मा. ब्यूरो का तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय स्रोत है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर में फैला यह पुस्तकालय दक्षिण एशिया का आज सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके संग्रह में पूरे विश्व के लगभग 6 लाख मानक और 70,000 तकनीकी पुस्तकें हैं। ब्यूरो के पुस्तकालय तंत्र में मुख्यालय और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई के चार क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालय शामिल हैं। वर्ष के दौरान 3700 आगंतुकों को सेवाएं प्रदान कीं। संदर्भ इकाई, 7 विस्तृत विषयों के संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करा संदर्भ इकाई मानक निर्धारण विभागों की पूर्ण रूप से सहायता करता है और उन्हें उनकी पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा रहा है। इसने व्यापार और उद्योग जगत से प्राप्त छोटे–बड़े 3213 पूछताछ इत्यादि का उत्तर देकर उनकी सहायता की। पुस्तकालय पहले की तरह विश्व मानकों के यांत्रिक डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए आधारभूत जानकारी देता रहा। डाटाबेस के इनपुट के रूप में लगभग 1795 मानक प्राप्त हुए और उन्हें कोडीकृत किया गया।

LIBRARY SERVICES

BIS Technical Library is a national resources centre for information on standards and related matters and meets the needs of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library of standards in the South Asian Region, covering a floor area of 1000 square meters. The collection includes about 6 lakh standards from all over the world and around 70,000 technical books. The Bureau's library system comprises the Headquarters' Library (New Delhi) and four Regional Office Libraries at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai. During the year reference services were provided to about 3700 visitors. The reference unit fully supported the standards formulating departments by providing 7 exhaustive subject bibliographies and making available the reference material of their choice. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 3213 long and short range queries as received from them. The Library continued to supply basic information to update the mechanized database of World Standards. Nearly 1795 standards were received and codified as input for the database.

प्रशिक्षण सेवाएं

प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय मानक ब्यूरो ने उद्योग, सरकार और सेवा क्षेत्रों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1995 में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना की। यह संस्थान मई, 2003 से अपने नोएडा स्थित कैम्पस और बैंगलूरू, जयपुर, चैन्नई, मुम्बई और कोलकाता के अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य कर रहा है।

उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईटीएस ने वर्ष के दौरान उद्योग के लिए 11 लीड ऑडिटर पाठ्यक्रमों सहित 35 इन–हाउस कार्यक्रम, 42 ओपन कार्यक्रम आयोजित किए।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भा. मा. ब्यूरो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के तहत वित्तीय सहायता से विकासशील देशों के प्रतिभागियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये :

क) 'प्रबन्ध पद्धति' पर चार सप्ताह की अवधि का नौवां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 जनवरी–08 फरवरी 2013 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया

ख) **प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति** पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 फरवरी – 08 मार्च 2013 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग) **मानकीकरण और गुणता आश्वासन** पर पैंतालीसवां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 मार्च से 10 मई 2013 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

TRAINING SERVICES

TRAINING INSTITUTE

Bureau of Indian Standards has set up National Institute of Training for Standardization (NITS) in the year 1995 to meet the training needs of industry, Government and Service sector. The institute is operating from its campus at NOIDA since May 2003 and through its training centres at Bangalore, Jaipur, Chennai, Mumbai and Kolkata.

TRAINING PROGRAMMES FOR INDUSTRY

During the year, NITS organized 35 In-house programmes, 42 Open Programmes including 11 Lead Auditors Courses for the industry.

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMMES

BIS organizes International Training Programmes (ITP) for participants from developing countries with the financial support under ITEC/SCAAP from Ministry of External Affairs, Government of India. During this year following ITPs were organized:

a) 9th International Training Programme of four weeks duration on **'Management Systems'** was held during 14 January- 08 February 2013 which was attended by 38 participants.

b) 3rd International Training Programme on **Laboratory Quality Management Systems** was held during 18 February – 08 March 2013 and was attended by 25 participants

c) 45th International Training Programme on **Standardization and Quality Assurance** was held during 18 March to 10 May 2013, which is being attended by 34 participants.

भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1 अप्रैल 2012 – 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान भा. मा. ब्यूरो कार्मिकों के लिए 22 कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए गए, जो निम्नलिखित हैं :

- 2 प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम
- निवारक सतर्कता पर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 2 हिन्दी की कार्यशाला,
- ए पी ए आर एवं सी सी एस, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टी, चिकित्सा और यात्रा नियम पर 2 कार्यक्रम,
- वित्त और क्रय प्रबंध पर 3 कार्यक्रम
- ग्राहक एवं व्यवहार प्रबंध पर 2 कार्यक्रम
- सी पी आई ओ, आर टी आई और रिकॉर्ड प्रबंध पर 2 कार्यक्रम
- स्थापना और भर्ती पर एक कार्यशाला
- क्रय प्रक्रिया और सतर्कता कसौटी पर एक कार्यक्रम
- सेवा निवृत्ति योजना पर 1 कार्यक्रम, तथा,
- समूह ग कर्मचारियों (पहले समूह घ) के कर्तव्य और दायित्व पर कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित लगभग 467 भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया और 33 भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों को अन्य ओपन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

TRAINING PROGRAMMES FOR BIS EMPLOYEES

During the period 1 April 2012 – 31 March 2013, 22 programmes were exclusively organized for BIS officials, which are given below:

- 2 Induction Training Programmes,
- 5 Training Programmes on Preventive Vigilance
- 2 Workshops on Hindi,
- 2 programme on APAR and CCS, Disciplinary Proceedings, Leave, Medical and Travel Rules,
- 3 programme on Finance and Purchase Management,
- 2 programme on Client and Behavioural Management,
- 2 programme on CPIO, RTI and Record Management,
- 1 Workshop on Establishment and Recruitment,
- 1 programme on purchase procedure and vigilance criteria,
- 1 programme on Retirement Planning, and
- 1 programme on Duties and Responsibilities of Group C employees (erstwhile Group D)

Around 467 BIS employees were trained in these programmes and 33 BIS employees were trained in other Open programmes organized by NITS.

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियां

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है और यह भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य भी रहा है। ब्यूरो उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता की अवधारणा को बढ़ावा देकर इस दिशा में योगदान दे रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करता है। कई बार इन कार्यक्रमों का आयोजन उपभोक्ता संगठनों के साथ मिलकर भी किया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान ऐसे 126 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मानक कार्यक्रमों की शैक्षिक उपयोगिता (ईयूएस)

व्यावसायिक संस्थानों के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को मानकीकरण और प्रबंध पद्धति के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले माल और सेवाओं में गुणता लाने के लिए अच्छी तरह तैयार हो सकें। भा. मा. ब्यूरो मानकों के शैक्षिक उपयोग पर कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करता रहा है। ये कार्यक्रम मानकीकरण के संदेश का प्रचार प्रसार करने और देश भर के व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में नवीनतम भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के विशिष्ट उद्देश्य से आयाजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के प्रतिभागियों में वितरण हेतु क्षेत्र विशेष से संबंधित संदर्भ सामग्री के विशेष किट तैयार किए गए हैं। वर्ष 2012–13 में मानक कार्यक्रमों के शैक्षिक उपयोग के 21 कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

उद्योग हेतु जागरूकता कार्यक्रम

उद्योग हेतु जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणता पद्धति की अवधारणा का प्रचार करना है। ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान और विचार–विमर्श शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को मानकीकरण, प्रबंध पद्धति प्रमाणन, उत्पाद प्रमाणन तथा भा. मा. ब्यूरो की अन्य गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में उस क्षेत्र के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र विशेष से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला जाता है। भा. मा. ब्यूरो द्वारा ऐसे कार्यक्रम उस क्षेत्र के स्थानीय उद्योग संघों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

CONSUMER AWARENESS PROGRAMMES

Implementation of Indian Standards is of great significance and has been a prime objective of the Bureau of Indian Standards. BIS is contributing in this direction by promoting the concept of standardization, certification and quality amongst the consumers. For accomplishing this objective, BIS is organizing regular Awareness Programmes through various ROs/BOs. These Awareness Programmes are sometimes conducted in association with Consumer Organizations. 126 programmes have been conducted during the year 2012-13.

EDUCATIONAL UTILIZATION OF STANDARDS PROGRAMMES (EUS)

The students and faculty of professional institutions need to be trained in the field of standardization and management systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services to be delivered by them. BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about latest Indian Standards in various professional institutes and universities throughout the country Special kit of Reference Material pertaining to specialized fields has also been prepared for distribution amongst the participants in such programmes. 21 EUS programmes were organized in the year 2012-13.

INDUSTRY AWARENESS PROGRAMMES

The aim of the Industry Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and management systems amongst small scale industries. Such programme consists of lectures and discussions, where the participants are exposed to the concept of standardization, Management systems Certification, product certification and other BIS activities. Standards relating to specific industrial sector, depending upon the concentration of industries in the area, are also highlighted in such programmes. These programmes are organized in collaboration with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute

सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2012–13 में उद्योग हेतु 37 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

जन शिकायतें

भा. मा. ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए हर माह समीक्षा व सतत निगरानी की जाती है। अवधि के दौरान 125 शिकायतें (36 मैनुअल और 89 ऑन लाइन) दर्ज की गई और कुल 74 शिकायतों का निपटान किया गया। भा. मा. ब्यूरो के जन शिकायत निपटान तंत्र के अंतर्गत शिकायतकर्ता की संतुष्टि के स्तर तक शिकायतों का निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने के प्रयास किए जाते हैं।

ऑन लाइन शिकायतों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि आई एस आई मुहरांकित उत्पादों, हॉलमार्क लगे आभूषणों/वस्तुएं भा. मा. ब्यूरो द्वारा दी गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों को अलग से और स्पष्ट रूप से पंजीकृत किया जा सकें।

सिटीज़न चार्टर

भा. मा. ब्यूरो ने आईएस 15700 गुणता प्रबंध पद्धति–जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता की अपेक्षाओं के अनुसार सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया है। पुनरीक्षित भा. मा. ब्यूरो सिटीजन चार्टर 31 जनवरी 2013 को भा. मा. ब्यूरो वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

उपभोक्ता नीति पर आई एस ओ समिति (कोपोलको)

भा. मा. ब्यूरो ने उपभोक्ता नीति पर आईएसओ समिति की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मई 2012 में नाडी, फिजी में हुई आईएसओ कोपोलको 2011 और संबंधित गतिविधियों/बैठकों में भाग लिया।

of that area. 37 Industry Awareness Programmes have been conducted in the year 2012-13.

PUBLIC GRIEVANCES

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redressal. During the period 125 (36 manual and 89 online) complaints were registered and 74 (23 manual and 51 online) complaints were redressed. Under BIS Public Grievance Redress mechanism, efforts are made to redress the grievances to the satisfaction of the complainant within the stipulated time frame.

The software for registration of online complaints has been modified to make it user friendly so that complaints related to ISI marked products, hallmarked jewellery/artefacts, services rendered by BIS etc. could be made separately and clearly.

CITIZEN CHARTER

BIS has brought out a Citizen's charter in line with IS 15700 Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations and with model citizen charter. The revised BIS Citizen Charter has been hosted on BIS website on 31 January 2013.

ISO COMMITTEE ON CONSUMER POLICY (COPOLCO)

BIS continued to participate in the activities of ISO Committee on Consumer Policy. ISO COPOLCO 2011 and related events/meetings held in May 2012 at Nadi, Fiji was attended by Indian Delegation.

बारहवीं योजनागत परियोजना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 केन्द्र सेक्टर योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गये, जिनमें से केवल स्वर्ण हॉलमार्किंग की योजना को 2012–13 के दौरान अनुमोदित किया गया।

पुरानी योजनाएं

स्वर्ण हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग की इस योजना का प्रचालन 10वीं योजना से किया जा रहा है तथा 12वीं योजना में जारी रहनी है, जिसके मुख्य घटक वही हैं जो निम्नलिखित हैं :

क) अवसंरचना निर्माण – एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना करना

ख) क्षमता निर्माण

i) शिल्पकारों को प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षकों (भा. मा. आडिटर) को प्रशिक्षण

iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

2012–13 के दौरान भा. मा. ब्यूरो ने इस योजना के अन्तर्गत ₹ 60 लाख प्राप्त किये तथा ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत स्थापित एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों के लिए प्रतिबद्ध देयता हेतु खर्च वहन करने के लिए ₹ 64.68 लाख (2011–12 से शेष सहित) खर्च किये ।

मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धतियाँ

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत प्रचालन की जा रही मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धतियों को जारी करने के लिए प्रस्तावित किया गया परंतु इनको निम्नलिखित घटकों के साथ दो अलग योजनाओं में विभाजित किया गया :

क) राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सशक्त करना

i) भा. मा. ब्यूरो की तकनीकी समिति सदस्यों/एसडीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

ii) भारतीय मानकों की स्थापना/पुनरीक्षण हेतु आर एवं डी परियोजनाएं

iii) भा. मा. ब्यूरो तकनीकी समिति बैठकों में भा. मा. ब्यूरो तकनीकी समिति सदस्यों की प्रतिभागिता बढ़ाना

XIIth PLAN PROJECTS

Proposals for following 4 Central Sector Schemes under XIIth Five year Plan (20012-17) have been submitted to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution out of which only Scheme on Gold Hallmarking has been approved during 2012-13.

OLD SCHEMES

Gold Hallmarking

The scheme on Hallmarking being operating since Xth Plan and is to be continued in XIIth Plan with same components as indicated below:

a) Infrastructure building- Setting up of Assaying and H Centres

b) Capacity building

i) Training of artisans

ii) Training of Trainers (BIS auditors)

iii) Training of personnel of assaying and hallmarking Centres

During 2012-13 BIS has received ₹ 60 lakhs under this scheme and has spent ₹ 64.68 lakhs (including balance from 2011-12) to meet expenses towards committed liability for Assaying and Hallmarking Centres set up under the XIth Plan.

National System for Standardization

The scheme on National System of Standardization operating under the XIth Plan was proposed to be continued, but to be split into the following two separate schemes with components as indicated below:

a) Strengthening Standardization at National Level

i) Training programmes for BIS technical committee members/ SDOs

ii) R and D projects for establishment/revision of Indian Standards

iii) Intensifying participation of BIS Technical Committee Members in BIS Technical Committee Meetings

ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सशक्त करना

i) भा. मा. ब्यूरो तकनीकी समिति सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि में भाग लेते हुए सहभागिता में सघनता लाना

ii) भारत में आईएसओ / आईईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / बहुपक्षीय / द्विपक्षीय, बैठकें / संगोष्ठियां / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण आयोजित करना

iii) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण मंच पर भारत के दृष्टिकोण के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए विभिन्न देशों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के दौरे

iv) अंतर्राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / द्विपक्षीय संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्मिकों और विशेषज्ञों की प्रतिभागिता।

नई योजना

अनुरूपता योजना की स्वयं घोषणा का पंजीकरण

यह अनुरूपता मूल्यांकन का वैकल्पिक साधन है जिसे निम्नलिखित घटकों के साथ बारहवीं योजना में लिया गया है :

क) अनुरूपता और इसके प्रचालन की स्वयं घोषणा के ऑनलाइन 'पंजीकरण' के सॉफ्टवेयर का विकास

ख) क्षमता निर्माण :

i) भा. मा. ब्यूरो अधिकारियों का प्रशिक्षण

ii) भा. मा. ब्यूरो अवस्थितियों पर आउटसोर्स जनशक्ति की नियुक्ति

iii) आउटसोर्स कार्मिक को प्रशिक्षण

iv) अवसंरचनागत अपेक्षाएं

b) **Strengthening Standardization at International level**

i) Intensifying participation of BIS Technical Committee Members in international standardization by attending the meetings, workshops, seminars, etc.

ii) Organizing ISO/IEC and other international/ regional/ multilateral/ bilateral Meetings/ Seminars/ Workshops/ Trainings in India

iii) Visits of officials and experts to different countries for lobbying in favour of India's view point at International Standardization Fora

iv) Participation of officials and experts in International/ Regional/ Bilateral Seminars/ Workshops/ Conferences/ Training Programmes.

NEW SCHEME

Registration for self declaration of conformity scheme

This is an alternative means of conformity assessment and to be taken up under 12th Plan with the following components:

a) Development of software for online 'Registration' for self declaration of conformity and its operation

b) Capacity Building:

i) Training of BIS officers

ii) Engagement of Outsourced manpower at BIS locations

iii) Training of outsourced personnel

iv) Infrastructure requirements

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत – तकनीकी आयोग (आईईसी) की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दिशा में भी ब्यूरो ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं।

डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ पाइंट

- भा. मा. ब्यूरो ने डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ पाइंट के रूप में अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ किया। डब्ल्यूटीओ / टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के साथ निकट संबंध बनाए रखा। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं से संबंधित सूचना को अपलोड किया गया उनकी प्राथमिकता निर्धारित की गई तथा देश के अन्दर अधिसंख्य स्टेकहोल्डरों में उनका प्रचार–प्रसार किया गया। राष्ट्रीय और अन्य देशों के मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित सभी संगत प्रश्नों के उत्तर दिए गए ।

- उपरोक्त के अतिरिक्त भा. मा. ब्यूरो डब्ल्यूटीओ / टीबीटी संबंधी विभिन्न दस्तावेज भी उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय / उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा एनएएमए इत्यादि से प्राप्त करके संबंधित चर्चाएं करता है। भा. मा. ब्यूरो अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इन प्रलेखों का भा. मा. ब्यूरो की गतिविधियों, मानक निर्धारण सिद्धांत बनाने, अनुरूपता मूल्यांकन, नियामक रीतियों के संदर्भ में जांच की गई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / उपभोक्ता मामले मंत्रालय को उपयुक्त फीडबैक / इनपुट प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

सन् 1947 में स्थापना के समय से ही आईएसआई एवं वर्तमान में भा. मा. ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) एवं अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) का सक्रिय सदस्य रहा है। यह इन अन्तर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति–निर्धारण समितियों में सहभागिता करता है। भा. मा. ब्यूरो आईएसओ की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण समितियों का सचिवालय धारक भी है, जिनमें भारत के व्यापार हित जुड़े हैं। आईएसओ के सदस्य के रूप में भा. मा. ब्यूरो भारतीय व्यापार एवं उद्योग के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। यह मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन तथा प्रत्यायन इत्यादि से संबद्ध क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में सक्रियता से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां भी जारी रखीं। वर्ष के दौरान कुछ गतिविधियों पर नीचे प्रकाश डाला गया है :

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau actively participates in various activities of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electro Technical Commission (IEC). It also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries.

WTO/TBT Enquiry point

- BIS strengthened its activities as the WTO / TBT Enquiry Point. Close interaction with Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest under WTO/TBT Agreement was maintained. The information with regard to the Notifications issued by various countries were uploaded, prioritized, segregated and disseminated to a large number of stakeholders in the country. All relevant queries pertaining to Standards and Conformity Assessment systems, both national and of other countries were replied.

- In addition, BIS also receives several documents from Ministry of Commerce and Industry (MoC and I)/ Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution (MoCA, F and PD) relating to WTO-TBT, negotiations relating to NAMA, etc. These documents are examined w.r.t. BIS functions, standards setting principles, conformity assessment, regulatory practices, etc as per the provisions given in the BIS Act and appropriate feedback/inputs were provided to MoC and I/ MoCA.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

Since its inception in 1947, the then ISI and now BIS has been an active member of International Organizations namely: International Organization for Standardization (ISO) and International Electro-technical Commission (IEC). It participates in various policy-making committees of these international standards bodies. BIS also holds secretariat of some of the important ISO Committees which are of trade interest to India. As member of ISO, BIS also takes active part in the development of International Standards with a view to protect the interests of Indian trade and industry. It is actively involved in Regional and Bilateral Cooperation Programmes pertaining to standardization, conformity assessment and accreditation etc. The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries. The details of some of the activities during year are highlighted below:

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

- **आईएसओ महासभा 2012** – अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 35 वीं महासभा का आयोजन सेन डिएगो, यूएसए में 16–22 सितम्बर 2012 को किया गया। श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (उपभोक्ता मामले) के नेतृत्व में भारतीय शिष्ट मंडल ने आईएसओ जी ए 2012 के दौरान विभिन्न बैठकों में भाग लिया। इन आयोजनों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय मानक निकायों के शिष्टमंडलों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया गया। इन चर्चाओं में राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ समझौता ज्ञापन/एम आर ए करने और वर्तमान समझौता ज्ञापन/एमओयू के संरचनागत कार्यान्वयन के लिए युक्ति क्रियाविधि पर चर्चा शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आम हितों की सुरक्षा करने के लिए रणनीति बनाने पर भी चर्चायें की गई।

- श्री अफजल अमानुल्लाह, महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जेनेवा में 15–18 जनवरी 2013 के दौरान रणनीति और नीति पर आईएसओ परिषद् स्थाई समिति की बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा भारत में आईईसी की आम सभा 2013 के आयोजन की चर्चा करने के लिए आईएसओ केन्द्रीय सचिवालय और आईईसी महासचिव के साथ बैठकें भी की गई।

- श्री अफजल अमानुल्लाह, महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो के नेतृत्व में भा. मा. ब्यूरो शिष्टमंडल ने आईएसओ परिषद् की जेनेवा में 26–28 मार्च 2013 की बैठक तथा नये सदस्यों के लिए संक्षिप्त विवरण सत्र में भाग लिया। बैठक के दौरान परिषद् के विभिन्न संकल्पों पर चर्चायें की गई।

- भा. मा. ब्यूरो ने आईएसओ की समितियों/उपसमितियों में, जहां भारत 'पी' सदस्य है और जहां भारत के पास सचिवालय दायित्व है, में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी)

- भा. मा. ब्यूरो के शिष्टमंडल ने आईईसी की आम सभा में भाग लेने के लिए 01–06 अक्टूबर 2012 के दौरान ओसलो, नार्वे का दौरा किया। अन्य शिष्टमंडल, जिसमें भा. मा. ब्यूरो के 3 अधिकारी शामिल थे, ने भी नई दिल्ली, भारत में आईईसी की आम सभा 2013 की मेजबानी की तैयारी करने के संबंध में 28 सितम्बर – 04 अक्टूबर 2012 के दौरान ओसलो, नार्वे का दौरा किया।

- भा. मा. ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न समितियों में सक्रियता से भाग लिया। आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति की बैठक 25 सितम्बर 2012 को हुई। इस बैठक के दौरान भारतीय उद्योग पर आईईसी मानकों के प्रभाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

International Organization for Standardization (ISO)

- **ISO General Assembly 2012-** The 35th General Assembly of International Organization for Standardization (ISO) was held at San Diego, USA during 16-22 September 2012. The Indian delegation headed by Shri Pankaj Agrawala, Secretary (Consumer Affairs) attended various meetings during ISO GA 2012. During the event, bilateral and multilateral meetings were also held with the delegations from various national standards bodies. The discussions included entering into MoUs/MRAs with the national standards bodies and device mechanism for structured implementation of the existing MoUs/ MRAs. Discussions were also held to device strategies to safeguard common interests at the international fora.

- A BIS delegation headed by Shri Afzal Amanullah, DG, BIS attended Meetings of ISO Council Standing Committee on Strategy and Policy at Geneva during 15 – 18 January 2013. In addition to this, meetings with ISO Central Secretariat and IEC General Secretary were also held to discuss the organization of IEC General Meetings 2013 in India.

- A BIS delegation headed by Shri Afzal Amanullah, DG BIS attended Meeting of ISO Council and briefing session for new members at Geneva from 26 – 28 March 2013. Discussions were held on various council resolutions during the meeting

- BIS actively participated in ISO Technical Committees/ Subcommittees India holds secretariat responsibilities or is a 'P' member.

International Electro-technical Commission (IEC)

- A BIS delegation visited Oslo, Norway during 01 – 06 October 2012 for attending IEC General Meetings. Another delegation constituting 3 BIS officers also visited Oslo, Norway during 28 September – 4 October 2012 in connection with preparation for hosting IEC GM 2013 in New Delhi, India.

- BIS actively participated in various IEC committees. Indian National Committee of IEC meeting was held on 25th September 2012. Matters related to impact of IEC Standards on Indian Industry was discussed during the meeting.

भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

- आईएसओ/टीसी 34/एससी 7 मसाले, खाद्य जड़ी बूटी और मसाले उप समिति की 27वीं बैठक की मेजबानी भा. मा. ब्यूरो द्वारा मसाले बोर्ड के सहयोग से 3–5 दिसम्बर 2012 को कोच्ची, भारत में आयोजित की गई। भा. मा. ब्यूरो के पास आईएसओ/टीसी 34/एससी 7 का सचिवालय है। भारत, ईरान, स्पेन, जर्मनी और श्रीलंका के शिष्टमंडलों ने बैठक में भाग लिया।

- आईईसी टीसी 33 की 'पावर संधारित्र और उनके अनुप्रयोगों' पर बैठक भा. मा. ब्यूरो द्वारा बंगलौर में 19–22 नवम्बर 2012 के दौरान आयोजित की गई। भारत आईईसी/टीसी33 'पावर संधारित्र और उनके अनुप्रयोग' का पी सदस्य है। पावर संधारित्र (इंटी 29) विषय समिति आईईसी/टीसी 33 की राष्ट्रीय मिरर समिति है। बेल्जियम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो आईईसी/टीसी 33 के "पी" सदस्य हैं, के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 14 अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों ने भाग लिया।

International meetings organized in India

- 27th meeting of ISO/TC 34/SC 7 'Spices, culinary herbs and condiments subcommittee, was hosted by BIS in collaboration with Spices board during 3-5 December 2012 at Kochi, India. BIS holds the secretariat of ISO/TC 34/SC 7. Delegates from India, Iran, Spain, Germany and Sri Lanka participated in the meeting.

- A Meeting of IEC TC 33 'Power Capacitors and their Applications' was organized by BIS at Bangalore during 19-22 November 2012. India is a 'P' member of IEC/TC 33 'Power Capacitors and their applications'. Power Capacitors (ET 29) Sectional Committee is the National Mirror Committee for IEC/TC 33. Representatives from Belgium, China, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, Switzerland and United States of America who are 'P' members of IEC/TC 33 participated in the meeting. 14 international delegates participated in the meeting.

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

भा. मा. ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, केन्या, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखा।

भारतीय मानक ब्यूरो (भा. मा. ब्यूरो) और पाकिस्तान मानक और गुणता नियंत्रण प्राधिकरण (पीएसक्यूसीए) के बीच द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर वैज्ञानिक जी एवं मुख्य अधिकारी (प्रयोगशाला) और डा. शाहजाद अफजल, उप महानिदेशक, पीएसक्यूसीए द्वारा 21 सितंबर 2012 को हस्ताक्षर किये गये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत–रूस कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक नई दिल्ली में 12 अक्टूबर 2012 को आयोजित की गई। भा. मा. ब्यूरो द्वारा मानक और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में भा. मा. ब्यूरो और तकनीकी विनियम और माप पद्धति (जीओएसटी आर) पर संघीय अभिकरण के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन मसौदा प्रस्तावित किया गया है।

श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले और श्री स्कॉट स्टीडमेन, निदेशक मानक, ब्रिटिश स्टैन्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन की बैठक 5 नवम्बर 2012 को भा. मा. ब्यूरो, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें मानक और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई।

श्री एश साही, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएसए (कैनेडियन स्टैन्डर्ड्स एसोशिएशन) समूह, कनाडा ने भा. मा. ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों से 5 दिसम्बर 2012 को भेंट की। इसमें भा. मा. ब्यूरो और सीएसए समूह के बीच अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशाला मान्यता गतिविधियों और अन्य संभव सहयोग से संबंधित चर्चायें की गई।

Bilateral Co-operation Programmes

BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as USA, Pakistan, UAE, Germany, Kenya, South Korea, Bangladesh, Russia, Iran and Saudi Arabia in close association with Ministry of Commerce and Ministry of External Affairs.

A bilateral cooperation agreement between Bureau of Indian Standards (BIS) and Pakistan Standards and Quality Control Authority (PSQCA) was signed on 21 September 2012 by Sc. G and Chief (Laboratories) and Dr. Shahzad Afzal, Deputy Director General, PSQCA.

The 5th Meeting of the India - Russia Working Group on Science and Technology was organized by Department of Science and Technology on 12 October 2012 at New Delhi. A draft MoU for cooperation between BIS and Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (GOST R) in the field of standards and conformity assessment has been offered by BIS.

A meeting of Shri Pankaj Agrwawala, Secretary, Department. of Consumer Affairs with Mr. Scott Steedman, Director Standards, British Standards Institute was held on 5 November 2012 at BIS, New Delhi wherein discussions with respect of areas of mutual cooperation in the field of standards and conformity assessment took place.

Mr. Ash Sahi, President and CEO, CSA (Canadian Standards Association) Group Canada, met senior officials of BIS on 5 December 2012. Discussions pertained to Conformity Assessment and Laboratory Recognition Activities and possible coopration between BIS and CSA Group.

श्री अफजल अमानुल्लाह, महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो ने मानक अनुरूपता मूल्यांकन और गुणता के क्षेत्र में यूक्रेन के श्री अनातोली मास्कस्युता आर्थिक विकास और व्यापार प्रथम उपमंत्री के साथ 10 दिसम्बर 2012 को हैदराबाद हाउस में समझौता ज्ञापन पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री और यूक्रेन के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

भा. मा. ब्यूरो ने एमओसी की 15 फरवरी 2013 को हुई चौथी भारत – कोरिया संयुक्त निवेश प्रमोशन समिति की बैठक में भाग लिया।

भारत और घाना स्टैन्डर्ड्स अथोरिटी के बीच घाना में 29 जनवरी 2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। भा.मा. ब्यूरो की ओर से घाना में भारत के उच्चायुक्त द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

आर्थिक मामले, व्यापार और उद्योग एमईटीआई / जेआईएससी (जेपनीज इंडस्ट्रीयल स्टैन्डर्ड्स कमेटी) मंत्रालय के शिष्ट मंडल ने 5 मार्च 2013 को भा. मा. ब्यूरो का दौरा किया। बैठक के दौरान, मानकीकरण, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करने की संभावना पर चर्चा की गई। जापानी शिष्ट मंडल का नेतृत्व श्री हिरोकी योशिदा, सहायक निदेशक, एमईटीआई द्वारा किया गया।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानक, तकनीकी विनियम और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए व्यापार सुविधा के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) की राष्ट्रीय मानक निकाय, तकनीकी विनियम (विधिक माप विज्ञान सहित) और अनुरूपता मूल्यांकन (प्रत्यायन और माप विज्ञान सहित) के शिष्ट मंडल की दूसरी त्रिपक्षीय बैठक 6–9 अगस्त 2012 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में हुई। तीन देशों के शिष्टमंडलों के बीच विस्तृत चर्चा हुई जिसके आधार पर व्यापार सुविधा पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) के बीच समझौता ज्ञापन की कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

भा. मा. ब्यूरो सार्क एवं फिजीकालिस–टेकनिस बुंदेसांस्यल्ट (पीटीबी) जर्मनी के साथ 'वहनीय विकास के लिए गुणता अवसंरचना (क्यूयूआईएसपी)' के लिए दक्षिण एशिया के मानकीकरण पर पीटीबी–सार्क मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम कार्यशाला का आयोजन 17–20 अप्रैल 2012 को नई दिल्ली में किया।

महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो ने 4–8 जून 2012 के दौरान यिओसु, कोरिया में हुई प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस (पीएएससी) और पीएएससी – इंसी की 35 वीं बैठक में भाग लिया।

भा. मा. ब्यूरो ने 16 जनवरी 2013 को भारत में वाणिजय मंत्रालय में हुई ईयू व्यापक–आधार वाले व्यापार और निवेश करार चर्चाओं में भाग लिया।

Shri Afzal Amanullah, DG BIS signed an MoU with Mr. Anatolii Masksyuta First Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine in the field of Standards, Conformity Assessment and Quality on 10 December 2012 in Hyderabad House in the presence of Hon'ble Prime Minister of India and Hon'ble President of Ukraine.

BIS participated in 4th India – Korea Joint Investment Promotion Committee Meeting in MoC on 15 February 2013.

An MoU between BIS and Ghana Standards Authority was signed on 29 January 2013 in Ghana. From BIS side, the MoU was signed by the High Commissioner of India to Ghana.

A delegation from Ministry of Economy, Trade and Industry METI /JISC (Japanese Industrial Standards Committee) visited BIS on 5 March 2013. During the meeting, possibility of having cooperation in the field of standardization, testing and conformity assessment was discussed. The Japanese delegation was led by Mr. Hiroki YOSHIDA, Assistant Director, METI.

Regional Co-operation Programmes

The 2nd Tripartite Meeting of the delegates of National Organizations of Standards, Technical Regulations (including Legal Metrology) and Conformity Assessment (including Accreditation and Metrology) of India, Brazil and South Africa (IBSA) for the Implementation of the MoU on Trade Facilitation for Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment was held in Bureau of Indian Standards, New Delhi during 6-9 August 2012. Detailed deliberations were held between the delegates of the three countries based on which an Action Plan for the implementation of the India, Brazil and South Africa (IBSA) MoU on Trade Facilitation were chalked out.

BIS alongwith SAARC and Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Germany organized the kickoff workshop in New Delhi from 17 – 20 April 2012 for the PTB-SAARC Blended Learning Course on Standardization for South Asia for 'Quality Infrastructure for Sustainable Development (QUISP)'.

DG, BIS attended the 35th Meeting of Pacific Area Standards Congress (PASC) and PASC – EC Meeting during 4 – 8 June 2012 at Yeosu, Korea.

BIS participated in India – EU Broad-based Trade and Investment Agreement negotiations held in MoC on 16 January 2013.

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

समृद्ध आईटी भौतिक अवसंरचना

- इस अवधि के दौरान बीआईएस – वीपीएन बैंडविथ को सशक्त किया गया।
- लगभग 100 नये पीसी लिये गये और भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय के विभिन्न विभागों में संस्थापित किये गये।

भा. मा. ब्यूरो – वेबसाइट

- संबंधित विभागों/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों इत्यादि के इनपुट के आधार पर जानकारी में वृद्धि करके उसे अद्यतन करके वेबसाइट की विषय सामग्री को समृद्ध और दोबारा डिज़ाइन किया गया। प्रवर्तन के संशोधित प्रपत्र तथा हॉलमार्किंग केन्द्रों की सूची, डब्ल्यूटीओ–टीबीटी सूचना और पुस्तकालय एडीशन नियमित रूप से अपडेट किये गये।
- भा. मा. ब्यूरो की विभिन्न सेवाओं के लिए आईएसआई मुहरांकित उत्पादों, हॉलमार्क लगे उत्पादों के बारे में नई ऑन लाइन शिकायत मॉड्यूल को शिकायत करने के लिए इन–हाउस विकसित करके कार्यान्वित किया गया है।
- भा. मा. ब्यूरो इंट्रानेट के अन्तर्गत स्थिति रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में, लंबित नमूने और विवादित नमूनों की स्थिति के अपलोड करने की सुविधा देने हेतु दो नये मॉड्यूल विकसित किये गये।

आईईसी महासभा 2013 – वेबसाइट

- अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग की महासभा की आगामी बैठक, जो अक्टूबर 2013 में होनी है, की वेबसाइट को विकसित किया गया तथा पब्लिक डोमेन में होस्ट किया गया जिसके लिए डोमेन नाम को पंजीकृत किया गया है और 4 जीबी स्थान लिया गया।

मानकों का डिजिटीकरण

- अवधि के दौरान सात विभागीय परिषदों के मानकों का डिजिटीकरण पूर्ण किया।

सीएमएमएस पैकेज में सुधार

- क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मुहर विभागों में अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं अर्थात् अस्थाई आवेदन मॉड्यूल, रिपोर्ट जनरेट करना एवं शुल्क मॉड्यूल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सीएमएमएस में कुछ संशोधन किये गए ।

पे रोल सॉफ्टवेयर

- वेतनमान को नये पे रोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है तथा भा. मा. ब्यूरो की अपेक्षाओं के अनुसार

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Enrichment of IT infrastructure

- During the period, the bandwidth of BIS-VPN has been enhanced.
- More than 100 PCs were procured and installed in different departments at BIS Head Quarters.

BIS-Website

- The content of website has been enhanced and redesigned by addition/ updation of information based on inputs from concerned departments/ ROs/ BOs etc. Revised forms for enforcement, list of hallmarking centres, WTO-TBT information and Library additions were updated regularly.
- A new online complaint module has been developed in house and implemented to lodge complaints about ISI marked products, hallmarked products and various services of BIS.
- In status report software under BIS intranet, two new modules have been developed to facilitate uploading of status of pending samples and disputed samples.

IEC GM 2013 –Website

- The website for forthcoming International Electrotechnical Commission General Meetings to be held in October 2013 was developed and hosted in public domain, for which a domain name is registered and 4 GB space was taken.

Digitization of standards

- During the period, digitization of standards of seven divisional councils was completed.

Improvements in CMMS package

- Based on the feedback received from Regional Offices/ Branch Offices few modifications were made in CMMS software to resolve the problems faced by officers in the marks departments i.e. temporary application module, report generation and fee module.

Payroll Software

- Salary is being processed through new payroll software, customized as per the requirements of

बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को वेतन/पेंशन पर्ची को ई–मेल द्वारा भेजने की व्यवस्थाएं हैं। यह सॉफ्टवेयर वैयक्तिक उपयोगकर्ता खातों के माध्यम से वेतन पर्ची, पेंशन पर्ची और अन्य जीपीएफ/कर संबंधित ब्यौरों को ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है।

BIS. The software has provision to send Salary/ Pension slips to BIS employees/ pensioners through e-mail. The software facilitates online viewing of pay slips, pension slips and other GPF/ tax related statements through individual user accounts.

ई–प्राप्ति

- केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से विस्तृत एंड टू एंड ई–प्रापण के कार्यान्वयन के लिए उपाय प्रारंभ किये गये। एनआईसी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के लिए चौदह भा. मा. ब्यूरो कार्मिकों के भरे फार्म भेजे गये। अप्रैल 2013 के माह में भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय, एनआईटीएस और केन्द्रीय प्रयोगशाला हेतु ई–प्रापण के लिए विभाग को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

E-Procurement

- Steps towards implementation of comprehensive end–to-end E-procurement through Central Public Procurement Portal were initiated. Filled forms of fourteen BIS officials for obtaining Digital Signature Certificates have been submitted to NIC. A training programme has been planned in the month of April 2013 to prepare the department towards E-Procurement for BIS-HQ, NITS and CL.

प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सॉफ्टवेयर

- प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने, प्रबंध द्वारा मॉनिटर करने की व्यवस्था सहित इन हाउस नया प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सोफ्टवेयर विकसित किया गया है।

Lab Test Report Software

- New lab test report software with provision for uploading test reports by Labs, monitoring by management has been developed in house.

परियोजना प्रबंधन

भा. मा. ब्यूरो के भवनों के निर्माण सहित मुख्य परियोजनाओं की प्रगति निम्नलिखित है:

भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय में सेन्ट्रल वातानुकूलन और विद्युत एवं रखरखाव सेवाओं का उन्नयन

भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय के दोनों भवनों में लेन और अग्नि–शमन सेवाओं सहित वातानुकूलन और विद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं के उन्नयन से संबंधित परियोजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादन की जा रही है। कार्य प्रगति पर है तथा दोनों भवनों में मुख्य रिवायरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया पुराने एसी डक्ट हटा दिये गये हैं और दोनों भवनों में वातानुकूलन के लिए नये डक्ट और एएचयू के संस्थापन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सब–स्टेशन के उन्नयन का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें एलटी पैनलों का रिप्लेसमेंट तथा एचटी पैनलों की ओवरहॉलिंग और रखरखाव भी शामिल है।

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ भवन

भा. मा. ब्यूरो ने उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में संघ–राज्य क्षेत्र प्रशासन से 4492.43 वर्ग मीटर का एक प्लॉट प्राप्त किया है। इस भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रगति पर है तथा यह परियोजना अगस्त 2013 तक पूर्ण की जानी है।

राजकोट कार्यालय भवन

भा. मा. ब्यूरो का राजकोट शाखा कार्यालय शुरू से ही किराये के भवन में कार्य कर रहा है। ब्यूरो द्वारा राजकोट नगर निगम से 861.5 वर्ग मीटर का प्लाट प्राप्त किया है। जिस पर अपने कार्यालय के भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी है और इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाना है।

जम्मू कार्यालय का भवन

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भा. मा. ब्यूरो, चंडीगढ़ के उत्तरी क्षेत्र परिसर द्वारा सेवा दी जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भा. मा. ब्यूरो ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त प्लॉट पर अपने जम्मू कार्यालय के भवन का निर्माण करने की योजना बनाई है। जम्मू में भा. मा. ब्यूरो भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है तथा इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाएगा।

हैदराबाद कार्यालय भवन

भा. मा. ब्यूरो ने हाल ही अपने हैदराबाद शाखा कार्यालय के निर्माण के लिए 2023.5 वर्ग मीटर का प्लॉट आंध्र प्रदेश औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर निगम से औद्योगिक विकास पार्क, मौला अली, रंगा

PROJECT MANAGEMENT

The progress of major projects including construction of new buildings of BIS is given below:

CENTRAL AIR-CONDITIONING AND UP-GRADATION OF ELECTRICAL AND MAINTENANCE SERVICES AT BIS HQs:

Project related to Air Conditioning and up-gradation of Electrical and Mechanical services including LAN and Fire fighting services at both the buildings in BIS Head Quarters is under execution through CPWD. The work is in progress and major portion of rewiring in both the buildings was completed. The old AC ducts were removed and process of installation of new ducts and AHUs for Air conditioning in both the buildings was initiated. Installation of equipments for fire-fighting at both the building was in process .The work of upgradation of substation which includes replacement of LT panels and overhauling and maintenance of HT panels was completed.

NORTHERN REGION OFFICE, CHANDIGARH BUILDING:

BIS has acquired a plot measuring 4492.43 Sq.m from Union Territory Administration at Chandigarh for construction of Northern Regional Office Building. The construction of the building through CPWD is in progress and the project is scheduled to be completed by August 2013.

RAJKOT OFFICE BUILDING

BIS Rajkot Branch Office has been functioning in a rented building since its inception. A plot measuring 861.5 Sq.m has been acquired by the Bureau from Rajkot Municipal Corporation for construction of its own office building through CPWD. Tender for the construction has been released by CPWD and the work is likely to start soon.

JAMMU OFFICE BUILDING:

The J and K State is currently being served from BIS, NRO premises at Chandigarh. In order to encourage industrial activities in J and K Region, BIS has planned to construct its Jammu Office Building at Jammu on a plot acquired from J and K State Industrial Development Corporation. The work of construction of the BIS building at Jammu has been awarded to CPWD and the project is likely to start soon.

HYDERABAD OFFICE BUILDING

BIS has acquired a plot measuring 2023.5 Sq.m from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation

रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया है। इसके निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निविदा का कार्य पूर्ण कर दिया है तथा कार्य शीघ्र शुरू किया जाना है।

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला भवन का नवीकरण

मोहाली स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के भवन तथा इसमें उपलब्ध जन सुविधाओं की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण और इंटीरियर के उन्नयन हेतु नवीकरण संबंधी परियोजना भा. मा. ब्यूरो ने प्रारंभ की। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, चंडीगढ़ को सुपुर्द किया गया। इस कार्य में से पहले आरंभिक मरम्मत और इसके बाद नवीकरण कार्य किया जाएगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निविदा का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाएगा।

भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय के पुस्तकालय का नवीकरण

यह भा. मा. ब्यूरो मुख्यालय स्थित पुस्तकालय विशेष रूप से, रीडिंग हॉल और इश्यू काउंटर को नामी पुस्तकालयों के पैटर्न पर 'स्टेट ऑफ आर्ट' बनाने के लिए अपग्रेड करना प्रस्तावित है। यह परियोजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ योजना बनाने की स्थिति में है।

at Industrial Development Park, Moula Ali, Ranga Reddy District A.P. for construction of its Hyderabad Branch Office. The work for construction has been awarded to CPWD. CPWD has gone for tendering and work is likely to start soon.

RENOVATION OF NORTHERN REGION OFFICE LABORATORY BUILDING

A project related to Renovation of Northern Regional Office Laboratory Building at Mohali was taken up by BIS due to deteriorating condition of the building and public utilities and up-gradation of interiors. The work has been entrusted to CPWD Chandigarh. The work has been planned for initial restoration and then subsequent renovation. CPWD has gone for tendering and work is likely to start soon.

RENOVATION OF THE BIS LIBRARY AT HQs

It is intended to upgrade the BIS Library at our Headquarters particularly the reading hall and the issue counter to make it 'state of the art' on the pattern of renowned libraries. The project is under planning stage with CPWD.

मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 मार्च 2013 को भा. मा. ब्यूरो में कुल 1,566 व्यक्ति कार्यरत थे। वर्ष 2012–2013 के दौरान भा. मा. ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों की तैनाती नीचे दी गई है

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

As on 31 March 2013, a total of 1566 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2012-13 is given below:

गतिविधि Activity	कार्मिकों की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2013) Group wise Deployment of Personnel (as on 31 March 2013)		
	क A	क (नॉन वैज्ञानिक कैडर) एवं ख ग घ A (Non Scientific Cadre) &B,C,D	कुल Total
मानक निर्धारण Standards Formulation	74	82	156
प्रमाणन / Certification	312	609	921
प्रयोगशालाएं Laboratories	58	81	139
तकनीकी सहायता सेवाएं Technical Support Services	25	140	165
प्रशासन एवं वित्त Administration and Finance	1	140	141
अन्य (कॉरपोरेट) Others (Corporate)	15	29	44
योग / Total	485	1081	1566

दिनांक 31 मार्च 2013 के अनुसार समूहवार संख्या इस प्रकार है :

समूह	अनुसूचित जाति / अनु. ज. जा. / अन्य पिछड़े वर्गों / विकलांगों / भूतपूर्व सैनिक का प्रतिनिधित्व	कुल
क (वैज्ञानिक कैडर)	151	485
क (नॉन वैज्ञानिक कैडर)	15	33
ख	115	469
ग	110	317
घ	112	262
योग	503	1566

As on 31 March 2013, the Groupwise strength is as under:

Group	SC/ST/OBC/ PH/Ex Ser. REPRESENTATION	Total
A (Scientific Cadre)	151	485
A (Non Scientific cadre)	15	33
B	115	469
C	110	317
D	112	262
Total	**503**	**1566**

कर्मचारी कल्याण

भा. मा. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, हॉली डे होम की सुविधा, डॉक्टर की सेवाएं, रिफ्रेशमेंट कूपन, बाल छात्रवृत्ति योजना जैसी कल्याणकारी सुविधाएं जारी रखी हैं। अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वर्तमान में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित हॉली डे होम अस्तित्व में है:

STAFF WELFARE

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme, facility of Holiday Homes, Doctor Services, refreshment coupons, Children Scholarship Scheme etc. were continued. Presently the following Holiday Homes are functional under Headquarters and Regional Offices as a welfare measure for its employees:

अ) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – पुरी

ब) दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय – कोडईकेनाल

स) पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय – लोखंडवाला

कार्य स्थान पर कार्यकारी महिलाओं का यौन उत्पीड़न

माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य के विरूद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य में बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदंडों का अनुसरण करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यौन उत्पीड़न समिति स्थापित की गई जिसकी प्रमुख एक महिला है तथा आधा सदस्य भी महिलाएं हैं। 'यौन उत्पीड़न' पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति सभी सदस्यों को इस अनुरोध पर प्रदान की गई थी कि वे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पढ़ें ताकि इस विषय पर संवेदनशीलता सृजित हो सके।

भा. मा. ब्यूरो में 20.06.2012 को समिति को दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः गठित किया गया। इस समिति के लिए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स संघ (ऐडवा) को गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि के रूप में सहयोजित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में अधिकारियों और स्टॉफ की उपलब्धता के संदर्भ में सभी क्षेत्रीय कार्यालय, एनआईटीएस, नोएडा और केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है। जहां संभव है, वहां समिति में गैर सरकारी संगठन को सहयोजित किया गया है।

a) ERO – Puri

b) SRO – Kodaikanal

c) WRO - Lokhandwala

Sexual Harassment of Working Women at Workplace

Following the guidelines and norms laid by the Hon'ble Supreme Court of India in Vishaka and Others v/s State of Rajasthan and Others, the Sexual Harassment Committee was set up in the Bureau of Indian Standards headed by a woman with more than half the members also women. A copy of the guidelines of Hon'ble Supreme Court on 'Sexual Harassment' was provided to all the members with the request to go through the guidelines thoroughly so as to be well aware of the sensitivity of the subject.

The Committee at BIS Headquarters has been re-constituted on 20.06.2012 for a period of two years. A representative from the All India Democratic Women's Association (AIDWA) has been co-opted as NGO representative for the Committee. 7 meetings were conducted during the year.

In addition, additional SHCs have been constituted in all the Regional Offices, NITS, Noida and CL, Sahibabad, in accordance with the availability of officers and staff in the region. Representative of NGO has also been co-opted in the Committee wherever possible.

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगातार चौबीसवें वर्ष अर्थात् 2012–13 में भारतीय मानक ब्यूरो (भा. मा. ब्यूरो) अपना व्यय तथा देयताएं स्वयं पूरी कर पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रहा। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल आय (निवेश से आय को छोड़कर) ₹28017.48 लाख थी जबकि गत वर्ष यह ₹25266.27 लाख थी जिसके परिणामस्वरूप 10.89% की वृद्धि हुई। इस आय में से सबसे बड़ा हिस्सा आईएसआई प्रमाणन मुहर शुल्क का था जो गत वर्ष के ₹22393.16 लाख की तुलना में ₹24695.09 लाख रहा अर्थात् इसमें 10.28% की वृद्धि हुई। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल राजस्व खर्च ₹17838.12 लाख हुआ जबकि 2011–2012 के दौरान यह ₹16970.32 लाख था और इसमें 5.11% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार भा. मा. ब्यूरो मूल्यांकन की पेंशन/उपदान निधि में कमी को ध्यान में रखकर ₹11961.21 लाख (अर्थात् ₹29799.33 लाख की मूल आय में से ₹17838.12 लाख का कुल व्यय घटाकर) को आय एवं व्यय लेखा में पेंशन एवं ग्रेच्युटी देय निधि लेखा में कमी में अंशदान, की शक्ल में प्रभारित किया गया।

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty Fourth consecutive year that is, 2012-13, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2012-13 was ₹28017.48 lakh against ₹25266.27 lakhs in the previous year resulting in an increase of 10.89%. The largest contribution to the income was from ISI Certification Marking Fee which stood at ₹24695.09 lakh against ₹22393.16 lakh in the previous year i.e. an increase of 10.28%. The total revenue expenditure during the year 2012-13 stood at ₹17838.12 lakh as against ₹16970.32 lakh during 2011-12 registering an increase of 5.11%. In view of the shortfall in the Pension/Gratuity Liability Fund of BIS as per the Acturial Valuation Report, an amount of ₹11961.21 lakhs (that is total income of ₹29799.33 lakhs less total expenditure of ₹17838.12 lakhs) has been charged to Income and Expenditure Account as 'Contribution towards Shortfall in Pension/ Gratuity Liability Fund Account' and credited to 'Pension/ Gratuity Liability Fund Account'.

वर्ष 2012–13 के दौरान आय और व्यय का वर्ष 2011–12 के साथ तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :
A Comparative Statement of Income and Expenditure during the year 2012-13 vis-a-vis 2011-12 is as under:

(₹ लाख में / ₹ in lakhs)

		2012–13	2011–12	वृद्धि / गिरावट Increase/ decrease (-) (%)
	आय / INCOME			
1	बिक्री / सेवाओं से आय Income from Sales/Services	26521.16	23812.77	11.37
2	शुल्क / अंशदान Fees/Subscription	175.62	189.86	(–) 7.50
3	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty, Publications etc.	1140.43	1031.94	10.51
4	अन्य आय Other Income	180.27	231.70	(–) 22.20
	उप–योग **Sub Total**	28017.48	25266.27	10.89
5	निवेशों से आय Income from Investment	1781.85	1061.40	
	योग **TOTAL**	29799.33	26327.67	
	व्यय EXPENDITURE			
1	स्थापन व्यय Establishment Expenses	11769.74	11281.10	4.33
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc.	5703.97	5343.34	6.75
3	मूल्यह्रास Depreciation	364.41	345.88	5.36
	उप–योग **Sub-Total**	17838.12	16970.32	5.11
4	पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund A/C	11961.21	–	
	योग **TOTAL**	29799.33	16970.32	
5	कार्पस / पूंजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष Surplus carried to Capital Fund	–	9357.35	

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
कापर्स निधि एवं देनदारियां			
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
कार्पस / पूंजी निधि Corpus/Capital Fund	1	3,38,78,76,518	3,38,78,76,518
रिजर्व और निधियां Reserves and Surpluses		–	–
उद्दिष्ट / अक्षय निधि Earmarked/Endowment Fund	2	9,52,52,31,561	7,83,71,67,477
प्रतिभूत ऋण और आधार Secured Loans and Borrowings		–	–
अप्रतिभूत ऋण और आधार Unsecured Loans and Borrowings		–	–
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां Deferred Credit Liabilities		–	–
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	3	6,72,29,370	6,58,68,583
Current Liabilities and Provisions			
योग TOTAL		12,98,03,37,449	11,29,09,12,578
परिसम्पत्तियां ASSETS			
स्थिर परिसम्पत्तियां Fixed Assets	4	89,05,60,027	82,31,07,469
निवेश : उद्दिष्ट / अक्षय निधि से	5	1,23,60,37,825	1,57,42,93,202
Investments- from Earmarked/Endowment Funds			
निवेश : अन्य Investments-Others	6	–	–
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण, अग्रिम इत्यादि।	7	10,85,37,19,597	8,89,35,11,907
Current Assets, Loans, Advances Etc.			
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने तक)		–	-
Miscellaneous Expenditure(to the extent not written off or adjusted)			
योग TOTAL		12,98,03,37,449	11,29,09,12,578
सार्थक लेखा सम्बन्धी नीतियां	16		
Significant Accounting Policies			
आकस्मिक देनदारियां और लेखा पर टिप्पणियां	17		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts			
निवेश का विवरण **Details of Investment**	18		

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(अफजल अमानुल्लाह)	(एच. आर. आहूजा)	(विनोद कुमार)
(AFZAL AMANULLAH)	**(H.R. AHUJA)**	**(VINOD KUMAR)**
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
DIRECTOR GENERAL	DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	DIRECTOR (FINANCE)

भारतीय मानक ब्यूरो **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय को लेखा

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / AMOUNT IN ₹)

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष REVIOUS YEAR
आय INCOME			
बिक्री / सेवा से आय Income from Sales/Services	8	2,65,21,16,040	2,38,12,77,305
अनुदान / सब्सिडी Grants/Subsidies		–	–
शुल्क / अंशदान Fees/Subscriptions	9	1,75,62,373	1,89,85,527
निवेशों से आय Income from Investments	10	17,81,84,531	10,61,39,739
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय Income from Royality, Publications etc.	11	11,40,43,398	10,31,94,305
अर्जित ब्याज Interest Earned	12	15,30,617	11,63,998
अन्य आय Other Income	13	1,64,96,200	2,20,06,078
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के स्टॉक में वृद्धि Increase in stock of Finished goods and WIP		–	–
योग (ए) **TOTAL (A)**		2,97,99,33,159	2,63,27,66,952
व्यय EXPENDITURE			
स्थापना खर्च Establishment Expenses	14	1,17,69,73,599	1,12,81,10,946
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि Other Administrative Expenses etc.	15	57,03,97,203	53,43,33,551
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च Expenditure on Grants, Subsidies etc.		–	–
ब्याज Interest		–	–
मूल्यह्रास Depreciation	4	3,64,41,415	3,45,87,716
पैंशन / ग्रेच्यूटी देयता निधि खाते में कमी के प्रति अंशदान Contibution towards Shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account		1,19,61,20,942	–
योग (बी) **TOTAL(B)**		2,97,99,33,159	1,69,70,32,213
शेष अधिशेष कार्पस / पूंजी कोष में लाया गया **BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND**		–	93,57,34,739
सार्थक लेखा संबंधी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(अफजल अमानुल्लाह)	(एच. आर. आहूजा)	(विनोद कुमार)
(AFZAL AMANULLAH)	**(H.R. AHUJA)**	**(VINOD KUMAR)**
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
DIRECTOR GENERAL	DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	DIRECTOR (FINANCE)

31 मार्च 2013 को समाप्त पक्के चिटठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / AMOUNT IN ₹)

अनुसूची 1 कार्पस/पूंजी निधि SCHEDULE 1 — CORPUS/CAPITAL FUND		चालू वर्ष CURRENT YEAR		पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष **Opening Balance at the beginning of the year**				
कार्पस/पूंजी निधि में अंशदान जोड़े **Balance at the beginning of the year** **Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund**		**3,38,78,76,518**		2,45,18,35,662
i) मंत्रालय की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 'उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता आधारित अवसंरचना' योजना के अन्तर्गत परियोजना से प्राप्त कोष से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत Cost of Assets capitalzied from Funds from Ministry under XIth Five Year Plan under the Project 'Quality Infrastructure for Consumer Protection'	–		2,42,764	
ii) स्पाइस बोर्ड की निधियों से पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत Cost of assets capitalised from funds received from Spice Board	–		63,353	
योग (i) से (ii) **TOTAL (i) to (ii)**	———	–	———	**3,06,117**
जमाः आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित अधिशेष जोड़ें **Add: Surplus transferred from Income and Expenditure Account**		–		**93,57,34,739**
शेष वर्ष के अंत में **BALANCE AT THE END OF THE YEAR**		**3,38,78,76,518**		**3,38,78,76,518**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2013 को पक्के चिट्ठे अनुसूची भाग SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / AMOUNT IN ₹)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनुसूची 2 – उद्दिष्ट / अक्षय निधि SCHEDULE 2 - EARMARKED/ ENDOWNMENT FUNDS	Assistance from MOCA under scheme for setting up of Hallmarking Centre	Assistance from MOCA under the Project Quality Infrastructure for consumer protection (11th Plan)	Assistance from MOCA under C.W.F.	Benevolent Fund	भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	नई पेंशन निधि योजना New Pension Scheme Fund	पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Pension /Gratuity Liability Fund Account	योग TOTALS चालू वर्ष Current Year	योग TOTALS पिछला वर्ष Previous Year
क) निधियों का आरंभिक शेष a) Opening balance of the funds	4,58,888	8,10,88,038	4,22,034	40,838	1,18,43,33,210	37,81,701	6,60,70,23,669	7,83,71,67,477	7,22,19,44,975
ख) निधियों में जमा b) Additions to the Funds:									
i) सहायता / अनुदान Assistance/Grants	60,00,000							60,00,000	7,11,60,437
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय Income from Interest on Investments made on account of funds	63,334	1,69,008	5,647	14,638	10,14,66,875	1,67,568	73,21,02,204	85,40,38,037	76,34,68,654
iii) अन्य – जमा Other Additions:								0	0
– संबद्ध निधि में अंशदान – Contribution on the respective fund				8,02,646	19,96,64,663	1,63,61,460		21,68,68,866	20,64,44,051
–पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी में अंशदान Contribution towards shortfall in Pension/ Gratuity Liability Fund A/c							1,19,61,20,942	1,19,61,20,942	0
–अन्य Other		35,871						35,871	0
योग (क+ख) Total (a+b)	65,22,188	8,19,03,413	4,27,681	9,37,108	1,46,64,66,698	2,03,10,739	8,53,52,94,815	10,09,82,42,884	[illegible]
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग / खर्च c) Utilization/Expenditure towards objective of funds:									
i) पूंजीगत खर्च – अचल सम्पत्तियाँ Capital Expenditure - Fixed Assets								0	2,42,764
ii) राजस्व खर्च Revenue Expenditure									
कर्मचारियों / पेंशनरों को भुगतान Payments to employees/pension etc				6,00,000	17,38,00,460	1,68,46,000	36,71,88,642	55,84,14,882	46,04,97,107
– हॉलमार्किंग केन्द्रों को सहायता – Assistance to Hallmarking Centres	64,62,988							64,62,988	52,52,336
– आर एंड डी परियोजना – R and D Projects								0	1,17,56,441
– अन्य खर्च -Others Expenditure		43,744						43,744	2,61,26,234
कुल राजस्व खर्च TOTAL Revenue Expenditure	64,62,988	43,744			17,38,00,460	1,68,46,000	36,71,88,642	56,00,21,424	50,36,32,117
योग (ग) TOTAL(c)	64,62,988	43,744		6,00,000	17,38,00,460	1,68,46,000	36,71,88,642	56,00,21,424	60,58,74,888
घ) उपभोक्ता मामले विभाग को सहायता वापस की d) Assistant refunded to DoCA								0	49,75,339
वर्ष के अंत में निवल शेष 31–3–13 (क +ख+ग) को NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2013 (a+ b-c-d)	59,195	8,12,09,669	4,27,681	3,37,108	1,29,16,64,238	34,65,148	8,16,81,06,173	9,52,52,31,661	7,83,71,67,477

भारतीय मानक ब्यूरो **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

31 मार्च 2013 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / **AMOUNT IN ₹**)

क्र.सं. S.NO.	अनुसूची 3 – चालू देनदारियाँ और उपबंध **SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) **A**	चालू देनदारियाँ **CURRENT LIABILITIES**		
	1. सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियाँ Sundry creditors for Goods and Services		
	क) अंतर्देशीय a) Inland	2,40,94,712	2,31,02,682
	ख) विदेश b)Abroad	1,47,39,723	1,32,84,857
	2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advances received from Customers:		
	क) बिक्री a) Sales	7,50,124	16,58,657
	ख) प्रमाणन b) Certification	37,17,832	42,69,162
	3. सांविधिक देनदारियाँ Statutory Liabilities		
	अन्य – देय सेवाकर Others- Service Tax Payable	4,61,583	13,70,228
	4. अन्य चालू देनदारियाँ Other Current Liabilities		
	क) बयाना / धारण मूल्य a) Earnest Money/Retention Money	2,10,39,079	2,02,29,128
	ख) कर्मचारियों को देयता b) Accounts Payable Employees	10,27,993	5,55,093
	ग) गुजरात सरकार (एबीओ बिल्डिंग लेखा) c) Govt.of Gujarat (ABO Building A/c)	13,98,324	13,98,776
	योग (क) TOTAL(A)	6,72,29,370	6,58,68,583
ख) B.	उपबंध PROVISIONS	–	–
	योग (क +ख) TOTAL(A+B)	6,72,29,370	6,58,68,583

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2013 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2013

(राशि ₹ में / AMOUNT IN ₹)

अनुसूची–4 विवरण SCHEDULE-4 DESCRIPTION		सकल ब्लॉक GROSS BLOCK				मूल्य ह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लॉक NET BLOCK	
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation as at beginning of the year	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation at the year end	वर्ष के दौरान प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Additions during the year	वर्ष के दौरान जोड़ पर On Deductions during the year	वर्ष के अंत में जोग Total up to the Year-end	चालू वर्ष के अंत तक As at the Current year-end 2012-13	पूर्व वर्ष के अंत तक As at the Previous year-end 2011-12
क A	स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS:										
1	भूमि–पट्टे पर LANDS-LEASEHOLD	6126,97,232	10,80,153	0	61,37,77,385	0	0	0	0	61,37,77,385	61,26,97,232
2	भवन BUILDINGS	2120,82,481	0	0	[illegible]	13,72,55,229	84,43,571	0	[illegible]	[illegible]	7,48,27,252
3	आवासीय फ्लैट RESIDENTIAL FLATS	622,96,310	0	0	6,22,96,310	3,57,38,495	13,27,891	0	[illegible]	[illegible]	2,65,57,815
4	संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर PLANT, MACHINARY & EQUIPMENTS	2483,27,416	34,98,211	66,322	[illegible]	19,94,61,887	82,44,904	65,525	[illegible]	[illegible]	4,88,65,529
5	वाहन / VEHICLES	32,87,043	0	6,26,237	[illegible]	26,45,399	1,21,788	4,06,915	[illegible]	[illegible]	6,41,644
6	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर एवं कम्प्यूटर । FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS & COMPUTERS	2627,08,555	1,64,54,442	95,64,499	[illegible]	21,22,27,338	1,73,62,104	87,19,713	[illegible]	[illegible]	5,04,81,167
7	पुस्तकालय की पुस्तकें LIBRARY BOOKS	2,57,03,917	6,56,319	3,923	[illegible]	2,52,74,483	9,41,157	0	[illegible]	[illegible]	4,29,434
	चालू वर्ष का योग TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	1,4271,02,954	2,16,89,125	1,01,60,981	[illegible]	61,26,02,881	3,64,41,415	91,92,153	[illegible]	[illegible]	81,45,00,073
	पूर्व वर्ष PREVIOUS YEAR	1,3723,47,620	5,97,96,100	50,40,766	[illegible]	58,14,18,877	3,45,87,716	34,03,712	[illegible]		
ख B.	प्रगति में पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS									[illegible]	86,07,396
									योग TOTAL	[illegible]	82,31,07,469

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 5 उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निवेश SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	28,34,94,953	28,40,95,170
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	24,51,06,577	15,87,65,557
3. डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	39,47,27,701	81,87,23,881
4. आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	31,27,08,594	31,27,08,594
5. अन्य जमा –सावधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits	–	–
योग (1) TOTAL (1)	1,23,60,37,825	1,57,42,93,202
प्रत्येक उद्दिष्ट / अक्षय निधि के प्रति अनुसूची 5 में दिये गये निवेश निम्नानुसार हैं: **The Investments given in Schedule 5 held against each earmarked/endowment fund are as under:**		
1. पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Pension/Gratuity Liability Fund Account		
1.1 डिबेंचर और बंध–पत्र Debentures and Bonds	14,27,50,000	56,14,55,400
2. कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund of Employees		
2.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	28,34,94,953	28,40,95,170
2.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	24,51,06,577	15,87,65,557
2.3 डिबेंचर और बंध–पत्र Debentures and Bonds	25,19,77,701	25,72,68,481
2.4 आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	31,27,08,594	31,27,08,594
2.5 अन्य जमा Other Deposits	–	–
योग TOTAL (2)	1,09,32,87,825	1,01,28,37,802
योग TOTAL (1) + (2)	1,23,60,37,825	1,57,42,93,202

अनुसूची 6– निवेश – अन्य SCHEDULE 6 - INVESTMENTS-OTHERS	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. निवेश –अन्य (कार्पस / पूंजीगत निधि से सामान्य निवेश)	–	–
1. Investment - Others (General Investments towards the Corpus/Capital Fund)		
योग TOTAL	–	–

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. चालू परिसम्पत्तियाँ A. CURRENT ASSETS		
1. वस्तुसूची Inventories:		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान a) Laboratory apparatus and stores	12,01,813	14,21,515
ख) लेखन सामग्री और कैंटीन b) Stationery	34,95,868	34,46,936
ग) मरम्मत एवं रख–रखाव उपभोग्य सामग्री c) Repair and Maintenance Consumables	9,93,285	11,45,145
घ) स्वर्ण आभूषण d) Gold Jewellary	7,62,018	7,62,018
योग (1)/Total (1)	64,52,984	67,75,614
2. फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	3,18,958	6,25,119
ii) अन्य others	41,922	34,517
ख) प्रमाणन b) Certification		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	43,41,020	63,61,139
ii) अन्य others	4,494	10,266
ग) वसूली योग्य लेखा c) Accounts Recoverable		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी)(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.11 देखें) Accounts recoverable (employees) *(See Note No. 2.11 of Sch. 17)*	2,54,556	3,85,690
ii) सरकारी विभागों (एमओएफ, एमईए एवं एमसीए) से वसूली योग्य Recoverables from Government Departments (From MOF, MEA & MCA)	1,64,81,912	81,68,064
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.10 देखें) Accounts Recoverable (Others) *(See Note No. 2.10 of Schedule 17)*	1,70,44,293	1,48,98,646
योग (2)/Total (2)	3,85,27,155	3,04,83,441
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित) Cash Balance In Hand (Including Imprest)	8,06,615	8,25,964
4. बैंक में शेष: Bank Balances:		
क) अनुसूचित बैंकों में a) With Schedule Banks		
i) चालू खातों में On Current Accounts	10,73,19,291	13,75,41,099
ii) बचत खातों में On Saving Accounts	1,66,19,864	3,15,09,434
4 (क) (i और ii) का उप–योग/Sub Total of 4 (a) (I & II)	12,39,39,155	16,90,50,533
iii) जमा खातों में (सावधि जमा) On Deposit Accounts (Fixed Deposits)		
क) निवेश– ईयरमार्क निधि A) Investment - Earmarked Funds		
I) सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	13,83,30,000	9,75,79,410
II) अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना खाता ABO Building Project A/C	13,00,000	13,00,000
III) नयी पेंशन योजना निधि खाता New Pension Scheme Fund A/C	34,65,146	37,81,701
IV) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता Pension/Gratuity Liability Fund A/c	8,02,53,58,173	6,04,55,68,269
ख) निवेश –अन्य (कार्पस/पूंजीगत निधि की ओर सामान्य निवेश) B) Investment-Others (General Investments towards Corpus/Capital Fund)	84,24,16,919	1,60,55,47,748
4(क) (iii) का उप–योग/Sub Total of 4(a)(III)	9,01,06,70,238	7,75,37,77,128
योग (4)/Total (4)	9,13,48,09,393	7,92,28,27,661
5. चैक हस्तांतरण में Cheques in Transit	0	0
6. फ्रैंकिंग मशीन शेष Franking Machine Balance	2,52,217	3,15,815
योग (ए)/TOTAL (A)	9,18,06,56,364	7,96,12,28,495

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. स्टाफ को ऋण **Advances to Staff for:**		
I) वाहन खरीद के लिए Purchase of Conveyance	41,64,757	52,29,832
II) आवास निर्माण के लिए House Building	92,81,888	1,17,18,461
III) कम्प्यूटर के लिए Computer	18,62,547	31,48,037
योग (1) / **TOTAL (1)**	1,53,09,112	2,00,96,330
2 अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि		
2. Advances and other amounts recoverable or for value to be received		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
a) On capital Account & others to outside parties		
I) परियोजना–मुख्यालय सीपीडब्ल्यूडी (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.1 (i) देखें)	7,45,71,676	1,20,00,000
Projects - HQ CPWD(*see Note No. 2.1(i) of Sch.17)*		
II) भवन निर्माण क्षे.कार्या. / रा.का. –सीपीडब्ल्यूडी Building Construction ROs/BOs -CPWD	5,36,44,173	-
III) अन्य (क्षे. कार्या. / रा. कार्या. / मुख्यालय) Others(Ros/Bos/HQ)	2,50,87,496	2,49,45,003
Iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी) Consumer Welfare Fund(NBCC)	3,32,260	3,32,260
v) 11वीं योजना परियोजना स्कीम(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7 देखें)	6,43,00,000	6,43,00,000
XIth Plan Project Schemes(*See Note No. 2.7 of Sch. 17*)		
योग (2 क) / **TOTAL (2a)**	22,43,35,605	10,15,77,263
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय Prepaid Expenses	10,03,367	10,03,079
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिये अग्रिम:		
c) Advances to Staff for:		
I) त्यौहार Festival	8,03,830	8,74,305
II) प्राकृतिक आपदाए Natural calamities	700	6,050
III) यात्रा व्यय Travelling Expenses	63,54,905	19,51,925
IV) छुट्टी यात्रा Leave Travel	18,14,286	15,58,750
v) सामान्य भविष्य निधि से स्टाफ को अग्रिम Advances from GPF to Staff	1,05,88,722	1,35,04,328
योग (2 ग) / **TOTAL (2c)**	1,95,62,443	1,78,95,358
घ) रजिस्ट्रार – छोटे मामले न्यायालय – मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 1.3 देखें)	1,63,60,596	1,63,60,596
d) Registrar-Small Causes Court - Mumbai(*see Note No. 1.3 of Sch. 17)*		
ङ) प्रतिभूति जमा e) Security Deposits	44,17,818	35,28,416
योग (2) / **TOTAL (2)**	26,76,79,831	14,23,64,714
3. प्राप्त आय **Income Accrued**		
क) उद्दिष्टों / अक्षय निधियों एवं अन्य से निवेश		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds & Others		
I) भा. मा. ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	1,31,99,39,382	72,00,48,505
II) सामान्य भविष्य निधि GP Fund	4,32,57,067	3,15,37,952
योग (3) / **TOTAL (3)**	1,36,31,96,449	75,15,86,457
4. प्राप्ति योग्य दावे **Claim Receivable**		
क) आयकर वापसी a) Tax Refund	2,52,05,809	1,55,58,906
ख) सेवाकर सेनवेट क्रेडिट b) Service Tax CENVET Credit	14,78,032	26,77,005
योग (4) / **TOTAL (4)**	2,66,83,841	1,82,35,911
योग (ख) / **TOTAL(B)**	1,67,28,69,233	93,22,83,412
योग (क+ख) / **TOTAL(A+B)**	10,85,37,19,557	8,89,35,11,907

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 8 – बिक्री / सेवाओं से आय SCHEDULE 8-INCOME FROM SALE/SERVICES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सेवाओं से आय Income from Services		
क) उत्पाद प्रमाणन a) Product Certification	2,46,95,09,274	2,23,93,16,375
ख) स्वर्ण हॉल–मार्किंग प्रमाणन b) Gold Hallmarking Certification	15,61,65,489	11,31,81,453
ग) पद्धति प्रमाणन c) Systems Certification	2,64,41,277	2,87,79,477
योग / TOTAL	**2,65,21,16,040**	**2,38,12,77,305**

अनुसूची 9 – शुल्क / अंशदान SCHEDULE 9-FEE/SUBSCRIPTION	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सम्मेलन, परामर्श व प्रशिक्षण शुल्क Confrences,Consultancy & Training Fees	1,40,90,695	1,54,16,285
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क Library Membership Fee	33,46,500	33,69,600
3. स्टैण्डर्ड्स इंडिया जर्नल का अंशदान Subscription for Standards India Journal	1,25,178	1,99,642
योग / TOTAL	**1,75,62,373**	**1,89,85,527**

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

	ईयरमार्क निधि से निवेश Investment from Earmarked Fund		निवेश–अन्य Investment-Others	
निवेश–अन्य Investment-Others	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अनुसूची 10 – निवेशों से आय				
SCHEDULE 10-INCOME FROM INVESTMENTS				
(निवेश से आय – उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निम्नलिखित निधि में अंतरित)				
(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)				
1. ब्याज Interest	73,23,19,789	67,71,52,589	17,79,17,528	10,20,37,533
2. किराया Rent	–	–	2,67,003	41,02,206
योग / Total	73,23,19,789	67,71,52,589	17,81,84,531	10,61,39,739
(उद्दिष्ट / अक्षय निधि को अंतरित)	73,23,19,789	67,71,52,589		
(TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS)				
(संदर्भ अनुसूची 2, मद ख (ii), कॉलम 6 एवं 7)				
[Refer Schedule 2, Item b (ii) - Col 6 & 7]				

अनुसूची 11 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय SCHEDULE 11-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. भारत में आईएसओ और आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	3,71,27,476	2,44,87,789
2. इलैक्ट्रानिक मीडिया पर भा. मा. ब्यूरो प्रकाशनों की बिक्री से आय Proceeds towards Sales of BIS Publications on Electronic Media	4,18,55,177	2,52,32,400
3. भारतीय मानकों की बिक्री से आय Income from Sale of Indian Standard	3,35,28,841	5,20,22,523
4. विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्जिन Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	6,71,804	12,43,893
5. भारतीय मानकों के पुनरुत्पादन से रॉयल्टी Royalty from reproduction of Indian Standards	8,60,100	2,07,700
योग / Total	11,40,43,398	10,31,94,305

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 12 – अर्जित ब्याज SCHEDULE 12-INTEREST EARNED	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बचत खाते से On Saving Account	15,30,617	11,63,998
योग / TOTAL	15,30,617	11,63,998

अनुसूची 13 – अन्य आय SCHEDULE 13-OTHER INCOME	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 विविध आय		
1 **Miscellaneous Income**		
क) वाहन, कम्प्यूटर व आवास गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज	39,46,783	30,22,083
a) Interest from Conveyance, Computer & House Building Advances		
ख) सीजीएचएस अंशदान	14,56,715	14,36,740
b) CGHS Contribution		
ग) स्टाफ क्वाटरों से लाइसेंस शुल्क	3,40,443	3,67,269
c) Licence Fee Staff Quarters		
घ) मुख्यालय में अन्य विविध आय	43,00,709	1,24,68,550
d) Other Miscellaneous Income at HQ		
ङ) क्षे. कार्या./ शा. कार्या. से विविध आय	34,34,240	26,27,528
e) Miscellaneous Income at RO/Bos		
च) प्रयोगशालाओं में विविध आय	30,17,330	20,83,908
f) Miscellaneous Income at Laboratories		
योग / TOTAL	1,64,96,200	2,20,06,078

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 14 – स्थापना व्यय SCHEDULE 14 -ESTABLISHMENT EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. वेतन और भत्ते **PAY & ALLOWANCES**		
क) वेतन आदि a) Salaries & Wages	56,94,16,452	52,53,73,012
ख) भत्ते और बोनस b) Allowances and Bonus	52,96,09,975	44,97,92,376
योग (1) / **TOTAL(1)**	**1,09,90,26,427**	**97,51,65,388**
2. सेवा निवृत्ति लाभ **RETIREMENT BENEFITS**		
क) पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें) a) Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/C *(See Note No. 2.2.2 of Sch. 17)*	0	9,40,02,988
ख) नई पेंशन योजना में अंशदान b) Contribution to New Pension Scheme	81,80,725	56,14,767
ग) जीपीएफ खाते में घाटा (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.13 देखें) c) Deficit in GPF Account(see Note No. 2.13 of Schedule 17)	13,37,185	17,81,689
योग (2) / **TOTAL(2)**	**95,17,910**	**10,13,99,444**
3. अन्य स्टाफ लाभ **OTHER STAFF BENEFITS**		
क) सीजीएचएस और अन्य चिकित्सा लाभ–कर्मचारी a) CGHS and other Medical Benefits-Employees	2,77,12,513	2,41,00,944
ख) चिकित्सा लाभ– पेंशनधारी b) Medical Benefits-Pensioners	1,59,72,894	1,12,05,960
ग) स्टाफ कल्याण c) Staff Welfare	1,20,50,127	74,61,144
घ) छुट्टी यात्रा रियायत d) Leave Travel Concession	1,26,93,728	87,78,066
योग (3) / **TOTAL(3)**	**6,84,29,262**	**5,15,46,114**
योग (1+2+3) / **TOTAL(1+2+3)**	**1,17,69,73,599**	**1,12,81,10,946**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च, 2013 समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 15 – अन्य प्रशासनिक व्यय . यात्रा व्यय SCHEDULE 15 -OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. यात्रा व्यय TRAVELLING EXPENSES		
क) विदेश a) Overseas	1,21,77,848	99,86,627
ख) अधिकारी और स्टाफ b) Officers and Staff	4,38,10,179	4,05,02,224
ग) समिति सदस्य c) Committee Members	7,73,009	1,67,473
योग(1) / TOTAL(1)	5,67,61,036	5,06,56,324
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे		
2. SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS.		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन	2,32,13,925	2,05,65,954
a) International Standards Organization		
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग	65,12,020	64,67,658
b) International Electrotechnical Commission		
योग (2) / TOTAL(2)	2,97,25,945	2,70,33,612
3. उत्पादन PRODUCTION		
क) मानक a) Standards	70,31,098	2,19,44,783
ख) बुलेटिन b) Bulletin	6,28,410	7,91,574
योग (3) / TOTAL(3)	76,59,508	2,27,36,357
4. परीक्षण TESTING		
क) परीक्षण शुल्क a) Testing Charges	8,98,82,670	7,79,67,508
ख) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और	69,33,744	59,29,273
प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव		
b) Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab. Equipment		
ग) बाजार नमूने c) Market Samples	32,54,971	33,45,409
घ) बाहरी एजेंसी के निरीक्षण प्रभार	3,44,52,451	2,99,58,481
d) Inspection Charges to outside agencies		
योग (4) / TOTAL(4)	3,45,23,836	11,72,00,671
5. प्रचार PUBLICITY	9,13,86,419	10,25,42,544

6. कार्यालय व्यय OFFICE EXPENSES		
क) लेखन सामग्री a) Stationery	1,49,05,568	1,45,92,126
ख) डाक b) Postage	75,56,024	61,97,269
ग) दूरभाष और टेलेक्स c) Telephone and Telex	1,37,59,466	1,34,39,153
घ) भर्ती d) Recruitment	6,42,479	73,84,850
ङ) जलपान और मनोरंजन e) Refreshment and Entertainment	13,04,399	12,71,968
च) वर्दी f) Liveries	4,68,629	4,06,652
छ) भाड़ा और ढुलाई g) Freight and Cartage	20,02,235	16,12,905
ज) बीमा और बैंक प्रभार h) Insurance and Bank Charges	21,05,583	21,89,304
झ) विविध i) Miscellaneous	39,38,960	36,01,918
ण) किराया और कर j) Rent and Taxes	2,88,88,489	2,53,90,977
ट) बिजली और पानी k) Electricity and Water	3,68,44,276	3,07,93,702
योग (6) / TOTAL(6)	**11,24,16,108**	**10,68,80,824**
7. मरम्मत और रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
क) फर्नीचर एवं उपस्कर a) Furniture and Equipment	59,52,139	56,33,654
ख) भवन b) Building	2,43,38,268	1,83,68,456
ग) वाहन और डीएलवाई टैक्सियाँ c) Vehicles & DLY Taxies	72,72,387	69,80,128
योग (7) / TOTAL(7)	**3,75,62,794**	**3,09,82,238**
8. अन्य व्यय OTHER EXPENSES		
क) सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम a) Conferences,Consultancy and Training Programme	2,32,14,794	2,15,43,139
ख) इलैक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन b) Electronic Data Processing	1,34,53,734	78,50,0,91
ग) पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय c) Library Subscription and Other Expenses	3,23,392	3,77,596
घ) लेखा परीक्षा शुल्क d) Audit Fees	19,92,430	23,65,312
ङ) विधि प्रभार e) Legal charges	32,24,192	29,00,263
च) स्टाफ प्रशिक्षण f) Staff Training	23,24,613	78,854
छ) आवास निर्माण ऋण पर ब्याज पर छूट g) Interest subsidy on House Building Loan	25,958	1,48,373
ज) डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.12 देखें) h) Bad Debts Written Off *(See Note No.. 2.12 of Sch. 17)*	12,88,800	16,18,902
झ) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल) i) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	6,69,966	12,853
ञ) गुणता पद्धति प्रभार j) Quality System Charges	71,04,215	72,64,285
ट) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ k) Hindi Promotional Activities	16,88,809	21,43,221
ठ) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय l) Enforcement outsourcing Expenses	3,60,894	4,42,995
ड) विनिमय दर परिवर्तन m) Exchange Rate Variation	1,64,724	10,95,443
ढ) सेनवेट क्रेडिट व्यय n) CENVAT Credit Expenses	12,91,312	18,51,621
ण) श्रम और प्रक्रमण प्रभार o) Labour and Processing Charges	4,30,73,924	2,66,08,033
योग (8) / TOTAL(8)	**10,03,61,557**	**7,63,00,981**
योग (1 से 8) / TOTAL(1 to 8)	**57,03,97,203**	**53,43,33,551**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2013

अनुसूची 16– विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ
SCHEDULE.16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियाँ

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा–जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता । तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर पार्ट, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा–जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्तियाँ

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा इन्वार्ड भाड़े, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है।

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियाँ कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती हैं।

4.3 नॉन–मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियाँ कार्पस/पूंजीगत निधि में जमा के बाद वर्णित संगत मूल्यों पर पूंजीगत की जाती हैं।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटर्न डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्धिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूंजीगत निधि के योजक के रूप में दिखाई गई है।

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन उसकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियाँ वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

8.1 वेतन और भत्तों तथा छुटटी नकदीकरण भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 एक्चुरियन मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा को उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि के लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी/देयता लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/ Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transaction denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/ loss is transferred to Income and Expenditure Account.

8. PAY AND ALLOWANCES

The payments of Pay and Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension & gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 The actual payments of all pensionary benefits during the year are debited to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2013

अनुसूची 17– लेखा संबंधी तत्काल देयताएँ एवं टिप्पणियाँ

SCHEDULE-17 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. तत्काल देयताएँ

1.1 भा. मा. ब्यूरो के निम्नलिखित कार्यालयों की सेवाकर संबंधी विवादित मांगे जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर

(राशि ₹ में)

i) चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय	2,10,84,272
ii) मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय	41,66,700
iii) तिरूवंतपुरम शाखा कार्यालय	56,692
iv) पुणे शाखा कार्यालय	28,05,449
v) पटना शाखा कार्यालय	1,04,568

1.2 जयपुर तथा प्रशिक्षण संस्थान नोएडा भवन के सलाहकार एनबीसीसी ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के लिए क्रमशः ₹ 27.60 लाख और ₹ 17.04 लाख के भुगतान का दावा किया है, परन्तु संविदाकार द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूंकि एनबीसीसी द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियाँ अभी की जानी हैं तथा उनके साथ लेखों का निपटान कार्य प्रगति पर है। चूंकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जायेगी, इसलिए इसे 31–03–2013 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा. मा. ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतानः यदि ब्यूरो द्वारा न्यायविधान के माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई में दायर की गई अपील (रिट याचिका सं. 7380/2006) माननीय लघुवाद अपील न्यायालय (दो सदस्यीय पीठ) मुम्बई के आदेश के विरूद्ध अनुमत नहीं होता है तो आकस्मिक देयता ₹ 3,66,60,598.00 (₹ 1,83,60,598.00 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और ₹ 1,83,00,000.00 बैंक गारंटी द्वारा दोनों ही पंजीयक लघुवाद न्यायालय, मुम्बई के पक्ष में) दिए जा सकते हैं। आरंभिक, माननीय लघुवाद न्यायालय, मुम्बई ने अपने दिनांक 09.09.2005 के निर्णय में मध्यवर्ती लाभ लगाया है जिसे ब्यूरो द्वारा

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 **Disputed Demands of Service Tax(excluding penalty and interest) at following offices of BIS:**

(₹ Rs.)

(i) Chennai Regional Office	2,10,84,272
(ii) Mumbai Regional Office	41,66,700
(iii) Thiruvanthapuram Branch Office	56,692
(iv) Pune Branch Office	28,05,449
(v) Patna Branch Office	1,04,568

1.2 **NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA** has claimed payment of ₹ **27.60 lakh** and ₹ **17.04 lakh** in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2013. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.3 **Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai:** The contingent liability of ₹ 3,66,60,598/- (₹ 1,83,60,598/- by way of Demand Drafts and ₹ 1,83,00,000/- by way of Bank Guarantee, both in favour of Registrar Small Causes Court, Mumbai) may arise, in case the appeal filed by the Bureau in the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, (Writ Petition NO. 7380/2006) against the order of the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai; is not allowed. Initially, the Hon'ble Small Cause Court, Mumbai; vide its judgement dated 09.09.2005 had fixed mesne profit, to be paid by BIS at the rate of 205/-

205/– प्रति वर्गफीट की दर से प्रति माह 3255 वर्गफीट के क्षेत्र के लिए 01.06.2000 से 30.04.2004 तक @ 6% प्रति वर्ष ब्याज दर से आवेदन की तिथि से अर्थात 27.02.2002 से मध्यवर्ती लाभ की पूर्ण राशि तक वादी को भुगतान के लिए भुगतान किया जाना है। ब्यूरो द्वारा दायर की गई अपील पर, माननीय लघुवाद अपील न्यायालय दो सदस्यीय पीठ मुम्बई, ने दिनांक 07.09.2006 के निर्णय में, अपील को आंशिक अनुमत किया तथा प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज 6% की दर से मध्यवर्ती लाभ को कम करके ₹ 5,17,545 किया है। इस संबंध में ब्यूरो को राहत दी जो ब्यूरो को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.11.2006 का न्यायविधान के माननीय न्यायालय, मुम्बई में रिट याचिका सं. 7380/2006 दायर की गई जो अभी लम्बित है। ₹ 18,360,598 की राशि को चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिम [अनुसूची 7ख (मद 2 (घ)] के अन्तर्गत रखा गया है। यदि मा. मा. ब्यूरो की जीत होती है तो वापस प्राप्त राशि को दूसरी जगह समायोजित कर दिया जायेगा और दी गई को आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा।

1.4 उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय एनआरओ चंडीगढ़ परिसर के संदर्भ में किराये में वृद्धि की माँगः भा. मा. ब्यूरो एनआरओ और भवन के मालिकों के बीच लीज किराया डीड 30.04.2009 तक वैध किराया ₹ 1,58,400/– प्रतिमाह के किराये के लिए वैध थी। मालिक ने किराये में वृद्धि की मांग की तथा भा. मा. ब्यूरो को एक कानूनी नोटिस भेजा कि समझौते के अनुसार, भा. मा. ब्यूरो को कार्यालय परिसर खाली कर दें या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित मार्केट दर से किराये का भुगतान करें। इस मामले को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मकान मालिक ने अपने दिनांक 12.12.2009 के पत्र द्वारा नेगोशिएट करके प्रतिमाह उस क्षेत्र में 01.05.2009 करके से प्रभावी ₹ 8.00 लाख बाजार किराये की अपेक्षा ₹ 5.00 लाख प्रतिमाह किराये की पेशकश की। इसलिए ₹ 5.00 लाख प्रतिमाह मई 2009 से मार्च 2013 तक ₹ 160.74 लाख की राशि जिसमें 1.584 लाख का अंतर है तथा मकान मालिक को देय हो सकती है, अतः यह तत्काल देयता है।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

2.1 पूंजीगत वचनबद्धताएँ : पूंजीगत लेखा पर ऐसी संविदा जिस पर कार्य होना शेष है और जिसका प्रावधान अग्रिमों का निवल नहीं किया गया है के मूल्य निम्नानुसार हैं:

i) सीपीडब्ल्यूडी को मुख्यालय भवन की एयरकण्डीशनिंग के लिए ₹982.35 लाख, से अनुमानित कुल लागत ₹1702.35 लाख सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम दिए गए अग्रिम ₹720.00 लाख घटाने के बाद {अनुसूची 7ख मद2 क(i)}

per sq. feet per month for the area of 3255 sq. ft from 01.06.2000 to 30.04.2004 with interest @ 6% p.a. from the date of application, i.e. 27.02.2002 till entire amount of mesne profits paid to plaintiff. On the appeal filed by Bureau, the Hon'ble Appellate Court (Double Bench) of Small Causes, Mumbai; vide its judgement dated 07.09.2006, partly allowed the appeal and reduced the mesne profit @ ₹ 5,17,545/- per month with 6% interest p.a. thereby giving the Bureau some relief, which was also not acceptable to the Bureau. Hence writ petition No. 7380/2006 was filed by the Bureau on 08.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai which is still pending. The amount of ₹ 18360598/- has been kept under Current Assets, Loans & Advances{Schedule 7B(Item 2(d)}. In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income and Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget.

1.4 **Demand for increase in rent in respect of Northern Regional Office(NRO) premises at Chandigarh:** The lease rent deed between BIS:NRO and the landlords of the building was valid upto 30.04.2009 at monthly rent of ₹ 1,58,400/-. The landlord had demanded increase in rent and issued legal notice to BIS that as per the agreement, BIS should vacate the office premises or pay market rent as assessed by CPWD. The landlord in its letter dated 12.12.2009 has offered to negotiate and charge rent of ₹ 5.00 lakh per month against the market rent of ₹ 8.00 lakh per month in that area with effect from 01.05.2009. Therefore, an amount of ₹ **160.74 lakh** being the difference of 1.584 lakh and ₹ 5.00 lakh per month from May 2009 to March 2013 may become payable to the landlord, hence contingent liability.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 **Capital Commitments: The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:**

i) **₹982.35 lakh** towards Air Conditioning of HQ Building by CPWD. {Total Estimated Cost ₹1702.35 lakh LESS Advance Paid to CPWD ₹720.00 lakh (Schedule 7B - Item 2a (i)}.

iii) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹ 442.52 लाख, (कुल अनुमानित लागत ₹ 1704.01 लाख सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम दिए गए अग्रिम ₹ 1261.49 लाख घटाने के बाद)

iii) ₹442.52 lakh towards construction of Chandigarh Regional Office Building by CPWD (Total Estimated Cost ₹ 1704.01 lakh less payment made to CPWD ₹ 1261.49 lakh).

iii) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹ 331.84 लाख, कुल अनुमानित लागत ₹ 498.73 लाख सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम दिए गए अग्रिम ₹ 166.89 लाख घटाने के बाद {अनुसूची 7ख मद2 क(ii)}

iii) ₹ 331.84 lakh towards construction of Rajkot Office Building by CPWD {Total Estimated Cost ₹ 498.73 lakh less advances paid to CPWD ₹ 166.89 lakh (Schedule 7B-Item 2a(iii)}.

iv) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹ 1299.24 लाख

iv) ₹ 1299.24 lakh towards total estimated cost of construction of Hyderabad office building by CPWD.

v) उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एचआरडी एवं क्षमता निर्माण 11वीं योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले के विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नोएडा के प्रशिक्षण संस्थान भवन को आधुनिक बनाने के लिए ₹ 7.67 लाख अनुमानित कुल लागत ₹ 650.67 लाख में से सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में दिए गए ₹ 643.00 लाख घटाने के बाद {अनुसूची 7 ख मद (2क)(v)}

v) ₹ 7.67 lakh towards Modernization of Training Institute Building at Noida by CPWD from the assistance received from the Department of Consumer Affairs, Govt. of India under XIth Plan Scheme 'Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building" – {Total Estimated Cost ₹ 650.67 lakh LESS Advance Paid to CPWD ₹ 643.00 lakh {Schedule 7B - Item (2a) (v)}.

2.2 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2–कॉलम 7)

2.2 **Pension/Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)**

2.2.1 आईसीएआई एएस–15 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत और एक्चुरिज सोसायटी ऑफ इंडिया के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए मै. के. ए. पंडित कन्सल्टेंट एवं एक्चुरिजत द्वारा प्रस्तुत एक्चुरियन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भा. मा. ब्यूरो की 31.03.2013 को कुल उपार्जित पेंशन देयता ₹ 888.35 करोड़ राशि थी जो निम्नानुसार है:

2.2.1 According to the Actuarial Valuation Report submitted by M/s. K.A.Pandit Consultants and Actuaries by following the guidelines given in AS-15 of I.C.A.I. and the guidelines of the Actuaries Society of India, the total accrued Pension Liability of BIS as on 31.03.2013 amounted to ₹ 888.35 crores as under:

क्र. सं. Sl. No.	उपार्जित देयता की मदें Accrued Liability towards:	करोड़ ₹ में ₹ in crores
1.	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित पेंशन देयता Accrued Pension Liability (for past service) of existing employees.	439.41
2.	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित ग्रेच्युटी देयता Accrued Gratuity Liability(for past service) of existing employees	50.28
3.	वर्तमान पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों के लिए उपार्जित पेंशन देयता Accrued pension liability for existing pensioners/family pensioners	398.66
	कुल / Total	888.35
	घटा: क्रमःदिनांक 31.03.2012 तक पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उपलब्ध राशि Less: Amount available in the Pension/Gratuity Liability Fund Account as on 31.03.2012	660.70
	कमी / Shortfall	227.65

पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उक्त कमी की दृष्टि से, ₹ 119,61,20,942 की राशि (अर्थात् 2012–13 की कुल आय और कुल व्यय के अंतर) को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान के रूप में आय एवं व्यय लेखा से पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में जमा किया गया (अनुसूची 2 कालम 7)

2.2.2 क्योंकि एक्चुरियन मूल्यांकन रिपोर्ट में निधि में आवर्ती वार्षिक अंशदान नहीं प्रदान किया गया, इसलिए कोई वार्षिक अंशदान को 2012–13 के आय और व्यय खाते में प्रभारित नहीं किया गया।

2.2.3 उपार्जन आधार पर निवेशों पर कमाया कुल ब्याज ₹ 91,02,37,317 है। इसमें कार्पस/पूंजी निधि में भा. सा. ब्यूरो के पेंशन देयता लेखा, नई पेंशन योजना (एनपीएस) निधि के निवेश एवं सामान्य निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें से ₹ 1,67,585 की राशि का ब्याज आबंटित किया गया है और नई पेंशन योजना (एनपीएस) निधि खाते में जमा किया गया है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) अभिदाताओं को, कुल अर्जित ₹ 91,00,69,732.00 के शेष ब्याज को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा के लिए निवेश तथा कार्पस/पूंजी निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाते एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 1.4.2012 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

In view of the above shortfall in the Pension/Gratuity Liability Fund Account, the **amount of ₹ 119,61,20,942 (i.e. the difference between the total income and total expenditure of 2012-13) has been charged to the Income and Expenditure Account for the year 2012-13 as 'Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account' and credited to 'Pension/Gratuity Liability Fund Account'** (Schedule 2 Column 7).

2.2.2 Since the Actuarial Valuation Report did not provide for recurring annual contribution to the fund, therefore, no annual contribution has been charged to Income and Expenditure Account of 2012-13.

2.2.3 **The total interest earned on investments on accrual basis amounted to ₹ 91,02,37,317.** This includes the interest on the Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C, Investment towards New Pension Scheme(NPS) Fund and the General Investment of BIS against Corpus/ Capital Fund. Out of this, the interest amounting to **₹ 1,67,585** have been allocated and credited to New Pension Scheme (NPS) Fund Account. The remaining interest earnings of **₹ 91,00,69,732** have been apportioned between Pension/Gratuity Liability Fund A/C and Income and Expenditure A/C in the ratio of opening balance as on 1.4.2012 in the 'Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C 'and' General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C" as under:

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

निधियों में निवेश **Investment towards the Funds**	1.4.2012 के निवेश पर आरंभिक शेष **Opening Balance of Investments as on 1.4.2012**	2012–13 हेतु 1.4.2013 के निवेश पर आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित ₹91,00,69,732 का ब्याज **Interest of ₹91,00,69,732 for 2012-13 apportioned in the ratio of opening balance of Investments as on 1.4.2012**
पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए {अनुसूची 5, मद 1.1 तथा अनुसूची 7क मद 4क (क) का योग Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C {total of Schedule 5 (Item1.1) and Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(A)(IV)}	6,60,70,23,669	73,21,52,204
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश {अनुसूची 7क मद 4(क) (ख) General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C {Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(B)}	1,60,55,47,748	17,79,17,528
योग / **Total**	8,21,25,71,417	91,00,69,732

तदनुसार ₹ 73,21,52,204 के अर्जित ब्याज को 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते' अनुसूची 2 कॉलम 7 में जमा कर दिया है तथा ₹ 17,79,17,582 को शेष ब्याज आय और व्यय लेखा (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

2.2.4 वर्ष 2012–13 के दौरान पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन के निवल भुगतानों की राशि ₹ 36,71,88,642 (कुल भुगतान ₹ 36,79,52,484 में से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से प्राप्त ₹ 7,63,842 रूपये घटाने पर) थी। इसे पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते (अनुसूची 2 का 7) के नामे डाला गया है।

2.2.5 उक्त लेन–देन के परिणाम स्वरूप, 31.03.2013 को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में ₹8,16,81,08,173 की राशि शेष है (अनुसूची 2 कालम 7)। इस तरह पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते मे 31.03.2013 को कमी ₹ 71.54 करोड़ की राशि है (अर्थात् रू. 888.35 करोड की कुल अर्जित देयता में ₹816.81 करोड़ कम करें, कथित निधि में उपलब्ध राशि) जिसे बाद के वर्षो में कर दी जायेगी।

2.3 1.1.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू अंशदायी नई पेंशन योजना अनुसूची 2, कॉलम 6 दिनांक 4.2.2004 के वा. ज्ञा. सं. 1(7)(2)/2003 टीए/67–74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं. जीआईएमएफ (सीजीए) वा.ज्ञा.सं.1 (7)(2)/2003टीए/11, दिनांक 7.1.2004 के अनुसार 1.1.2004 के बाद (केंद्रीय सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर) भा. मा. ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना लागू है जो कर्मचारी रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं उन कर्मचारियों का तथा भा. मा. ब्यूरो का अंशदान मासिक आधार पर भेजा जाता है तथापि जिनका नामांकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा भा. मा. ब्यूरो का अंशदान भा. मा. ब्यूरो द्वारा निवेश किया जाता है तथा उस पर ब्याज, जो सामनि की ब्याज दर के समान है, उनके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2013 तक भा. मा. ब्यूरो की अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि ₹ 34,65,146 थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 भा. मा. ब्यूरो निधियों का निवेश

2.4.1 भा. मा. ब्यूरो निधियों का कुल निवेश (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए निवेश नई

Accordingly, the interest earnings of ₹ **73,21,52,204** have been credited to **"Pension/Gratuity Liability Fund Account"**(Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of ₹ **17,79,17,528** appear in the **Income and Expenditure Account** (Refer Schedule 10).

2.2.4 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2012-13 amounted to ₹ **36,71,88,642 {Gross payments ₹ 36,79,52,484 minus** receipts from deputationists **Rs.7,63,842}** This has been debited to **'Pension/Gratuity Liability Fund Account' {Schedule 2, column 7}.**

2.2.5 **As a result of the above transactions, the balance in the Pension/Gratuity Liability Fund A/C, as on 31.03.2013 amounts to ₹ 8,16,81,08,173 {Schedule 2, Column 7}.** The shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account thus amounts to ₹ 71.54 crores as on 31.03.2013 (i.e. Total accrued liability of ₹ 888.35 crore minus 816.81 crore, the available amount in the said fund) which will be made up in subsequent years.

2.3 **Contributory New Pension Scheme Fund applicable to recruits from 1.1.2004 onwards:** The new pension scheme of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GOI Order No. GI.M.F.(CGA) O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The employees and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted on monthly basis. However the employees and BIS contribution in respect of those who are yet to be enrolled with the Regulator is invested by BIS and the interest equal to GPF interest is credited to their accounts. The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund with BIS as on 31.3.2013 amounted to ₹ **34,65,146** {Schedule 2, Column 6}.

2.4 **Investment of BIS Funds**

2.4.1 **The total investments of BIS Funds** (i.e. Investment against Pension/Gratuity Liability Fund A/C,

पेंशन योजना निधि के लिए निवेश तथा कॉपर्स/पूंजीगत निधि के लिए निवेश) दिनांक 31.03.2013 को ₹9,01,39,90,238 की राशि के थे। इसमें से ₹34,65,146 'नई पेंशन योजना निधि खाते के लिए निवेश' (अर्थात् नई पेंशन/ग्रेच्युटी निधि की राशि के समान) अनुसूची 7 के अंतर्गत मद 4 (क) क में प्रदर्शित में आवंटित किये गए तथा ₹8,16,81,08,173 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में निवेश' (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के समान) अनुसूची 5 की मद 1.1 के अंतर्गत प्रदर्शित ₹14,27,50,000 तथा (अनुसूची 7क की मद 4 (क) (iii) (क) (iii) में प्रदर्शित) ₹8,02,53,58,173) में आवंटित किए गए। ₹84,24,16,919 का शेष निवेश 'कॉपर्स/पूंजीगत निधि के लिए सामान्य निवेश (अनुसूची 7 (ए) के अंतर्गत मद 4 (क) (iii) (ख) में प्रदर्शित) से संबंधित है। 31 मार्च, 2013 को कुल निवेश के विवरण अनुसूची 18 में दिए गए हैं।

Investment against New Pension Scheme Fund and Investment against Corpus/Capital Fund) **as on 31.3.2013 amounted to ₹ 9,01,39,90,238.** Out of this, the investments of ₹ **34,65,146** have been allocated to "Investment towards **New Pension Scheme Fund Account**" (i.e. equal to the amount of New Pension Scheme Fund) (shown under Item 4(a) (iii) (A) (III) of Schedule 7A) and ₹ **8,16,81,08,173** have been allocated to "Investment towards **Pension/Gratuity Liability Fund A/C**" (i.e. equal to the amount of Pension/ Gratuity Liability Fund A/C) **[₹14,27,50,000 shown under Item 1.1 of Schedule 5 and ₹8,02,53,58,173 shown under Item 4(a)(iii)(A)(IV) of Schedule 7A].** The remaining investments of **₹84,24,16,919** pertains to "General Investment towards **Corpus/Capital Fund**" (shown under Item 4(a) (iii) (B) of Schedule 7A). The details of total investments as on 31st March 2013 are given in Schedule 18.

2.4.2 यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी और एमपीएसआईडीसी ने निम्नानुसार परिपक्वता तिथियों पर ब्याज तथा मूलधन की अदायगी में चूक की है।

2.4.2 UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The details of investment and status of the cases is as under:

2.4.2.1 यूपीसीएसएमएफएल और एमपीएसईबी

2.4.2.1 **UPCSMFL and MPSEB :**

(₹ लाखों में/₹ in lakh)

संस्था **Institution**	ब्याज की दर **Rate of interest**	निवेश की राशि **Amt of invest-ment**	निवेश की तिथि **Date of Investment**	परिपक्वता की तिथि **Date of maturity**	तिथि जब से ब्याज की चूक की गई **Date since when interest is defaulted**	कूपन दर पर चूक की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज **Interest from date of default to maturity date at coupon rate**
यू.पी. कॉआपरेटिव एण्ड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यूपीसीएसएमएफएल) U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)-	16%	200.00	17.12.1998	30.04.2003 (33%) 30.10.2003 (33%) 30.04.2004 (34%)	1.05.2000	128.00 (4 वर्ष)
भा. मा. ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला (याचिका सं. 451/2002) दायर किया है, जो निर्णय के लिए लंबित है । BIS had filed case (Petition No. 451/2002) before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending for decision.						
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) Madhya Pradesh State Electricity Board(MPSEB)	15%	100.00	31.10 1998	1 .12 .2003(1/3) 1.12. 2004(1/3) 1. 12. 2005 (1/3)	1. 7 2001	66.25 (4 वर्ष 5 माह)
भा. मा. ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला (याचिका सं. 190/2003) दायर किया है, जो निर्णय के लिए लंबित है । BIS had filed case(Petition No. 190/2003) before the National Consumer Disputes Redressal Commission. (NCDRC) which is pending for decision.						

2.4.2.2 मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) : भा. मा. ब्यूरो ने एमपीएसआईडीसी बांड में नवम्बर 1999 में भा. मा. ब्यूरो निधि से रु 300 लाख तथा भा. मा. ब्यूरो कर्मचारियों के सा.भ. निधि से रु 45 लाख का अर्थात् कुल 345 लाख का निवेश किया था। इन बांडों पर 14.40 प्रतिशत की ब्याज दर देय थी, जो अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 मई तथा 1 नवम्बर को देय थी । भा. मा. ब्यूरो को ब्याज केवल 31.10.2001 तक प्राप्त हुआ, हालांकि वह भी देरी से मिला। 1.11.2001 से इन बांडों पर मूलधन और ब्याज असमाशोधित था। भा. मा. ब्यूरो ने मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका सं. 19/2003 तथा 2009 में एनसीडीआरसी के समक्ष याचिका सं. 84/2007 दायर की। कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमपीए) ने अपने दिनांक 19 मार्च 2012 के आदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 391 तथा 393 के अंतर्गत व्यवस्था, निपटाने तथा कम्प्रोमाइज की योजना अनुमोदित की थी, जो सभी बांड धारकों पर बाध्यकारी थी। योजना के अनुसार, भा. मा. ब्यूरो सहित, बांड धारकों को मूलधन की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाए, जो चार अर्ध–वार्षिक किस्तों में होगा, बशर्ते बाद वापस लेने का वचन पत्र दिया जाए। कार्यकारिणी समिति ने अपनी 107वीं बैठक (आपातकालीन), जो 12.07.2012 को आयोजित की गई थी, में न्यायालय में मामले को वापस लेने के वचन पत्र को अनुमोदित किया था । इस योजना के अंतर्गत भा. मा. ब्यूरो को 4 बराबर किस्तों में 2,58,75,000 मिलेंगे तथा शेष ₹86,25,000 (₹75,00,000 भामाब्यूरो तथा ₹ 11,25,000 भा. मा. ब्यूरो सा.भ.नि.) एमपीएसआईडीसी से सभी 4 किस्त प्राप्त होने के बाद लेखा पुस्तकों से बट्टे खाते में डालना अपेक्षित होगा। ₹ 1,29,37,500 की कुल राशि की दो किस्तें 31.03.2013 तक एमपीएसआईडीसी से प्राप्त हो चुकी हैं।

2.4.2.2 **Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC)** :BIS had made investment of Rs. 300 lakhs from BIS funds and Rs. 45 lakhs from BIS: GP Fund of Employees totaling to Rs. 345 lakhs in MPSIDC bonds in Nov 1999. The bonds carried interest rate of 14.40 % payable half yearly i.e. on 1st May and Ist November of each year, BIS had received interest though belatedly upto 31.10.2001 only. The principal and interest on these bonds was outstanding since 1.11.2001. BIS filed Petition No. 19/2003 before Madhya Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission(MP-SCDRC) and Petition No. 84/2007 before NCDRC In 2009. Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its order dated 19 March 2012 had approved a Scheme of Arrangement, Settlement & Compromise under section 391 and 393 of the Companies Act binding on all the bond-holders. As per the Scheme, the Bond-holders including BIS, are being paid 75% of the principal amount, in four half yearly installments subject to the Undertaking of withdrawal of litigations. EC in its 107th meeting(Emergency) held on 12.07.2012 approved the undertaking for withdrawal of court case. BIS will get ₹ 2,58,75,000 under the scheme in 4 equal instalments and the remaining amount of ₹ 86,25,000 (₹ 75,00,000 of BIS and ₹ 11,25,000 of BIS:GPF) will require write off in the books of accounts after the receipt of all the 4 instalments from MPSIDC. Two instalments totaling to ₹ 1,29,37,500 have been received from MPSIDC upto 31.03.2013.

2.5 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता (अनुसूची 2, कालम 3) 31.03.2013 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित (₹ 3,32,260 के अग्रिम

2.5 **Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida** [Schedule 2, Column 3]: The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2013 {after taking into

को खाते में लेने के बाद) ₹ 95,425 राशि हो गई (अर्थात् अनुसूची 2 के अनुसार रु 3,32,260 का एनबीसीसी को समायोजित किया जाने वाला अग्रिम घटा कर ₹ 4,27,685 है । [अनुसूची 7 (ख) मद 2(क) (iv)] ।

2.6 **केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजना** : भामाब्यूरो द्वारा यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है । उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.2.2004 – भामाब्यूरो, दिनांक 30.9.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की थी । 2012–13 के दौरान मंत्रालय से रु 60,00,000 प्राप्त हुए । 31.03.2013 को इस योजना के अंतर्गत अव्ययित अधिशेष रु 59,195/– थे, जिन्हें वर्ष 2013–14 में डाल दिया गया । (अनुसूची 2, कॉलम 1)

2.7 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत "उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना" परियोजना के संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की योजनाएँ (अनुसूची 2, कॉलम 2) : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने अपनी परियोजना "11वीं योजना के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना" के अंतर्गत अपनी निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भा. मा. ब्यूरो को निधियाँ आवंटित की है :

i) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणालीय

ii) उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एचआरडी एवं क्षमता निर्माण।

भा. मा. ब्यूरो द्वारा उपरोक्त योजनाएँ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। 2012–13 के दौरान भा. मा. ब्यूरो द्वारा प्राप्त की गई व्ययित निधियों की 31.03.2013 तक योजनावार स्थिति नीचे दी गई है :

account the advances of Rs. 3,32,260} amounted to ₹ **95,425** [i.e. ₹ 4,27,685 as per **Schedule 2** less ₹ 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B) Item 2(a)(iv)].

2.6 **Scheme for setting up of Gold Hall Marking/ Assaying Centres in India with central assistance:** This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs , Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/ Assaying Centres in India with central assistance. The funds of Rs. 60,00,000 were received from the Government during 2012-13. The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2013 amounted to **Rs.59,195** which has been carried over to 2013-14. (Schedule 2, Column 1)

2.7 **Schemes of Ministry of Consumer Affairs on the project of "Quality Infrastructure for Consumer Protection" under XIth Five Year Plan (Schedule 2, Column 2):** The Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India has allocated funds to BIS for implementation of its following new schemes under the project **'Quality Infrastructure for Consumer Protection' under XIth Plan:**

i) National System of Standardization;

ii) Consumer Education & Training, HRD & Capacity Building.

The above schemes are being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs(MOCA), Govt. of India. The scheme-wise position of funds received/refunded, funds spent by BIS during 2012-13 and the unspent balance as on 31.3.2013 is given as under:

(राशि लाख ₹ में / Amt. in Lakh ₹)

क्र म सं. Sl. No.	विवरण Particulars	राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति National System of Standardization	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building	योग Total
(i)	1.4.2012 को शेष Balance as on 1.4.12	34,712	6,10,63,323	6,10,98,035
(ii)	2012–13 में उ. मा. मंत्रालय से प्राप्त निधि Funds received from MoCA in 2012-13	–	–	–
(iii) (क) (a)	योजना खाते में उपार्जित ब्याज नामे Interest earned credited to Scheme A/C	19,117	1,50,489	1,69,606
(iii) (ख) (b)	अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts	–	35,971	35,971
(iv)	कुल [(i) + (ii)+ (iii)] Total	53,829	6,12,49,783	6,13,03,612
(v)	2012–13 में व्यय Expenditure in 2012-13			
(क)	पूंजी Capital	–	–	–
(ख)	राजस्व Revenue	40,994	2,750	43,744
	2012–13 में कुल व्यय [(क) + (ख)] Total Expenditure in 2012-13 {(a)+(b)}	40,994	2,750	43,744
(vi)	**31.03.2013 को शेष {(iv)-(v)} {अनुसूची 2, कॉलम 2 के अनुसार} Balance as on 31.3.2013 {(iv) – (v)} {as per Schedule 2, Column 2}**	**12,835**	**6,12,47,033**	**6,12,59,868**

उपयोग की गई निधियों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान किया गया अग्रिम शामिल नहीं है।

The funds utilized do not include advances paid to CPWD.

2.8 एनबीसीसी द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र – मानक भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी । इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया । 2006 से अभी तक परियोजना यथावत है । अतः यह निर्णय लिया गया कि एनबीसीसी को उनकी अन्य परियोजनाओं अर्थात् ज.शा.का. भवन तथा एनआईटीएस नोएडा के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एनबीसीसी के साथ लेखों का समायोजन प्रगति पर है। 2008–09 में ₹ 86,07,396 का भुगतान किया गया था। स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में इस परियोजना को पूँजीगत कार्य प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ईसी) की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

2.8 **New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC** - The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The project is at stand still condition since June 2006. Therefore it was decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS Noida. The settlement of accounts with NBCC is in progress. The payments of ₹ **86,07,396** made up to 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule 4]. Executive Committee(EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan and Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD.

2.9 भा. मा. ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय – वर्ष 2012–13 के दौरान (समायोजित अग्रिम सहित) भा. म. ब्यूरो की निधियों में से किया गया पूंजीगत व्यय ₹ 10,48,82,801 है (अनुसूची–4)। ₹ 10,48,82,801 के वर्धन के ब्यौरे निम्नानुसार है :

2.9 **Capital Expenditure out of BIS Funds** - The capital expenditure out of BIS Funds(including adjustment of advances) during 2012-13 amounted to ₹ **10,48,82,801** (Schedule 4). The details of addition of ₹ **10,48,82,801** are as under:

(राशि ₹ में / Amt. in ₹)

स्थिर संपत्ति में वर्धन **Addition to Fixed Assets**	2012–13	2011–12
हैदराबाद में भूमि Land at Hyderabad	10,80,153	261,04,350
बंगलौर में कार्यालय–भवन Bangalore Office Building	–	1,76,150
फर्नीचर एवं फिक्सचर कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर Furniture and Fixtures, Office equipments and Computers	1,64,54,442	1,75,51,505
एकीकृत कम्प्यूटर परियोजना (एनआईसी) के अंतर्गत कम्प्यूटर Computers under Integrated Computerization Project(NIC)	–	36,62,794
प्रयोगशाला उपकरण –भा. मा. ब्यूरो निधियां Laboratory Equipments-BIS Funds	34,98,211	1,09,19,259
पुस्तकालय पुस्तकें Library Books	6,56,319	10,75,925
कुल / **Total**	**2,16,89,125**	**5,94,89,983**
उ.क्षे.का. भवन–वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति कार्य में वर्धन Addition to Capital work in progress during the year-NRO Building	8,31,93,676	–
कुल / **TOTAL**	**10,48,82,801**	**5,94,89,983**

2.10 अनुसूची 7 क (मद 2 (ग) (iii) के अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य) – इसमें स्वर्गीय श्री डी. के. चड्ढा, उच्च श्रेणी लिपिक, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किए गए ₹ 5,17,450 शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण का भुगतान रोक लिया है।

2.11 अनुसूची 7 क (मद 3 (ग)(i) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (कर्मचारी) : इसमें निलम्बाधीन श्री मोहन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई जालसाजी/गबन के ₹ 12,000 शामिल हैं। एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा मामला दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा को जाँचाधीन है इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज कराया जाएगा। इस मामले के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्री मोहन सिंह के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जाँच की जा रही है! श्री मोहन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक 30.04.2010 को भा.मा.ब्यूरो की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चूंकि उनके विरुद्ध जांच चल रही है इसलिए श्री मोहन सिंह के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए हैं।

2.12 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते में डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान भा.मा.ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी ने ₹ 12,68,600/– के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन किया जिसे अनुसूची 15 मद 8 (ज) में दर्शाया गया है।

2.13 सामान्य भविष्य निधि खातों में घाटा : 2012–13 के दौरान भा.मा.ब्यूरो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹13,37,185 का घाटा (आय से अधिक खर्च) हुआ। इसे ब्यूरो के खर्च के रूप में लिया गया है तथा लेखा नीति [(अनुसूची 14 मद (2ग)]के अनुसार आय और व्यय लेखा में प्रभारित कर दिया है।

2.14 परोपकारी निधि : 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में ₹3,04,500.00 का नाने शेष था, जिसे वसूलनीय (अन्य) अनुसूची 7क मद 2 (ग) और विविध लेनदार अनुसूची 3 मद क (1)(क) में दर्शाया गया है।

2.15 आय कर छूट : धारा 10(23) (सी) (iv) के अंतर्गत भा. मा. ब्यूरो को निर्धारण वर्ष 2007–08 व उनके बाद आयकर में छूट दी गई थी, जिसका निर्धारण वर्ष 2009–10 व उसके बाद से डीजी : आईटी (ई) द्वारा उनके आदेश सं. डीजीआईटी (ई)/10 (23सी)/ डब्ल्यू/3/117/2011–12/1834, दिनांक 24.02.2012 द्वारा वापस

2.10 **The Accounts recoverable (Others) under schedule 7A(item 2(c)(iii)** - This includes ₹ **5,17,450** misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, in Kanpur Branch Office in past. His gratuity and leave encashment were withheld by BIS.

2.11 **Accounts Recoverable (Employees) under Schedule 7A(item 2(c)(i):** This includes ₹ **12,000/-** towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC who is under suspension. A FIR was registered and the case is under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Police which will thereafter be filed in the Court by Delhi Police. The departmental disciplinary enquiry against Sh. Mohan Singh is underway by the disciplinary authority. Sh. Mohan Singh, UDC has retired on 30.04.2010 from the services of BIS. As the enquiry is underway, **the retirement benefits of Sh. Mohan Singh have been withheld.**

2.12 **Provision for Bad and Doubtful Debts:** No provision is made for bad and doubtful debts. The bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are approved by the competent authority. During 2012-13 bad debts of ₹ **12,68,600** have been charged to Income and Expenditure Account which were approved by the Competent Authority of BIS for write-off. These have been shown under Schedule 15 -Item 8 (h).

2.13 **Deficit in General Provident Fund Accounts** : There was a deficit (i.e. excess of expenditure over income) of ₹ **13,37,185** in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2012-13. This has been treated as expense of the Bureau and charged to Income and Expenditure Account as per the Accounting Policy [Schedule 14 Item (2c)].

2.14 **Benevolent Fund:** The Benevolent Fund owes ₹**3,04,500** to BIS as on 31.03.2012 which has been reflected under Accounts-Recoverable(Others) in Schedule 7A –item 2(c) and Sundry Creditors in Schedule 3-item A(1)(a).

2.15 **Income-tax Exemption:** Income-tax Exemption granted to BIS for Assessment Year 2007-08 and onwards under section 10(23)(c)(iv) was withdrawn by DG:IT(E) vide order No. DGIT(E)/10(23C)/W/3/117/2011-12/1834 dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and

ले लिया गया था । छूट वापस लेने के आदेश को भा. मा. ब्यूरो ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.09.2012 के आदेश में डीजीआईटी (ई) के दिनांक 24.02.2012 के छूट वापस लेने के आदेश को रद्द किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीजीआईटी (ई) ने दिनांक 04.12.2012 का आदेश (एफ सं. डीजीआईटी (ई)/10(23सी)(iv)/डब्ल्यू/3/117/2011–12/583) जारी किया जो उनके पहले आदेश सं. 167, दिनांक 30.04.2008 (एफ सं. डीजीआईटी (ई)/10(23सी)(iv)/ 2008/167) को आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी)(iv) के अंतर्गत छूट को बहाल किया, जो कर निर्धारण वर्ष 2007–08 तथा उसके आगे के वर्षों के लिए है। अतः भा. मा. ब्यूरो की आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(iv)(सी) के अंतर्गत कर छूट यथावत् बरकरार है ।

2.16 भा. मा. ब्यूरो के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.17 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

2.18 अंतिम लेखे में आंकड़े निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

onwards. The withdrawal order was challenged by BIS in Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court in its order dated 27.09.2012 had quashed the withdrawal order dated 24.02.2012 of DG:IT(E). In compliance with the order of Hon'ble High Court, DG:IT(E) issued an order dated 04.12.2012 (F.No. DGIT(E)/10(23C)(iv)/W/3/117/2011-12/583) restoring their earlier Order No. 167 dated 30.4.2008(F.No. DGIT(E) /10(23C)(iv) /2008)/167) towards tax exemption under section 10(23C)(iv) of Income-tax Act, 1961 for Assessment Year 2007-08 and onwards. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is intact.

2.16 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.17 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures.

2.18 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अनुसूची–18 – दिनांक 31.03.2013 तक निवेशों का विवरण DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2013

(₹ लाख रु में / ₹ in Lakh)

क्र.सं. Sl. No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at cost	निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य Indicative Market Value of Investment*
1	मा. मा. ब्यूरो की निधियों का निवेश / INVESTMENT OF BIS FUNDS		
1.1	बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits		
1.1.1	8.45% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन – एनसीडी – उद्धरित 8.45% Rural Electrification Corporation - NCD-Quoted	940.00	934.45
1.1.2	15% मध्यप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एमपीसीईबी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2.1) 15.00% Madhya Pradesh State Electricity Board(MPSEB)(see note 2.4.2.1 of Schedule 17)	100.00	100.00
1.1.3	14.40% मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एमपीएसईबी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2) 14.40% M.P.State Industrial Development Corporation(MPSIDC)(see note 2.4.2.2 of Schedule 17)	187.50	187.50
1.1.4	16% उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल)(अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd.(UPCSMFL)(see note 2.4.2.1 of Schedule 17)	200.00	200.00
	योग / Total (1.1)	1427.50	1421.95
1.2	बैंकों में सावधिक जमा राशियाँ Investment with banks in fixed deposits		
1.2.1	आंध्रा बैंक / Andhra Bank,	8650.00	8650.00
1.2.2	बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India	700.00	700.00
1.2.3	केनरा बैंक / Canara Bank	5215.00	5215.00
1.2.4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India	2370.00	2370.00
1.2.5	कारपोरेशन बैंक / Corporation Bank	500.00	500.00
1.2.6	इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया / Industrial Development Bank of India	11,852.83	11,852.83
1.2.7	इंडियन ओवरसीज बैंक / Indian Overseas Bank	4370.00	4370.00
1.2.8	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स / Oriental Bank of Commerce	6707.57	6707.57
1.2.9	पंजाब एंड सिंध बैंक / Punjab & Sind Bank	8065.00	8065.00
1.2.10	पंजाब नेशनल बैंक / Punjab National Bank	1000.00	1000.00
1.2.11	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर / State Bank of Bikaner & Jaipur	500.00	500.00
1.2.12	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद / State Bank of Hyderabad	5585.00	5585.00
1.2.13	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर / State Bank of Mysore	320.00	320.00
1.2.14	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला / State Bank of Patiala	21,620.44	21,620.44
1.2.15	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर / State Bank of Travancore	6350.04	6350.04
1.2.16	सिंडिकेट बैंक / Syndicate Bank,	407.52	407.52
1.2.17	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India	3500.00	3500.00
	योग / Total (1.2)	88712.40	88712.40
	योग / Total (1)	90139.90	90134.35
	निम्नलिखित के अनुसार लाख रु में कुल निवेश का आवंटन (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.1 देखें) TOTAL INVESTMENT OF RS. LAKHS ALLOCATED TOWARDS FOLLOWING FUNDS: (see Note 2.4.1 of Schedule 17)		
क)	पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि खाता अनुसूची 5 (मद 1.1) के अंतर्गत Pension/Gratuity Liability Fund Account: Under Schedule 5 (Item 1.1) Under Schedule 7(A),Item 4(a) (III) (A) (IV)	1427.50	
	अनुसूची 7 (क), मद 4 (क) (III) (ए) (iv) के अंतर्गत New Pension Scheme Fund Under Schedule 7 (A) Item 4 (a) (III) (A) (III)	8023.58	81681.08
ख)	नई पेंशन योजना निधि अनुसूची 7 (क), मद 4 (क) (III) (ए) (III) के अंतर्गत New Pension Scheme Fund Under Schedule 7(A),Item 4(a) (III) (A) (IV)		34.65
ग)	सामान्य निवेश – कार्पस / पूंजी निधि अनुसूची 7 (क), मद 4 (क) (iii) (ख) के अंतर्गत General Investments -Corpus/Capital Fund under Schedule 7(A) Item 4(a)(III)(B)		8424.17
	मा. मा. निधियों का कुल निवेश Total Investments of BIS Funds		90139.90

2	कर्मचारी निधि निवेश **INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	सामान्य भविष्य निधि (अनुसूची 5 देखें) **General Provident Fund(see Schedule 5)**		
2.1.1	आरबीआई में विशेष जमा Special Deposits with RBI	3127.09	3127.09
2.1.2	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित Government of India Securities - Quoted	2634.95	2799.22
2.1.3	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित State Government Securities - Quoted	2451.07	2423.07
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांड तथा जमा राशियों में निवेश – उद्धरित Debentures and Bonds of PSUs & Financial Institutions In Bonds & Deposits -	2410.32	2381.59
	अनुद्धरित निवेश Quoted Investment		
	– मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) (देखें अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2.2) – M.P.State Industrial Development Corporation(MPSIDC) (see note 2.4.2.2 of Schedule 17)	28.12	28.12
	– बिहार जैक 2013 बांड – Bihar Zac 2013 Bonds	2.66	2.50
	– मनी मार्केट – Money Market	78.67	80.00
2.1.5	अन्य निवेश – बैंकों में सांवधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits with Banks	1383.30	1383.30
	योग / Total (2)	**12316.18**	**12224.89**
3	निवेश – अन्य **INVESTMENT-OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक (देखें अनुसूची 7 (क) कम सं. 4 (क) (iii) ए (iii)) ABO Building Project- Fixed Deposit-Syndicate Bank (See Schedule 7(A)Sl. 4(a)(III)(a)(III)	13.00	13.00
	कुल योग / GRAND TOTAL (1+2+3)	**102469.08**	**102372.24**

'टिप्पणी : निवेशों का बाजार मूल्य भा. मा. ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है । प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार कोट उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे, वहाँ अंकित/कय मूल्य पर किया गया। निम्नलिखित में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे, एमपीईबी बांड, एमपीएसआईडीसी बांड, यूपीसीएफएमएफएल बान्ड, बिहार जैक 2013 बांड और मनी मार्किट इंस्ट्रमेंट में बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे । बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शाई गई है । इसका ब्रेक–अप निम्नानुसार है :

NOTE" : *Market Value of Investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of MPEB Bonds, MPSIDC Bonds, UPCSMFL Bonds, Bihar Zac 2013 Bonds and Money Market. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:*

सकल उद्धरित निवेश The aggregate quoted investment	= ₹ 8717.67	(बाजार मूल्य Market Value 8620.83)
सकल अनुद्धरित निवेश The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	= ₹ 93751.41	
कुल निवेश **Total Investment**	= ₹ **102469.08**	

भारतीय मानक ब्यूरो
वर्ष 2012–13 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2012-13

प्राप्ति/RECEIPTS			भुगतान/PAYMENTS		
विवरण/PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	विवरण/PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
I. आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष Opening Cash and Bank Balances	16,28,90,137	15,10,35,994	I. खर्चे/Expenses – स्थापना/Establishment – प्रशासन/Administration	1,06,48,19,999 63,81,75,782	1,57,98,60,240
			II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के लिए किया गया भुगतान Payments made against Funds for various Projects		
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान Grants received from Govt. of India	60,00,000	7,11,60,437	क) हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	64,62,988	71,79,703
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest received on Investments	31,03,46,440	56,47,45,196	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढाँचा – ग्यारवीं योजना b) Quality Infrastucture for Consumer Protection-XIth Plan	43,744	4,11,73,004
IV. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से आय Income from Earmarked Endowment	2,53,173	0	III. किया गया निवेश और जमा (निवल) Investments and Deposits made (Net)	79,76,37,120	1,14,35,44,342
V. प्राप्त ब्याज – बचत बैंक खाता Interest received- Saving Bank Accounts	15,30,617	17,67,444	IV ऋाई परिसम्पत्तियों पर खर्च Expenditure on Fixed Assets	1,92,94,694	5,44,36,002
VI. उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए गुणता अवसंर चना 11वीं योजना Quality Infrastrucutre for Consumer Protection-XIth Plan	35,971	0	V पूँजीगत कार्य प्रगति में Capital Work in progress	8,31,93,676	0
VII. आय–सेवाएँ – बिक्री और विविध Income- Services, Sales and Miscellaneous	2,78,05,91,294	2,51,92,08,003	VI अन्य भुगतान Other Payments		
VIII. अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts			(क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, वर्तमान देयताएँ तथा अंतर लेखा (निवल) a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	53,29,96,613	31,89,61,718
(क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि a) Pension/Gratuity Liability Fund	36,87,06,641	30,81,51,841	(ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ b) Pension/Gratuity Benefits	36,79,52,484	30,84,94,159
(ख) परोपकारी निधि b) Benevolent Fund	8,62,545	8,70,390	(ग) परोपकारी निधि लाभ c) Benevolent Fund Benefits	6,00,000	4,00,000
योग/TOTAL	3,63,12,16,818	3,61,69,39,305	VII रोकड़ शेष Closing Balance		
			– नकद और अग्रदाय Cash and Imprest	8,08,615	16,28,90,137
			– बैंक Bank	11,92,31,103	
			योग/TOTAL	3,63,12,16,818	3,61,69,39,305

भारतीय मानक ब्यूरो : सामान्य भविष्य निधि BUREAU OF INDIAN STANDARDS : GENERAL PROVIDENT FUND					
I. आरंभिक बैंक अधिशेष Opening Bank Balance	69,86,361	30,70,638	I. वापसी एवं अंतिम भुगतान Withdrawals & Final Payments	17,38,80,460	14,18,87,619
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Investments	9,00,70,609	8,23,45,607	II. कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	17,91,556	28,65,430
III. कर्मचारियों का अंशदान Employees' Subscriptions	19,96,64,663	17,93,37,345	III. मृत्यु बीमा Death Linked Insurance	3,19,377	1,69,284
IV. अग्रिम की वापसी Refund of advances	47,07,162	61,13,160	IV. किया गया निवेश एवं जमा (निवल) Investments and Deposits made(net)	12,27,31,948	11,82,47,471
V. अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Other Receipts - Current Assets	20,09,949	28,177	V. अन्य भुगतान Other Payments		
			क) वर्तमान देयताएँ a) Current Liabilities	0	7,35,953
			ख) बैंक प्रभार b) Bank Charges	7,351	2,809
			VI. बैंक रोकड़ शेष Closing Bank Balance	47,08,052	69,86,361
योग / TOTAL	**30,34,38,744**	**27,08,94,927**	योग / TOTAL	**30,34,38,744**	**27,08,94,927**

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (भा. मा. ब्यूरो) के दिनांक 31 मार्च 2013 तक के तुलन – पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चो के लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है। इस वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 20 शाखा कार्यालयों, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए मानाब्यूरो का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इन पृथक ऑडिट रिपोर्ट (एस ए आर) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्मस इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी भी शामिल है। कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रोप्रायटी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन–देनों पर निरीक्षण रिपोर्टो/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टो के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियां की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जांचें परीक्षण के आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियां एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन–पत्र, आय एवं खर्च, लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi for the year ended 31 March 2013

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2013, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act. 1986. These financial statements include the accounts of 20 Branch Offices, 5 Regional Offices and the Central Laboratory at Sahibabad and the Training Institute of the BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this

द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट में लिया गया है।

iii) हमारी राय में खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों की समुचित जांच करने के बाद लगता है कि इन्हें भा. मा. ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22 (1) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनु.3) रू.6.72 करोड़

ऑडिट शुल्क का प्रावधान नहीं रखा गया था।

ख सामान्य

ख.1 'भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986' और 'भारतीय मानक नियम 1987' में भारतीय मानक ब्यूरो के लेखा को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के पैरा 22 में उल्लेखित करता है कि ब्यूरो सही तरह से लेखा एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों का रख–रखाव करे और इस प्रकार से वार्षिक लेखा ब्यौरा तैयार करे जैसा कि भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। जबकि, भा मा ब्यूरो नियम 1987 का पैरा 19(2)(ई) में यह उल्लिखित है कि लेखा के वार्षिक ब्यौरे पर ब्यूरो की ओर से लेखा प्रभारी एवं महानिदेशक हस्ताक्षर करें। तथापि, अधिनियम एवं नियम वार्षिक लेखा का अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी के विषय में पूर्ण रूप से मूक है।

इसके लिए आवश्यक है कि लेखा अनुमोदन के लिए विशेष रूप से प्राधिकारी नामित किया जाए।

ख..2 केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद की स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची में 'कार्यालय उपस्कर' के अंतर्गत रू.3.49 लाख का ऋणात्मक शेष था। इन मदों की 31.03.2013 को वास्तविक लेखा लागत रू.8.66 लाख थी जबकि उस तिथि तक इसका अद्यतन प्रभारित ह्रास मूल्य रू.12.15 लाख था जिसके कारण शेष ऋणात्मक था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति और दोनों की रू.3.49 लाख तक व्यय की अधोक्ति (मूल्यह्रास) है।

ग. सहायक अनुदान

2012–13 के दौरान 'हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना' के लिए रू.60.00 लाख का सहायक अनुदान मिला। वर्ष के दौरान इस पर रू.2.75 लाख का ब्याज अर्जित हुआ। पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रू.619.79 लाख था। वर्ष के दौरान रू.682.54 लाख की कुल

report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 22(1) of Bureau of Indian Standards Act 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Sch. 3) Rs. 6.72 crore

Provision for Audit fee was not made.

B. General

B.1 'The Bureau of Indian Standards (BIS) Act, 1986' and 'The Bureau of Indian Standards Rules, 1987' did not clearly identify the authority competent to approve the annual accounts of the Bureau of Indian Standards (BIS). Para 22 of the BIS Act,1986 states that the Bureau shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. Whereas, Para 19 (2)(e) of the BIS Rules,1987 states that the Annual Statement of Accounts shall be signed on behalf of the Bureau by the office in charge of accounts and the Director General. However, the Act and Rules are completely silent about the authority competent to approve the annual accounts.

This required an amendment/notification to specifically designate authority to approve accounts.

B.2 There was a negative balance of Rs. 3.49 lakh under 'Office Equipment' in the Fixed Assets schedule of the Central Laboratory, Sahibabad. The actual book cost of these items as on 31.03.2013 was Rs. 8.66 lakh while upto date depreciation charged thereagainst till that date was Rs. 12.15 lakh resulting in negative balance. This has resulted into understatement of fixed assets and overstatement of expenditure (depreciation) by Rs. 3.49 lakh each.

C. Grants-in-aid

During 2012-13, Grants-in-aid of Rs. 60.00 lakh was received for 'Setting up of Hallmarking Centres'. It also earned Rs. 2.75 lakh as interest during the year. It had unspent balance of Rs. 619.79 lakh of the previous year. Out of total amount

राशि में से ₹65.07 लाख की राशि का उपयोग किया गया जिससे 31 मार्च 2013 को राशि शेष ₹617.47 था।

घ. प्रबंधन का पत्र

ऐसी विसंगतियां, जिन्हें पृथक ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अलग से जारी किये प्रबंधन पत्र में समाधान/सुधारात्मक उपायों के लिए भा. मा. ब्यूरो के नोटिस में लाया गया है :

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का ऑडिट किया गया है, वे लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा संबंधी नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट के उपरोक्त महत्वपूर्ण मामले और अनुबंध–1 में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा संबंधी सिद्धांतों के अधीन हैं और इनके अनुरूप सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

क) अभी तक चूंकि यह भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च, 2013 तक के मामलों के संदर्भ में तुलन पत्र से संबंधित है, और

ख) अभी तक चूंकि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

of ₹ 682.54 lakh, ₹ 65.07 lakh were utilized during the year leaving a balance of Rs. 617.47 lakh as on 31st March 2013.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the BIS through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Bureau of Indian Standard as at 31 March 2013; and

b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एवं उनके हेतु

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28 10 2013

ऑडिट के महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)

For and on behalf of C& AG of India

Place: New Delhi
Date: 28.10.2013

Director General of Audit
(Central Expenditure)

संलग्नक 1

Annexure I

1.	आंतरिक लेखा पद्धति की पर्याप्तता **Adequacy of internal audit system**	• संगठन में आंतरिक लेखा विभाग नहीं बनाया गया है। • 31 मार्च 2013 तक का आंतरिक लेखा चार्टिड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया है। • The internal audit department has not been setup in the organization. • Internal audit has been conducted by Chartered Accountant up to March 2013.
2.	आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता **Adequacy of Internal control System**	भा मा ब्यूरो द्वारा व्यय नियंत्रण रजिस्टर, राजस्व वापिसी रजिस्टर एवं अनुमोदन रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। Expenditure Control Register, Register of Refund of Revenue and Sanction Register were not being maintained by BIS.
3.	परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति **System of physical verification of assets**	मार्च 2013 तक स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। The physical verification of fixed assets has been conducted upto March 2013.
4.	इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की पद्धति **System of physical verification of inventory**	Physical verification of inventory had been conducted upto March 2013. मार्च 2013 तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया।
5.	देय भुगतान की नियमितता **Regularity in payment of dues.**	सांविधिक देयों जैसे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, सेस, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का छः माह से अधिक का कोई भुगतान 31.03.2013 को शेष नहीं था। No Payment over six month in respect of statutory dues like Income Tax, Sales Tax, service Tax, custom duty, cess, contributory provident fund and employee's state insurance were outstanding as on 31.03.2013.

भा॰ मा॰ ब्यूरो की संरचना
Structure of BIS

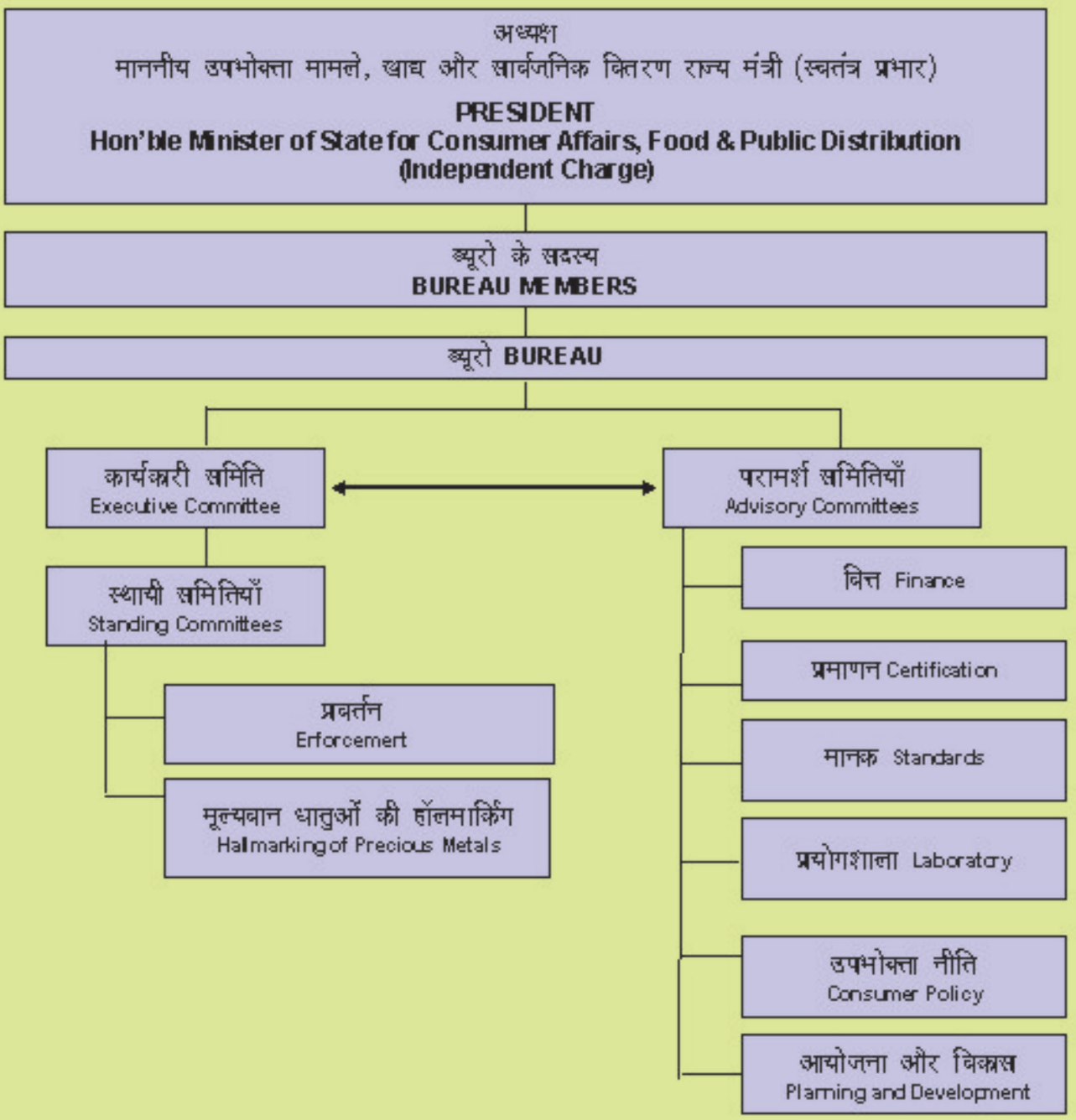

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
वेबसाइट/Website : www.bis.org.in